तृतीय माला, खण्ड १८—अंक ५१

गुरुवार, २५ अप्रैल, १९६३
५ वैशाख, १८८५ (शक)

लोक-सभा
वाद-विवाद

(चौथा सत्र)

(खण्ड १८ में अंक ५१ से अंक ६१ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

एक रुपया (देश में)

चार शिलिंग (विदेश में)

विषय-सुची

	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या*१०२७ से १०३३ और १०३६ से १०४१	५१४१—६७
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १०३४, १०३५ और १०४२ से १०४६	५१६७—७०
अतारांकित प्रश्न संख्या २३११ से २३६३	५१७०—९५
अबिलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	५१९५–९६
पश्चिम बंगाल में चावल के मूल्यों में कथित वृद्धि	
सभा पटल पर रखे गये पत्र	५१९७
राज्य सभा से संदेश	५१९७
लौह अयस्क खान श्रमिक कल्याण उप-कर (संशोधन) विधेयक—	५१९८
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया	
राज-भाषायें विधेयक	५१९८
विचार करने का प्रस्ताव	५१९८
श्री मौर्य	५१९८—५२०२
श्री खाडिलकर	५२०२—०४
श्री वासुदेवन नायर	५२०४–०५
श्री प्र० चं० बरुआ	५२०५–०६
श्री नरसिम्हा रेड्डी	५२०६–०७
श्री दासप्पा	५२०७
श्री बाकर अली मिर्ज़ा	५२०८
डा० मा० श्री अणे	५२०८—१०
श्रीमती अकम्मा देवी	५२१०
श्री शिव नारायण	५२१०—१३
श्री बिशन चन्द्र सेठ	५२१४—१७
श्री च० का० भट्टाचार्य	५२१७–१८
श्रीमती रेणुका राय	५२१८–१९
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी	५२१९
श्री शिवमूर्त्ति स्वामी	५२२०—२९
श्री लाल बहादुर शास्त्री	५२२९—३३
खंड २	५२३०—३३
अनिवार्य जमा योजना विधेयक	५२३३—४५
खंड २ से ४	५२३९—४५
दैनिक संक्षेपिका	५२४६—५०

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

लोक-सभा

गुरुवार, २५ अप्रैल, १९६३

५ वैशाख, १८८५ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उतर

स्थायी सरकारी पदों की घोषणा

+

*१०२७. श्री म० ला० द्विवदी :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दूसरे वेतन आयोग की इस सिफारिश पर कि सरकारी सेवा के ८० प्रतिशत पदों को स्थायी घोषित कर दिया जाये, सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) : वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, मार्च १९६० में हिदायत जारी की गयी थी कि सरकारी कारखानों/औद्योगिक प्रतिष्ठानों और डाक व तार विभाग के अलावा सभी स्थायी विभागों में जो अस्थायी जगहें कम से कम लगातार तीन साल से चली आ रही हैं और जिनकी जरूरत स्थायी ढंग के काम के लिए है, उनमें से ८० प्रतिशत जगहों को स्थायी बना दिया जाय। इस सम्बन्ध में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में जो प्रगति हुई उस पर अक्टूबर १९६१ में विचार किया गया और उससे पता चला कि इस मामले में प्रायः काफी कार्रवाई की जा चुकी है या की जा रही है।

श्री म० ला० द्विवेदी : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पे कमीशन के प्रतिवेदन पर जो आदेश सरकार ने जारी किये थे, उनको डेढ़ वर्ष से अधिक हो गया है, इस अवधि में सरकार ने जो कार्यवाही की है, उसकी प्रगति क्या है और उन एम्पलाईज की संख्या क्या है, जिनको इस बीच में पर्मानेंट किया गया है ?

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : उन एम्पलाईज के बारे में आंकड़े इस समय मेरे पास नहीं हैं, लेकिन जैसा कि मैंने मूल प्रश्न के उत्तर में बताया है, इस सम्बन्ध में प्रगति काफी संतोषजनक रही है।

श्री म० ला० द्विवेदी: अध्यक्ष महोदय, मैंने इस प्रश्न का नोटिस डेढ़ महीने पेश्तर दिया था, लेकिन इसके बावजूद उपमंत्री महोदय कहते हैं कि उनके पास आंकड़े नहीं हैं। उन्होंने बताया है कि प्रगति संतोषजनक है। मैं यह जानना चाहता हूं कि संतोषजनक प्रगति का अर्थ क्या है। क्या पचास प्रतिशत एम्पलाईज़ पर्मानेंट किये गए या साठ प्रतिशत ? कितने प्रतिशत एम्पलाईज़ को पर्मानेंट बनाया गया ?

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : तीन डिपार्टमेंट्स—पोस्ट्स एंड टेलीग्राफ्स सरकारी वर्कशाप्स् और इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्ज़—में काम करने वालों की एप्वायंटमेंट स्वभावतः टेम्पोरेरी होती है। जैसा कि मैंने मूल प्रश्न के उत्तर में बताया है, बाकी सब विभागों को करीब-करीब अस्सी प्रतिशत टेम्पोरेरी पोस्ट्स को पर्मानेंट करने के लिए कहा गया है। १९६०-६१ में यह फरमान जारी किया गया था। हमने सब मिनिस्ट्रीज और विभागों से इस बारे में इन्फार्मेशन मांगी है, जिसके उत्तर में उन्होंने कहा है कि प्रगति संतोषजनक है। मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि इन मिनिस्ट्रीज़ और विभागों में लाखों आदमी काम करते हैं और उनमें टेम्पोरेरी कार्यकर्ताओं की तादाद काफी थी। इसलिए उनके बारे में सारे आंकड़े इकट्ठे करना जरा कठिन है।

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती सावित्री निगम।

श्री म० ला० द्विवेदी : अध्यक्ष महोदय, यह तो मैंने क्लेरिफिकेशन मांगी थी। मुझे एक और पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती सावित्री निगम।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : जैसा कि माननीय मंत्री जानते हैं, रेलवे नैमित्तिम श्रमिकों के बहुत बड़े नियोजक भी हैं। क्या मैं जान सकती हूं कि क्या रेलवे मंत्रालय ने इस बात का भी ध्यान रखा है कि नैमित्तिक श्रमिकों के समय में काम करने वाले ८० प्रतिशत लोगों को स्थायी बना दिया गया है ?

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : जैसा कि मैंने कहा है, तीन डिपार्टमेंट्स के अलावा बाकी सब मंत्रालयों और विभागों में इसी नीति का अनुसरण किया जा रहा है।

†**श्री त्यागी**: क्या माननीय मंत्री इन विभागों में स्थायी पदों तथा अस्थायी पदों के अनुपात के बारे में कुछ बता सकते हैं ? आखिर उन्होंने दोनों के बीच अनुपात की भी तो जांच की ही होगी।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा**: यदि माननीय सदस्य अलग से सूचना दें तो मैं बता सकूंगी।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, माननीय उप-मंत्री जी ने बताया है कि डाक-तार विभाग आदि तीन विभागों को छोड़ कर इस बारे में "फर्मान" जारी किया गया था। मैं यह जानना चाहता हूं कि डाक-तार विभाग को आखिर क्यों छोड़ दिया गया था। क्या पे कमीशन

---

†मूल अंग्रेजी में

ने ऐसी सिफारिश की थी या गवर्नमेंट ने स्वयं निर्णय किया है? यदि गवर्नमेंट ने निर्णय किया है, तो किस आधार पर?

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : उनके रूल्ज अलग किस्म के हैं, जिनके अनुसार चलने में उनको ज्यादा सहूलियत होती है। इसलिए उन पर यह व्यवस्था लागू नहीं की गई है।

श्री यशपाल सिंह : बचत योजना के मातहत सरकार स्टाफ में जो दो हज़ार की कमी करने जा रही है, उस पर इसका क्या असर पड़ेगा?

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा उसका इस सवाल से कोई सीधा ताल्लुक नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय :** श्री एस० एम० बनर्जी ।

†**श्रीमती सावित्री निगम :** श्रीमान, क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकती हूं?

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं समझता हूं कि मैंने उन्हें एक बार अवसर दिया है।

†**श्रीमती सावित्री निगम :** मैं एक प्रश्न और पूछना चाहती हूं।

†**अध्यक्ष महोदय :** यह कठिन होगा।

†**श्रीमती सावित्री निगम :** यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है।

†**अध्यक्ष महोदय :** परन्तु कभी कभी मैं भी असहाय होता हूं। श्री एस० एम० बनर्जी।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** माननीय मंत्री ने कहा है कि अधिकतर पोस्टल वर्कशापों में तथा केन्द्रीय सरकार के अधीन अन्य औद्योगिक संस्थापनों में यह ८० प्रतिशत स्थायीपन अन्तर्विष्ट परिसीमा के कारण नहीं दिया जायेगा। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि प्रतिरक्षा मंत्रालय तथा परिवहन तथा संचार मंत्रालय ८० प्रतिशत औद्योगिक पद स्थायी घोषित करने का निर्णय कर चुके हैं तथा ५० प्रतिशत किये भी जा चुके हैं। यदि हां, तो शेष ३० प्रतिशत के बारे में ऐसा नहीं किया गया है?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** औद्योगिक संस्थापनों के बारे में उपयुक्त निर्धारण नहीं किया जा सका परन्तु इसे मंत्रालयों पर छोड़ दिया गया है। यदि वे उपयुक्त आवश्यकताओं का निर्धारण करें तो यह कर दिया जायेगा। द्वार खुला रखा जाता है।

†**श्री बूटा सिंह :** क्या मैं जान सकता हूं कि क्या ऐसे स्थायी पदों पर अनुसूचित जातियों के लोगों का उपयुक्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का सरकार का विचार है?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** अनुसूचित जातियों के लोगों को उपयुक्त प्रतिनिधित्व देने के लिये सरकार सदा तैयार है।

†**श्री अ० प्र० शर्मा :** क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के विभागों के स्थायी कर्मचारी जब ३ रुपये प्रति दिन मजूरी पाते हैं, विभागों में नैमित्तिक श्रमिकों के लिये प्रत्येक स्थान पर अलग अलग दरें हैं तथा कुछ स्थानों पर न्यूनतम १/८/- रुपये हैं? क्या सरकार इस भेद को दूर करेगी?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** जी नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दण्डकारण्य में विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास

+

†*१०२८
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री मुहम्मद इलियास :
श्री महेश्वर नायक :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री भक्त दर्शन :
श्री रामेश्वर टांटिया
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :

क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दण्डकारण्य क्षेत्र में पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने परिवार बसाये या पुनः बसाये गये हैं;

(ग) क्या यह सच है कि अनेक परिवार कुछ समय रह कर वहां से चले गये; और

(घ) यदि हां, तो उनके वहां से जाने के क्या कारण हैं ?

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) नहीं। काम अभी हो रहा है ।

(ख) ५,६५० परिवार, जिनमें परियोजना के काम-धन्धों में लगाये गये १४६ परिवार सम्मिलित हैं, पुनः बसाये जाने की विभिन्न अवस्थाओं में हैं ।

(ग) केवल ९ परिवारों ने गांव छोड़े थे ।

(घ) दण्डकारण्य प्रशासन उनके वहां से चले जाने के कारणों से अवगत नहीं है ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : क्या यह सच है कि दण्डकारण्य परियोजना द्वारा बनाये गये बहुत से मकान शरणार्थियों द्वारा कब्जे में नहीं लिये गये हैं ? यदि हां, तो उसका क्या कारण है ?

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : मकान गांवों में बनाये गये हैं और हमने उतने ही मकान बनाये थे जो कि बसने वालों के लिये अपेक्षित हैं । मेरा अनुमान है कि माननीय सदस्य का निर्देश उन मकानों की ओर है जो कि स्टाफ के लिये बनाये गये हैं ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : क्या यह सच है कि १९६० में बनाये गये मकान भी अभी तक खाली पड़े हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : मेरे पास कोई जानकारी नहीं है । यदि इसकी जरूरत हो तो मैं इस बारे में पूछताछ कर सकता हूं ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या मैं जान सकता हूं कि १९६३–६४ में कृषि भूमि तथा रहने योग्य भूमि वाले कितने नये गांव तैयार हो जायेंगे ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : केवल एक महीना या इतने समय पहले ही हम ने दण्डकारण्य विकास प्राधिकार के बारे में एक बहुत ही व्यापक प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखा था । जहां तक वहां जाने वाले नये परिवारों का सम्बन्ध है, हम उन्हें २०० प्रति मास के हिसाब से लेते हैं लेकिन अब तब तक और परिवारों को वहां न लाने का निर्णय किया गया है जब तक कि दण्डकारण्य में जो लोग पहले से हैं उन्हें बसाया नहीं जाता । और जो गांव बनाये जा रहे हैं वे उन्हीं परिवारों के लिये हैं जो वहां थे ।

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या मैं जान सकता हूं कि खेतीबाड़ी के अतिरिक्त रोजगार के और कौन से साधन उन्हें उपलब्ध किये गये हैं ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : यह मुख्यत: एक कृषि कालोनी या कृषि बस्ती है सिवाय उन लोगों को छोड़ कर जिन्हें प्रशासी कार्यालयों, परिवहन संघों और सहकारी समितियों में नौकरी दे दी गई थी । ऐसे लोग हम बहुत कम संख्या में ले रहे हैं जो कृषक नहीं हैं ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या इस बारे में हम कुछ जान सकते हैं कि परिवारों के लिये ऐसे स्थान की उपलब्धता की मात्रा इस समय क्या है जो कि अब भी वहां पुन: बसाये जाने वाले परिवारों को दी जा सकती है ?

†**श्री पू० शे० नास्कर** : पिछले महीने जो नोट माननीय सदस्यों को भेजा गया था उस में हम ने सारा ब्योरा दे दिया है ।

†**श्री भक्त दर्शन** : अभी यह बताया गया है कि ५,६५० परिवार अब तक बसाये जा चुके हैं । मैं जानना चाहता हूं कि कुल कितने परिवारों को इस में बसाये जाने की योजना है और उसके पूरा होने में अब कितना और समय लगेगा ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : जहां तक इस योजना का ताल्लुक है, हम ने इस को दो हिस्सों में बांटा है । एक तो शरणार्थियों के लिए और एक ट्राइबल पापुलेशन के लिए । शरणार्थी हम सिर्फ वही ले जा रहे हैं बंगाल से जोकि कैम्पों में थे । अब उनकी तादाद बहुत कम है । मेरा खयाल है कि इस साल में या अगले साल में वे तमाम जो शरणार्थी बसाने थे, वह काम खत्म हो जायेगा ।

†**श्री दी० चं० शर्मा**: क्या मैं जान सकता हूं कि कितने गांवों में पीने के पानी, प्राथमिक विद्यालयों तथा स्वास्थ्य केन्द्रों जैसी सुविधायें दी गई हैं और कितने गांवों में ऐसी सुविधायें अभी दी जाने वाली हैं ?

†**श्री पू० शे० नास्कर** : यह सब उस प्रतिवेदन में दिया हुआ है जो हम ने माननीय सदस्यों को दिया था । परन्तु फिर भी मैं माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर दे देता हूं । वहां जितने भी गांव बनाये गये हैं उन सब में पीने के पानी का प्रबन्ध है, प्राथमिक विद्यालय हैं तथा चिकित्सा सुविधायें भी उपलब्ध हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री पें० वेंकटासुब्बया** : क्या मंत्री महोदय का ध्यान एक अखबारी सूचना की ओर गया है कि प्रत्येक परिवार को जो जमीन दी गई है उसका पूरी तरह से पुनरवापन नहीं किया गया है तथा कोई सिंचाई सुविधायें नहीं दी गई हैं और यदि हां, तो क्या ऐसी कोई व्यवस्था की जा रही है ?

†**श्री मेहरचन्द खन्ना** : भूमि के पुनरवापन में बहुत कुछ करना पड़ता है । पहले वृक्ष गिराने होते हैं, तब जमीन को हम समतल करते हैं और फिर उस में रेखायें लगाई जाती हैं तथा ऐसी कई चीजें हैं । लगभग ७०,००० एकड़ों का परी तरह से पुनरवापन हो चुका है । जितने एकड़ों से वृक्ष गिराये गये हैं वे इन से भी बहुत ज्यादा हैं । यह एक फसल वाला क्षेत्र है । हम जितना भी पानी दे सकते हैं देने का प्रयत्न कर रहे हैं । परन्तु यह दो फसलों वाला क्षेत्र नहीं है ।

†**डा० सरोजिनी महिषी** : क्या मैं जान सकती हूं कि क्या सरकार कृषि की सहायता के लिये कुछ कृषि-आर्थिक उद्योग चलाने का विचार रखती है ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : हमारा एक औद्योगिक निगम है जिसके अध्यक्ष दण्डकारण्य विकास प्राधिकार के अध्यक्ष ही हैं । दण्डकारण्य क्षेत्र के लिये जो उद्योग भी सुकर समझा जाता है वह वहां स्थापित किया जा रहा है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि दण्डकारण्य विकास प्राधिकार के मुख्याधिकारी तथा मंत्रालय के बीच गंभीर मतभेद हैं जिसके परिणामस्वरूप काम में रुकावट पड़ रही है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस में कोई सच्चाई है ।

†**श्री पू० शे० नास्कर** : : इस में कोई सच्चाई नहीं है ।

संसदीय कार्य के लिये छापा खाना

*१०२९. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री १५ नवम्बर, १९६२ के तारांकित प्रश्न सख्या २१५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि संसदीय कार्य के लिए एक छापाखाना स्थापित करने में इस बीच और क्या प्रगति हुई है ?

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** : इस परियोजना की तफसीलों को, जिन में आवश्यक मशीनें और निर्माण व्यय भी सम्मिलित है, अन्तिम रूप दिया जा चुका है। इस सारी परियोजना पर लगभग १७० लाख रुपये की लागत आने की सम्भावना है । इस मामले को खर्च की मंजूरी के लिए वित्त मंत्रालय के पास भेजा जा रहा है ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, माननीय उपमंत्री जी ने बताया है कि इस योजना को अन्तिम रूप दिया जा रहा है । मैं जानना चाहता हूं कि अन्तिम रू देने का काम कब अन्तिम हो सकेगा और कब वास्तव में इसकी स्थापना की जा सकेगी क्योंकि यह मामला बहुत वर्षों से अटका पड़ा है ।

†**निर्माण आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** जितनी आप को जल्दी है उतनी ही जल्दी मुझ भी है . . . .

†**श्री सिन्नद्धेश्वर प्रसाद** : ऐसा नहीं लगता है ।

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : मुझे खत्म तो कर लेने दीजिये । १७० लाख की यह प्रोजेक्ट है । पहले तो जमीन लेनी है । फिर मशीनरी बाहर से मंगानी है । ये तमाम तफसीलात पूरी हो चुकी हैं,

---

†मूल अंग्रेजी में

केस कम्पलीट हो चुका है और हम फाइनेंस मिनिस्ट्री को भेज रहे हैं। थोड़ दिनों में उसकी मंजूरी हमें मिल जायेगी।

†**श्री भक्त दर्शन**: जहां तक मुझ जानकारी है, पिछली बार माननीय मंत्री जी ने यह पाश्वासन दिया था कि संसदीय वाद-विवाद तथ दूसरे पत्रों को छापने में देर नहीं होगी। लेकिन अभी तक भी इस स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ है। यहां तक कि आपने स्वयं फरमाया था कि आप इस मामले में व्यक्तिगत दिलचस्पी लेंगे। अतः मैं जानना चाहता हूं कि आप की व्यक्तिगत दिलचस्पी के बाद भी इस में जो सुधार नहीं हुआ है, इसके क्या कारण हैं ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : हमने बहुत सुधार किया है। एमरजेंसी आई और हमारे ऊपर बहुत ज्यादा काम का बोझा पड़ा। लेकिन मैं अपनी इनफार्मेशन के मुताबिक यह कह सकता हूं कि हम ने काम आगे से बहुत ज्यादा किया है और यह भी मैंने कोशिश की है कि काम अपने छापाखानों में कराऊं और बाहर बहुत कम जाऊं। डबल शिफ्ट भी कर दिया गया है।

†**श्री श्यामलाल सर्राफ** : क्या मैं जान सकता हूं कि इस प्रस्तावित छापाखाने में जो मशीनरी लगाई जानी है उसमें से कितनी का देश के अन्दर निर्माण होगा ?

†**श्री मेहरचन्द खन्ना** : मैं नहीं समझता कि यह देश के अन्दर बनाई जायेगी। इसमें से कुछ अथवा अधिकतर बाहर से आयात करनी पड़ेगी जिसके लिये विदेशी मुद्रा की व्यवस्था कर ली गई है।

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : श्रीमन्, इस प्रेस के लिये जगह वगैरह का क्या चुनाव कर लिया गया है और सारी चीजें भी तय की जा चुकी हैं ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : जी, हां।

श्री सद्धेश्वर प्रसाद : कहां है ?

अध्यक्ष महोदय : अभी से आप इसमें इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं।

†**श्री हरि विष्णु कामत** निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्रालय की पूर्ववर्तितताओं की सूची में क्या इस विशेष काम को सर्वप्रथम या तत्काल पूववर्तिता दी गई है ? इसके लिये किस किस्म की पूर्ववर्तिता रखी गई है ?

†**श्री मेहरचन्द खन्ना** : हमारे पास निर्माण है, हमारे पास आवास है और हमारे पास पुनर्वास है तथा मुद्रण और लेखन सामग्री भी हमारे ही पास है। जहां तक मेरा संबंध है, मैंने प्रत्येक विभाग को, जो मेरे प्रशासी नियंत्रण में है, एक ही पूर्ववर्तिता दी है।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : पूर्ववर्तिताओं की सूची में एक ही पूर्ववर्तिता कैसे हो सकती है ? यह एक प्रतिवाद है।

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : कैसे हो सकता है कि एक मंत्री का एक विभाग से कुछ लगाव हो तथा दूसरे के लिये कुछ और ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वह जानना चाहते हैं कि क्या छापाखाने में, जहां तक उस विभाग का संबंध है, इसे काफी ऊंची पूर्ववर्तिता दी गई है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मेहरचन्द खान्ना** : मुझे खेद है, श्रीमान् ।

मुद्रण के तीन पहलू हैं । एक मुद्रण है, दूसरा प्रकाशन और तीसरा लेखन सामग्री । जहां तक संसदीय काम का संबंध है, हमने सदा ही इसे सर्वोच्च पूर्ववर्तिता दी है और मैं यह कहने के लिये तैयार हूं कि हमने समय पर काम करने का प्रयास किया है ।

†**श्री जसवंत मेहता** : क्या मैं जान सकता हूं कि सभी मंत्री आपात स्थिति की आड़ क्यों ले रहे हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न ।

गैर-सरकारी क्षेत्र के कोयला उद्योगों को ऋण

†*१०३०. { †**श्री महेश्वर नायक** :
श्री बी० चं० शर्मा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने गैर सरकारी क्षेत्र के कोयला उद्योग को ऋण संस्थाओं द्वारा दिये जाने वाले ऋणों पर आंशिक गारन्टी की योजना स्वीकार की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) और (ख) अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

कोयला उद्योग की विश्व बैंक के ३० करोड़ ५० लाख डालर के ऋण (गैर सरकारी क्षेत्र में कोयला खानों के विकास के लिये दिया गया) के उपयोग के लिये आवश्यक बराबरी के रुपया वित्त को प्राप्त करने में सहायता करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने इस कोयला खान संस्थापनों को ऋण संस्थाओं द्वारा दिये गये अग्रिम धन की आंशिक गारन्टी के लिये एक योजना बनाई और मंजूर की है । जिन शर्तों पर यह गारन्टी दी जाती है वे नीचे दी गई हैं :—

(१) उन पात्र ऋण संस्थाओं में, जो अपने द्वारा दिये गये किसी ऋण के बारे में गारन्टी के लिये अभ्यावेदन कर सकती हैं और उसे प्राप्त कर सकती हैं, ५८ प्रमुख भारतीय बैंक, १५ राज्य वित्तीय निगम (मद्रास औद्योगिक ऋण तथा विनियोजन निगम सहित), औद्योगिक वित्त निगम तथा भारतीय औद्योगिक ऋण तथा विनियोजन निगम सम्मिलित हैं ;

(२) पात्र संस्थायें ३५ प्रतिशत हानि वहन करेंगे और शेष ६५ प्रतिशत केन्द्रीय सरकार द्वारा उठाई जायेगी ;

(३) चूक होने पर तत्काल ही गारन्टी प्रभावी हो जायेगी और राशि का भुगतान चूक होने के ३० दिनों में किया जायेगा ;

†मूल अंग्रेजी में

(४) ऋणों और अग्रिम धनों की गारन्टी मांगने वाले के विकल्प पर १ से १० वर्ष के बीच बीच अवधियों के लिये होगी ;

(५) जो ऋण या अग्रिम धन दिया जायेगा उसकी राशि पर प्रति वर्ष एक प्रतिशत का तीन चौथाई प्रशासी खर्चों को पूरा करने के लिये सेवा प्रभार के रूप में लिया जायेगा ; और

(६) गारन्टी योजना को उद्योग के लिये पुनर्वित्त निगम लिमिटेड द्वारा केन्द्रीय सरकार के एजेंट के रूप में चलाया जायेगा ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस योजना के अधीन कोई राशि पहले ही दी जा चुकी है और यदि हां, तो कितनी राशि के लिये यह गारन्टी योजना भारत सरकार द्वारा चलाई जा चुकी है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : यह योजना अभी हाल ही में लागू हुई है , मेरे विचार में ९ अप्रैल को । यह रक्षित बैंक की अधिसूचना की तिथि है । हमें आशा है कि संबंधित कोयला खानें इस योजना से लाभ उठायेंगी ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या यह सच नहीं है कि गैर-सरकारी कोयला उद्योग पहले ही यह ऋण ले चुका है और सरकार ने इस योजना के अधीन गारन्टी भी दे दी है जिसका कि इस विवरण में उल्लेख किया गया है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : बात यह है । जहां तक ऋण के विदेशी मुद्रा के भाग का संबंध है, यह सच है कि विश्व बैंक ने कोयला खानों के लिये ३० करोड़ ५० लाख डालर का ऋण मंजूर किया है । लेकिन कठिनाई यह उठ खड़ी हुई कि इनमें से बहुत सी कोयला खानें उसके बराबर रुपया वित्त न दे सकीं या उसकी व्यवस्था न कर सकीं और उस कारण से वे विश्व बैंक द्वारा दिये गये ऋण का उपयोग न कर सकीं । उनके लिये आवश्यक रुपया वित्त प्राप्त करना सुकर बनाने के हेतु यह आंशिक गारन्टी योजना शुरू की गई है । ऐसी संभावना है कि लगभग ५ करोड़ रुपये वित्त के लिये प्रार्थनापत्र खान तथा तेल मंत्रालय को प्राप्त भी हो चुके हैं और मुझे आशा है कि इस योजना से उन्हें आसानी होगी ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या मंत्रालय ने कोयला खानों की कुल आवश्यकताओं का कोई निर्धारण किया है और यदि हां, तो उनका कौन सा भाग विश्व बैंक के ऋण द्वारा पूरा किया गया है तथा कौन सा भाग दूसरे तरीकों से पूरा किया जाने वाला है और क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि वे दूसरे तरीके क्या हैं ?

†**श्री ब० रा० भगत** : जब यह विश्व बैंक का ऋण दिया गया था तो इन सारी बातों पर विचार किया गया था । आज सवाल कुल आवश्यकताओं का नहीं है बल्कि उपलब्ध संसाधनों के उपयोग का है जो कुछ भी वे हैं । आशा है कि यदि इस योजना के अधीन उन्हें यह ३० करोड़ ५० लाख डालर अथवा १७$^{१}/_{२}$ करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा मिल जाती है तो कम से कम वे उसके बराबर रुपया वित्त प्राप्त कर सकेंगे । यदि योजना से वह आसान हो जाता है तो बहुत कुछ हो जायेगा ।

†**श्री हेडा** : कुछ कोयला खानें आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर हैं जबकि कुछेक को लगातार हानि हो रही है तथा प्रार्थना-पत्रों में वे सब मिल जाती हैं । क्या सरकार ऐसी कोयला खानों के

---

†मूल अंग्रेजी में ।

प्रार्थना पत्रों पर अलग से विचार कर रही है जो आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर हैं और शीघ्र ही उत्पादन बढ़ायेंगी अथवा अब भी वही प्रक्रिया चलती है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : उस प्रयोजन के लिये कोयला खानों को पहले ही विभिन्न श्रेणियों में बांटा जा चुका है। मुझे बताया गया है कि कोयला खानों की पांच तक श्रेणियां हैं। उनकी अर्थ व्यवस्था, प्रौद्योगिक समस्याओं तथा वित्तीय समस्याओं सभी पर सोचा गया है और जब ऋण दिया जायेगा तब बराबर का रुपया अनुदान भी दिया जायेगा। इन सब चीजों को देखा जायेगा।

†**श्री जसवन्त मेहता** : विश्व बैंक के साथ करार पर कब हस्ताक्षर किये गये थे, अन्तरिम अवधि में जिसके दौरान कोयला खानें ऋण न ले सकीं समय कारक क्या था, ब्याज किस ने वहन किया है तथा भारत सरकार को क्या हानि हुई है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : वह तिथि तो मेरे पास नहीं है जब यह ऋण दिया गया था परन्तु यह कुछ समय पूर्व था। इस अवधि में रुपया वित्त पाने की कठिनाई महसूस की गई थी।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न।

†**श्री जसवंत मेहता** : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। कोयला खानों द्वारा स्वीकृत ऋण न ले सकने के कारण भारत सरकार को कितनी अन्तरिम हानि उठानी पड़ी थी ?

†**श्री ब० रा० भगत** : अन्तरिम हानि कोई नहीं है। यह गैर सरकारी कोयला खानों के बारे में है और हानि राष्ट्रीय हानि है।

†अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न श्री प्रकाशवीर शास्त्री।

†श्री जसवन्त मेहता : श्रीमान्, आप ही मेरी सहायता कर सकते हैं

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि वह नहीं जानते

†**श्री जसवन्त मेहता** : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। क्योंकि भारत सरकार ने गारन्टी दी थी और ऋण नहीं लिया गया था, तो भारत सरकार को ब्याज देना ही पड़ता था। प्राक्कलन समिति ने भी इसकी आलोचना की है।

†**श्री ब० रा० भगत** : वह विश्व बैंक के ऋण के बारे में है। माननीय सदस्य गारन्टी का निर्देश करते हैं। एक तरह का कमीशन लिया जाता है परन्तु वह सदा कुछ अवधि के बाद ही आरम्भ होता है। यह विशेष संगणना मेरे पास नहीं है कि कितना कमीशन लिया जायेगा परन्तु यदि एक पृथक प्रश्न की सूचना दी जाये तो मैं अवश्य ही उत्तर दूंगा।

लेडी हार्डिंग मेडिकल कालिज, नई दिल्ली

†१०३१. **श्री प्रकाशबीर शास्त्री** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९४८ से १९५८ तक आठ व्यक्ति लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज, नई दिल्ली के प्रिंसिपल के पद पर काम कर चुके हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस समय जो प्रिंसिपल हैं, उन्हें भी बदला जाने वाला है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं तथा इस प्रकार के परिवर्तनों को कम करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) से (ग) जी हां, यह सच है कि १९४८ से १९५८ तक छः व्यक्ति (न कि आठ) प्रिंसिपल के पद पर काम कर चुके हैं किन्तु यह अधिकतर उपयुक्त व्यक्ति मिलने की कठिनाइयों तथा प्रशासकीय समस्याओं के कारण हुआ है। प्रिंसिपल के पद पर इस समय काम करने वाली महिला अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना की एक अफसर हैं और वह लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज में डेप्युटेशन पर हैं। उन्हें अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना में वापस बुलाया जा रहा है, जहां उन की सेवाओं की आवश्यकता है। सरकार हमेशा यह प्रयास करती है कि ऐसे महत्वपूर्ण पदों पर दीर्घकालीन आधार पर नियुक्ति की जाय।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या मैं जान सकता हूं कि जो वर्तमान प्रिंसिपल लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज में हैं वे ही सब प्रिंसिपलों में से ऐसी हैं जो देर तक वहां रही हैं केवल अपनी योग्यता और अपनी सेवा के आधार पर ? जहां तक उन को बदले जाने का सम्बन्ध है, कालेज से सम्बन्धित संसद् सदस्य

अध्यक्ष महोदय : यहां पर किसी सदस्य की ओर से ऐसा सवाल नहीं आना चाहिये जिस का किसी व्यक्ति की योग्यता पर आधार हो। यह एक प्रकार से रिप्रेजेन्टेशन समझा जाता है, और यह ठीक नहीं है। जब माननीय सदस्यों को नुक्ता चीनी नहीं करनी चाहिये तो प्रशंसा भी नहीं करनी चाहिये। मैं ने इस सवाल को इस लिए ऐडमिट किया था कि उस के पहले पार्ट में पूछा गया था कि इतने अर्से में इतने प्रिंसिपल वहां क्यों आये। अगर एक व्यक्ति के लिए होता तो मैं इस की इजाजत न देता। आप जेनरल सवाल कीजिये।

श्री प्रकाशबीर शास्त्री : क्या मैं जान सकता हूं कि अब जो प्रिंसिपल नियुक्त होने वाली हैं उन के सम्बन्ध में जो डाक्टरों का अपना बोर्ड है और जो इस कालेज से सम्बन्धित संसद् सदस्य हैं उन की राय उन के विपरीत है फिर भी उन को आश्वासन इसलिये दिया गया है कि स्वास्थ्य मंत्रालय में उन के शुभचिन्तक बैठे हैं ?

डा० सुशीला नायर : जी, यह सरासर गलत है।

अध्यक्ष महोदय : अगर इसी तरह से फिर इनसिनुएशन करना है तो कोई फायदा नहीं। आप चाहें तो कोई और सवाल कीजिये।

श्री प्रकाशबीर शास्त्री : सब से बड़ी बात, अध्यक्ष महोदय, यह है कि राजधानी में इस प्रकार

अध्यक्ष महोदय: यह चीज सप्लिमेंटरी में तो नहीं आ सकती। आप कोई दूसरा तरीका इस के लिये लेते। बहरहाल और कोई सवाल पूछना हो तो पूछिये।

श्री प्रकाशबीर शास्त्री : मैं जानना चाहता हूं कि अगर कोई उत्तम और योग्य डाक्टर अंशदायी स्वास्थ्य योजना से प्रिंसिपल के पद के लिये मिला हो, और वह उपयुक्त हो, तो उस को वहां रखने में क्या हानि है, जिस में कि कालेज को लाभ पहुंच सके ?

डा० सुशीला नायर : कालेज के लाभ के लिए ही अपनी बुद्धि के अनुसार उत्तम से उत्तम तरीका इस्तेमाल किया जाता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कपूर सिंह** : क्या मैं जान सकता हूं कि अब भी ऐसी न्यूनतम अवधि निर्धारित करने वाला कोई नियम या प्रथा है जिसके दौरान किसी सरकारी पदाधिकारी को सामान्यता बदला नहीं जाना चाहिये ?

डा० सुशीला नायर : जी नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है, और जैसा कि मैंने निवेदन किया उन को एक विभाग से दूसरे विभाग में रखा गया था । पहले विभाग को उन की आवश्यकता है पब्लिक सर्विस कमिशन

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य खास तौर से उन के लिये नहीं कह रहे हैं । उनका तो जनरल क्वेश्चन है कि आया ऐसा कोई रूल है ।

डा० सुशीला नायर : जी नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है ।

†**श्रीहेम बरुआ** : यह देखते हुए कि कालेजों के प्रिंसिपलों को जब इतनी जल्दी जल्दी बदला जाता है * * *

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति । मुझे अफसोस है कि उन्हों ने ऐसी बात कही है ।

†**श्री हेम बरुआ** : मैं इसे और तरह से पूछंगा । मैं कहता हूं कि जैसे आदमी अपनी कमीजें बदलता है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : सदन की महिला सदस्य इस पर बहुत नाराज होंगी ।

†**एक माननीय सदस्य** : इसे निकाल देना चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : हां, इसे निकाल दिया जायेगा ।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : मैं निवेदन करती हूं कि इसे निकाल दिया जाना चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि महिला सदस्य इस के केवल निकाल दिये जाने से ही सन्तुष्ट हैं, तो उस का मैं ने पहले ही आदेश दे दिया है । अब यदि वह कोई अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहती हैं तो पूछ सकती हैं ।

†**डा० सुशीला नायर** : मैं कहना चाहती हूं कि माननीय सदस्य को क्षमा मांगनी चाहिये । इस तरह से बोलना स्त्रियों के प्रति अपमान है ।

†**श्री हेम बरुआ** : इस में क्या आपत्ति है ? मैं इसे एक अलग तरीके से पूछ लेता हूं । क्या सरकार ने

†**श्री सोनावन** : इस में गलती क्या है ? अपमान कहां होता है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं ने कह दिया है कि इस में खराबी है ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या सरकार ने इस तथ्य को देखा है कि जब कालेजों के प्रिंसिपल इस तरह बदले जाते हैं जैसे कि आदमी अपनी कमीजें बदलता है

†**अध्यक्ष महोदय** : वह इस तरीके से फिर क्यों पूछते हैं ? क्या वह अनुपूरक पूछना चाहते हैं ? नहीं तो मैं किसी दूसरे माननीय सदस्य को बुला रहा हूं ।

†**श्री हेम बरुआ** : मेरा प्रश्न यह है कि क्या जल्दी जल्दी ये बदलियां करने से संस्थाओं में शिक्षा के स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा और क्या सरकार ने इस चीज को ध्यान में रखा है या नहीं ।

---

* * * अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार निकाल दिया गया ।

†मूल अंग्रेजी में ।

†**डा० सुशीला नायर** : क्या उन्हों ने प्रश्न से 'कमीज़ों' वाली बात वापिस ले ली है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्हें इस बारे में चिन्ता करने की जरूरत नहीं है ।

†**डा० सुशीलानायर** : मैं निवेदन करना चाहती हूं

†**अध्यक्ष महोदय** : उस का सम्बन्ध आदमियों से था । इसलिये मैं ज्यादा एतराज नहीं करूंगा ।

†**डा० सुशीला नायर** : मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करती हूं कि आदमियों की कमीज़ों या औरतों की साड़ियों की एक मेडिकल कालेज की प्रिंसिपल से तुलना करना बहुत ही आपत्तिजनक है और उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं देनी चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब प्रश्न का उत्तर क्या है ?

†**डा० सुशीला नायर** : आप की आज्ञा का पालन करने में मुझे खुशी होगी लेकिन जिस रूप में उन्हों ने प्रश्न पूछा है उस रूप में मैं इस प्रश्न का उत्तर देना नहीं चाहती .

(अन्तर्बाधायें)

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति ।

†**श्री हेम बरुआ** : एक औचित्य प्रश्न पर ।

†**श्री जसवन्त मेहता** : एक औचित्य प्रश्न पर ।

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति । मैं ने उन्हें प्रश्न का उत्तर देने के लिए कह दिया है ।

†**डा० सुशीला नायर** : कालेज के हितों को पूरी तरह से ध्यान में रखा गया है और जो कुछ भी किया जा रहा है, जैसाकि हम जानते हैं और हमारी धारणा है, वह कालेज के हित के लिए ही किया जा रहा है ।

श्री शिव नारायण : अध्यक्ष महोदय, मैं भी एक सवाल पूछना चाहता था ।

अध्यक्ष महोदय : अब आप भी कपड़े में जायेंगे या साड़ियों में ।

पाकिस्तान की ओर बह गये लकड़ी के स्लीपर

+

†*१०३२. { **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री च० का० भट्टाचार्य :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २३ मार्च, १९६३ को जम्मू से १८ मील दूर चिनाव नदी में एक लाख लकड़ी के स्लीपर पाकिस्तान की ओर बह गये ; और

(ख) यदि हां, तो लकड़ी को बाढ़ से बचाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन)**: (क) भारत सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि चिनाब नदी में बाढ़ आने के कारण २३ मार्च, १९६३ को बहुत बड़ी मात्रा में इमारती लकड़ी पाकिस्तान को बह गई । उस लकड़ी की ठीक-ठीक मात्रा ज्ञात नहीं है ।

(ख) चिनाब नदी पर अखनूर के निकट लकड़ी एकत्रित करने के लिये बहुत से जंगले लगाये गये हैं । तथापि, बाढ़ के समय कभी कभी यह जंगले रास्ता दे देते हैं तथा लकड़ी नीचे की ओर बह जाती है ।

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या यह सच नहीं है कि इस से पहले भी एक अवसर पर इस प्रकार के स्लीपर बह गये थे और यदि हां, तो यह देखने के लिये कि आगे फिर स्लीपर इस प्रकार से न बहें क्या निवारक कदम उठाये गये हैं ?

†**श्री अलगेशन** : कदाचित यह सम्भव नहीं होगा कि कुछ भी लकड़ी को पाकिस्तान में बह जाने से रोका जा सके । नदी में जंगले बना दिये गये हैं परन्तु जिस समय बाढ़ बहुत तीव्र होती है उस समय वे हट जाते हैं तथा किसी भी प्रकार से लकड़ी नीचे की ओर बह जाती हैं । ठेकेदार लोग भी, धार में नीचे की ओर उन को पकड़ने के विचार से इस लकड़ी को नदी में बह जाने देते हैं । कभी कभी वह पाकिस्तान तक भी बह जाती है ।

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि काश्मीर से बिना किसी इच्छा के पाकिस्तान को लकड़ी का सम्भरण हो जाता है, क्या इस से काश्मीर के सम्बन्ध में पाकिस्तान की क्षुधा शान्त हो जाती है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : अनुपूरक प्रश्नों में जानकारी पूछी जानी चाहिये ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : जिन लोगों के स्लीपर बह गये हैं उन को लगभग कुल कितनी हानि हुई है । ? क्या इन सब हानियों की पूर्ति सरकार द्वारा की जायेगी अथवा वह सम्बन्धित व्यक्तियों को ही भुगतनी पड़ेगी अथवा पाकिस्तान सरकार द्वारा इन हानियों की पूर्ति की जायेगी ?

†**श्री अलगेशन** : सिन्धु पानी सन्धि की शर्तों के अधीन पाकिस्तान का यह कर्तव्य है कि वह हमें बह जाने वाली लकड़ी की मात्रा के सम्बन्ध में सूचित करे तथा उसे निकालने के ऊपर किये गये व्यय को काटकर उसकी लागत को हमें देने की व्यवस्था करे । इस व्यवस्था के अधीन, पाकिस्तान सरकार उस लकड़ी की लागत को देने के मार्गोपायों पर विचार कर रही है जो कि वहां बह कर जा चुकी है ।

†**श्री तिरुमल राव** : इन लकड़ी के स्लीपरों की सुरक्षा के लिये कौन उत्तरदायी था ? लकड़ी के स्लीपर खाद्य तथा कृषि मंत्रालय द्वारा चुने जाते हैं, रेलवे मंत्रालय को उनकी आव-आवश्यकता होती है तथा मेरे माननीय मित्र द्वारा नदी के मार्ग से उनका परिवहन किया जाता है । यह दूसरा अवसर है जब कि सरकार को इतनी भारी हानि हुई है ।

†**श्री अलगेशन** : इसकी उसी समय पूर्वकल्पना कर गई थी जब कि सिन्धु पानी सन्धि की शर्तों को अन्तिम रूप दिया गया था तथा लकड़ी की पुनः प्राप्ति के लिये सन्धि में कुछ उपबन्ध किया गया है । वह विचाराधीन है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह यह जानना चाहते हैं कि इसके लिये कौन उत्तरदायी था । इससे तीन मंत्रालय सम्बन्धित हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अलगेशन** : जहां तक इसका सम्बन्ध है, यह मेरा उत्तरदायित्व है । उत्तरदायित्व के अन्य क्षेत्रों के सम्बन्ध में मैं नहीं जानता ।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य** : समाचार पत्रों में एक समाचार यह था कि यह स्लीपर पाकिस्तान में नीलामी करके बेचे गये थे । इस नीलामी से जो धन पाकिस्तान ने वसूल किया है क्या भारत सरकार ने उसको वापस लेने के लिये कोई प्रयत्न किया है ?

†**श्री अलगेशन** : जो कुछ भी किया जायेगा वह हमारे परामर्श में किया जायेगा । यदि लकड़ी की कीमत वसूल करने का वह सर्वोत्तम ढंग है तो उसे स्वीकृत किया जायेगा तथा हमें धन वापस मिल सकेगा ।

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : पिछले कुछ ही महीनों में दो बार लाखों स्लीपर बह कर पाकिस्तान चले गए । अखबारों में इस आशय का समाचार प्रकाशित हुआ है कि कुछ अफ़सरों ने जान बूझकर लापरवाही की जिससे ऐसा हुआ । क्या सरकार ने इसकी जांच की है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि क्या कुछ अधिकारियों ने कोई लापरवाही की थी और क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई है ।

†**श्री अलगेशन** : जी, नहीं । ऐसी किसी लापरवाही से मैं अवगत नहीं हूं ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या माननीय मंत्री किन्हीं कारणों से यह संदेह करते हैं कि या तो सीधे पाकिस्तानी अभिकर्ताओं द्वारा अथवा पाकिस्तानी अभिकर्ताओं के साथ मिलकर षड्यंत्र रचकर ठेकेदारों द्वारा कोई छल कपट का कार्य किया गया है ?

†**श्री अलगेशन** : मैं ऐसा नहीं समझता ।

†**डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी** : क्या यह कार्य प्रतिवर्ष होता है और यदि हां, तो क्या सरकार यह बता सकती है कि पिछले वर्षों में ऐसा कतनी बार हुआ है तथा इस सम्बन्ध में कितनी धन हानि उठानी पड़ी है ?

†**श्री अलगेशन** : हमें यह बताया गया है कि अप्रैल, १९६१ से दिसम्बर, १९६२ तक लगभग ७,००० धन फुट लकड़ी बह गई है । अभी तक हमें कुछ भी धन नहीं मिला है परन्तु धन प्राप्त करने के मार्गोपाय अब विचाराधीन हैं ।

श्री प्रकाशबीर शास्त्री : अभी यह बताया गया कि इससे एक महीने पहले लाखों स्लीपर बह कर पाकिस्तान चले गए । लेकिन इस साल जो पबलिक एकाउंट्स कमेटी की रिपोर्ट निकली है उससे पता लगता है कि एक वर्ष पहले भी कई लाख स्लीपर इसी तरह काश्मीर से बह कर पाकिस्तान चले गए थे : क्या सरकार के पास अब तक के इस प्रकार के आंकड़े हैं कि कितने लाख स्लीपर बह कर पाकिस्तान चले गए हैं और इससे भारत सरकार को कितनी आर्थिक हानि उठानी पड़ी है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न इस सम्बन्ध में है कि कुल कितनी लकड़ी हमारी नदियों से पाकिस्तान में बह गई है तथा इन स्लीपरों का अनुमानित मूल्य कितना होगा ।

†**श्री अलगेशन** : हमें यह आंकड़े हिमाचल प्रदेश प्रशासन तथा काश्मीर सरकार से प्राप्त होते हैं परन्तु मैं ने जो आंकड़े बताये हैं इस समय केवल वही मेरे पास हैं ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री कपूरसिंह** : क्या इस प्रकार के मामलों को निबटाने के लिये भारत तथा पाकिस्तान के बीच कोई अंतर्राष्ट्रीय करार है अथवा इन मामलों को हम तदर्थ आधार पर निबटाते हैं ?

†**श्री अलगेशन** : मैं ने यह बताया था कि सिन्धु पानी सन्धि के अधीन इस बात की पूर्वकल्पना कर ली गई थी ।

†**श्री श्याम लाल सर्राफ** : क्यों कि अभी तक नदी में उपयुक्त जंगले लगाने के विदेशी विशेषज्ञों के साथ किये गये भी सभी प्रयत्न असफल हो गये हैं, क्या मैं यह जान सकता हूं कि विशेष रूप से इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ऐसी हानियां लगभग प्रतिवर्ष होती हैं, क्या उन सभी हानियों की गणना कराने के लिये सरकार इस प्रश्न को पाकिस्तान सरकार के साथ उठायेगी जैसे कि अन्य मामले उठाये जा रहे हैं ?

†**श्री अलगेशन** : हमारा सिन्धु पानी आयुक्त निरन्तर पत्र व्यवहार कर रहा है तथा इस प्रश्न पर हमारे आयुक्तों तथा पाकिस्तान आयुक्त के बीच होने वाली बैठकों में चर्चा की जाता है और निरन्तर इस प्रश्न की जांच की जा रही है ।

नगर निगमों के लिये एकरूप विधान

*१०३३. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान अखिल भारतीय महापौर परिषद् की इन सिफारिशों की ओर दिलाया गया है कि देश भर के नगर-निगमों के लिए एकरूप विधान अधिनियमित किया जाना चाहिए ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के लिए एक समिति नियुक्त करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी हां :

(ख) जी नहीं । देश में राष्ट्रीय संकट-कालीन स्थिति को दृष्टि में रखते हुये, इस समिति की स्थापना को स्थगित करने का निश्चय किया गया है ।

†**श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** : श्रीमान्, क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर गया है कि हमारे जो बड़े बड़े शहर हैं उनके अलग अलग नियम हैं और अलग अलग कानून हैं, जिसकी वजह से उनके काम में यूनीफारमिटी लाने में और विकास कार्य में काफी दिक्कत होती है ? क्या इस स्थिति को सुधारने के लिए सरकार कोई कदम उठाने वाली है ? यदि हां तो कब तक ?

डा० सुशीला नायर : यह बात सही है कि अलग अलग शहरों के कानूनों में फ़र्क होने से कठिनाइयां पेश आती हैं । इस कठिनाई को दूर करने के विचार से अभी अभी भारत सरकार ने एक कमेटी की नियुक्ति की है और उसके टर्म्स आफ़ रेफेरेंस में यह सवाल, जो माननीय सदस्य ने उठाया है, शामिल है ।

श्री भागवत झा आजाद : क्या सरकार ने स्वयं इतने वर्षों इस प्रकार की कोई जांच की है जिस के द्वारा यह स्पष्ट हो जाए कि जो ये विभिन्न कानून में इनमें एकरूपता लाना बहुत आवश्यक है ?

डा० सुशीला नायर : श्रीमन्, इस सारी चीज़ के बारे में मेयर्स कानफ्रेंस ने सिफारिश की थी और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मिनिस्टर्स ने भी उसके बारे में एक मिनिस्टरों की कमेटी बनाना

†मूल अंग्रेजी में

तै किया था। लेकिन चूंकि इस संकटकालीन परिस्थिति में मिनिस्टरों के पास समय नहीं होगा, इसलिए वह कमेटी स्थगित कर दी गयी थी। अभी एक कमेटी श्री बलवन्त राय मेहता की चेयरमैनशिप में नियुक्त की गयी है, जिसके टर्म्स आफ रेफेरेंस ये हैं :

†"नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों का सीमांकन करने के लिये कसौटी निर्धारित करना, नगरीय ग्रामीण निकायों तथा पंचायती राज संस्थानों के बीच सम्बन्धों के सम्बन्ध में सिफारिशें करना, नगरीय स्थानीय निकायों का ढांचा तथा वित्त व्यवस्था निर्धारित करना——"

जो सवाल माननीय सदस्य बता रहे हैं वह इसमें शामिल हो जाएगा।

श्री भक्त दर्शन : इस प्रश्न के द्वारा यह पूछा गया था कि क्या नगर निगमों की स्थिति का अध्ययन करने के लिए एक समिति बनायी जाएगी। मेरी समझ में नहीं आया कि संकटकालीन स्थिति के कारण इसमें क्या कठिनाई है क्योंकि इसमें कोई आर्थिक उत्तरदायित्व तो नहीं आता है ?

डा० सुशीला नायर: श्रीमान्, लोकल सैल्फ़-गवर्नमेंट मिनिस्टर्ज़ की कांफ्रेंस में जो कमेटी बनाने का तय हुआ था, उस में पांच छः स्टेट्स के लोकल सैल्फ़-गवर्नमेंट के मिनिस्टर्ज़ थे। संकट कालीन स्थिति के दरमियान वे लोग इस काम को समय दे सकेंगे, इस बारे में सब के मन में शंका थी। सब स्टेट गवर्नमेंटों के हां से पत्र आए थे कि इस समय इस कमेटी को स्थगित रखा जाये।

†**श्री वेंकटासुब्बया** : क्या मैं जान सकता हूं कि हमारे देश में एक धर्मनिरपेक्ष रूप के होते हुए भी क्या मद्रास में अभी तक यह प्रथा चल रहा है कि वहां महापौरों का चुनाव जाति प्रथा के आधार पर किया जाता है और यदि ऐसा है तो, क्या जो एकरूप विधान अधिनियमित किया जाना है उसके अनुसार यह प्रथा समाप्त हो जायेगी ?

†**डा० सुशीला नायर** : मेरी भी यह कामना है कि चुनावों में जातिवादों के विचारों से पीछा छुड़ाने के लिये विधान से मदद मिल सकती। मेरा विचार है कि उस सिद्धांत के लिये हम सभी को जिन्हें चुनाव लड़ना पड़ता है——कार्य करना होगा और यह केवल विधान द्वारा नहीं होगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न। श्री इन्द्रजीत गुप्त। अनुपस्थित। अगला प्रश्न। श्री वेंकटासुब्बया। डा० सिंघवी।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : प्रश्न संख्या १०३६।

भारत से सोने का चोरी छिपे बाहर ले जाया जाना

†*१०३६. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इन समाचारों का अध्ययन तथा जांच की है कि भारत में स्वर्ण नियन्त्रण आदेशों के लागू किये जाने तथा पड़ौसी देशों में सोने का अपेक्षतया अधिक मूल्य होने के कारण सोना भारत के बाहर चोरी छिप जाया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो भारत से सोने के चोरी छिपे बाहर ले जाये जाने को रोकने के लिये सरकार का क्या निवारक कार्यवाही करने का विचार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) इस प्रकार के तस्कर व्यापार की सम्भावना के प्रति भारत सरकार जागरूक है। तथापि, इस समय यह सोचने का कोई कारण नहीं है कि भारत से सोना चोरी छिपे बाहर ले जाया जा रहा है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या यह सच है कि भारत के कुछ पड़ौसी देशों में सोने के वर्तमान मूल्य बहुत अधिक हैं ?

†**श्री ब० रा० भगत** : बहुत अधिक का अर्थ मुझे ज्ञात नहीं है। परन्तु यह सच है कि हाल ही में देश में सोने के मूल्य में भारी कमी हुई है। इसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये हम प्रयत्न कर रहे थे और जैसा कि मैंने उत्तर में कहा है कि यह सम्भावना हो सकती है कि यदि भारत में मूल्य इतने कम हो जायें कि वह पड़ौसी देशों के मूल्यों से भी कम हों तो भारत से सोने को चोरी छिपे बाहर ले जाने की प्रवृत्ति हो जाये। परन्तु हम इस सम्बन्ध में बहुत जागरूक हैं। अभी तक हमारी जानकारी यही है कि इस प्रकार का कोई कार्य नहीं हुआ है।

†**डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी** : स्वर्ण नियन्त्रज़ कानून लागू किये जाने के पश्चात् इस देश से दूसरे देश को सोने को किसी भी मात्रा में चोरी छिपे बाहर ले जाये जाने की कोई विशिष्ट सूचना सरकार को प्राप्त हुई है अथवा उन्होंने कोई विशेष मामला पकड़ा है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : स्वर्ण नियन्त्रण कानून लागू किये जाने के पश्चात् अभी तक केवल एक मामला ऐसा हुआ है जिसमें सोने को चोरी छिपे बाहर ले जाये जाने का प्रयत्न किया गया था। परन्तु वह बहुत थोड़ी मात्रा में था——केवल ६० ग्राम। केवल इस एक मामले के अतिरिक्त जो कि हमारे ध्यान में आया है अन्य कोई मामला नहीं हुआ है और हम बहुत सतर्क हैं। हम निरन्तर निगरानी रख रहे हैं।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या सरकार का ध्यान हाल के कुछ महीनों में समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए इस आशय के समाचारों की ओर गया है कि राजनयिक थैलों में चोरी छिपे सोने को बाहर जाये जाने के प्रयत्न किये गये हैं और क्या सरकार का राजनयिक थैलों को तलाशी से छूट देने के सम्बन्ध में नियमों को बदलने का विचार है ?

†**श्री ब० रा० भगत**: इससे राजनयिक छूट के सम्बन्ध में एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है। अभी तक उन नियमों को पुनरीक्षित करने का कोई विचार नहीं है।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या सरकार का ध्यान बम्बई की चोरी छिपे काम करने वाले परिष्करणी में हाल ही में ५०,००० ग्राम सोने के बरामद होने तथा एक जौहरी से बरामद हुए, २,००० ग्राम सोने के मामले की ओर गया है ? क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में अपने को सन्तुष्ट कर लिया है कि यह सोना चोरी छिपे बाहर ले जाये जाने के लिये छिपा कर नहीं रखा गया था ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह एक भिन्न बात है। श्री मेहता।

†**श्री जसवन्त मेहता**: जो सोना छिपा कर रखा हुआ है उसके सम्बन्ध में क्या सरकार को कोई जानकारी है अथवा उसका कोई मूल्यांकन किया गया है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह एक बिल्कुल ही भिन्न बात है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार** : ऐसे समाचार थे कि पाकिस्तान में चोरी छिपे सोना ले जाने के एक या दो मामले हुए थे। क्या चोरी छिपे पाकिस्तान में सोना ले जाये जाने को रोकने के लिये सरकार के पास पर्याप्त साधन हैं ?

†**श्री ब० रा० भगत** : हमारे पास साधन हैं और जहां कहीं भी हमें कमियां दिखाई देती हैं हम उन साधनों को और दृढ़ बना देते हैं। जैसा कि मैंने बताया है, उस एक मामले के अतिरिक्त जिसका मैंने उल्लेख किया था, अन्य कोई मामला हमारे ध्यान में नहीं आया है।

श्री बड़े : क्या यह सच है कि पाकिस्तान और नेपाल में गोल्ड के जो करेंट रेट्स हैं, वे हिन्दुस्तान के रेट्स से बहुत ज्यादा हैं, इसलिए वहां गोल्ड जाने की ज्यादा पासिबिलिटी है ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि वहां पर क्या रेट्स हैं।

श्री भगत : इसका जवाब मैंने दे दिया है।

श्री बड़े: : मैंने पूछा है कि रेट्स क्या हैं।

अध्यक्ष महोदय : रेट्स उनको मालूम नहीं हैं।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या यह सच है कि सोने का तस्कर व्यापार करने वाले एक अन्तर्राष्ट्रीय दल से सम्बन्धित कुछ व्यक्ति हाल ही में दिल्ली में गिरफ्तार किये गये हैं और उनके पास कुछ सोना भी पकड़ा गया है और यदि हां, तो वे व्यक्ति कौन हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : भारत से चोरी छिपे सोना बाहर ले जाने के लिये ?

†**श्री स० मो० बनर्जी**: भारत में लाने के लिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : यहां हम भारत में चोरी छिपे सोना लाये जाने से सम्बन्धित नहीं हैं।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : वे लोग सोने के तस्कर व्यापार में लगे हुए हैं।

†**अध्यक्ष महोदय**: नहीं, नहीं। श्री यशपालसिंह।

श्री यशपाल सिंह : क्या मैं जान सकता हूं, कि स्वर्णकारों को जो चौदह कैरट का गोल्ड दिया जाता है, वह किस रेट पर दिया जाता है और उस के जेवर बेचने के लिए क्या रेट मुकर्रर है और दोनों में क्या प्रोपोर्शन है ?

अध्यक्ष महोदय : वह अलाहदा बात है।

†अब हमें अगले प्रश्न पर चलने दीजिये। श्री पी० सी० बरुआ।

†**श्री पें वेंकटासुब्बया** : मुझे खेद है कि मैं आपकी बात उस समय नहीं सुन सका था जबकि आपने प्रश्न संख्या १०३५ को पुकारा था।

†**अध्यक्ष महोदय**: अब उन्हें प्रतीक्षा करनी होगी। मुझ को दोष नहीं लगाना है। मैंने उन्हें पुकारा था, उनकी ओर देखा था और फिर भी उन्होंने नहीं सुना। मैं क्या कर सकता हूं ? यदि उनके पास कुछ अधिक अविलम्बनीय कार्य है तो मैं उनकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूं। अब, श्री पी० सी० बरुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में

इमारती इस्पात

†*१०३७.**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इमारती इस्पात बनाने के लिए एक विशेष कारखाना स्थापित करने का निर्णय किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री के सभा-सचिव (श्री सै० अ० मेहदी)** : (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है जिसमें अपेक्षित ब्यौरे दिये गये हैं ।

विवरण

राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम द्वारा आगरा में एक कर्मशाला स्थापित की गई है । इसमें मशीनों की मरम्मत का कार्य होता है और यथा समय इसमें ऐसे पुर्जों का निर्माण भी किया जायेगा जिनको आर्थिक रूप से लाभदायक स्थिति में कर्मशाला में निर्मित किया जा सकेगा । निगम के कार्य कलापों के विस्तार के परिणामस्वरूप, उसे इमारती इस्पात बनाने के कार्यों के लिये 'बेस' के रूप में भी उपयुक्त किया जायेगा ।

२. इमारती इस्पात बनाने के कार्य को ९ विभिन्न कार्यों में विभक्त किया गया है ; उदाहरणार्थ :—

(१) कटाई
(२) मोड़ना और सीधा करना
(३) खुदाई
(४) वैल्डिंग
(५) रिवेट करना
(६) मशीन शाप
(७) ढलाई और लोहारी
(८) सामग्री उठाना धरना और स्टैक करना
(९) परिवहन तथा निर्माण

३. इमारती इस्पात बनाने के कार्य के लिये ४० लाख रुपये के मूल्य की मशीन तथा उपकरण खरीदे जायेंगे ।

४. इस उपकरण की सहायता से निम्नलिखित लक्ष्यों को प्राप्त करना सम्भव होगा :—

(१) गढ़ाई	४,००० टन प्रतिवर्ष ।
(२) निर्माण	६,००० टन प्रतिवर्ष ।

---

†मूल अंग्रेजी में

तथापि, यह आशा की जाती है कि जैसे जैसे धीरे धीरे विकास होगा तथा कार्य-भार में वृद्धि होगी, तैसे तैसे ही यथा समय १५००० टन प्रतिवर्ष निर्माण करने के लक्ष्य तक पहुंचना सम्भव होगा।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या प्रस्तावित कारखाना हिन्दुस्तान इस्पात कारखाने की विस्तार योजना का एक भाग है, यदि हां, तो इस कारखाने की स्थापना में हिन्दुस्तान इस्पात कारखाना क्या सहायता करेगा ?

†**सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन)** : इसका हिन्दुस्तान स्टील की परियोजना से कोई सम्बन्ध नहीं है। यह कर्मशाला राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम द्वारा उनके कार्यों में जिनके लिये ढलाई आदि की आवश्यकता होती है सहायता देने के लिये स्थापित की गई है।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या गैर-सरकारी ठेकेदारों द्वारा क्रियान्वित की गई सरकारी क्षेत्रों की परियोजनाओं के निर्माण की लागत अधिक समझी जाती है; यदि हां तो इस कारखाने की स्थापना से सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं को स्थापित करने की लागत कहां तक कम हो जायेगी ?

†**श्री अलगेशन** : यह गणना की गई है कि यह कर्मशाला बहुत लाभदायक होगा तथा यह बहुत भारी प्रतिशत मात्रा में लाभांश कमायेगी।

†**डा० क० ल० राव** : क्या वैल्डिंग जैसे इस्पात का निर्माण करने के कार्यों के ठोस आधारों की जांच करने के कार्य में राज्य सरकार की सहायता करने के लिये सरकार ने कोई दल नियुक्त किया है ?

†**श्री अलगेशन** : मैं इससे अवगत नहीं हूं।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : क्या देश में इमारती इस्पात की आवश्यकता के सम्बन्ध में कोई मूल्यांकन किया गया है; यदि हां, तो क्या इस कर्मशाला की स्थापना किये जाने तथा उसमें पूर्ण गति से उत्पादन आरम्भ किये जाने के पश्चात् यह आवश्यकता पूरी हो जायेगी अथवा वह कितने प्रतिशत पूरी हो जायेगी ?

†**श्री अलगेशन** : यह सब विवरण में दिया गया है। प्रारम्भ में प्रतिवर्ष ४००० टन की गढ़ाई होगी।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह विवरण में दिया गया है, उन्हें यह दुहराने की आवश्यकता नहीं है।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : यह नहीं दिया हुआ है कि कितने प्रतिशत आवश्यकता पूरी हो जायेगी।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रतिशत मात्रा की गणना की जानी है; आंकड़े दिये हुए हैं।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : वहां यह भी नहीं दिया गया है कि कुल उत्पादन कितना होगा तथा इस देश की कुल आवश्यकता कितनी होगी।

†**श्री अलगेशन** : श्रीमन्, इसकी गणना कर ली गई है। प्रारम्भ में ४००० टन प्रतिवर्ष की गढ़ाई होगी तथा ६,००० टन प्रतिवर्ष का निर्माण होगा। अन्ततोगत्वा निर्माण १५,००० टन प्रतिवर्ष के लक्ष्य तक पहुंच सकता है। इससे उस निगम की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है।

†**श्री भागवत झा आजाद** : जिस ४० लाख रुपये की मशीन का उल्लेख विवरण में किया गया है क्या वह देश में उपलब्ध है; यदि नहीं, तो उस मशीन को प्राप्त करने में तथा कर्मशाला को चालू करने में सरकार को कितना समय लगेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अलगेशन** : इस कारखाने म पहले ही से कार्य प्रारम्भ कर दिया है। अधिकांश मशीनें विदेशों से मंगानी पड़ेंगी।

†**श्री कृ० चं० पंत** : इस कारखाने में कार्य कब प्रारम्भ हो जायेगा तथा किस समय तक १५,००० टन प्रतिवर्ष क उत्पादन लक्ष्य पर पहुंच जायेगा ?

†**श्री अलगेशन** : जैसा कि मैंने कहा है, उसने थोड़ा सा कार्य प्रारम्भ कर दिया है। उसने २६ नयी खरीदी गई ट्रकों की बाडियां बनाई हैं जो कि इस समय विभिन्न परियोजनाओं में काम में लाई जा रही हैं। उसने ८० फीट की लम्बाई वाले दो डैरिक भी बनाये हैं जो कि नेपाल को ले जाये गये थे। भूमि अर्जन का कार्य चल रहा है। पूरी भूमि अर्जित हो जाने के पश्चात् . .

†**अध्यक्ष महोदय** : लक्ष्य पर कब तक पहुंचा जायेगा ?

†**श्री अलगेशन** : १५,००० टन के लक्ष्य के सम्बन्ध में मैं नहीं बता सकता।

बागान श्रमिक आवास योजना

†*१०३८. **श्री प० कुन्हन** : क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी योजना के पहले दो वर्षों में बागान श्रमिक आवास योजना में क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) इस सम्बन्ध में अब तक कुल कितना व्यय हुआ है ?

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) और (ख). तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम दो वर्षों में राज्य सरकारों ने इस योजना के अधीन ३०० घरों के निर्माण के लिये ८ लाख ३० हजार रुपये के ऋण मंजूर किये हैं। इस अवधि में जो घर पूरे बना कर तैयार किये गये हैं उनकी संख्या ३३० है जिसमें कि वह घर भी सम्मिलित हैं जिनका कि निर्माण कार्य द्वितीय पंचवर्षीय योजना से चला आ रहा था। इन दो वर्षों में ४ लाख २३ हजार रुपया व्यय किया गया है।

†**श्री प० कुन्हन** : इस योजना की मन्द प्रगति होने के क्या कारण हैं ? इस योजना की क्रियान्विति को तीव्र गति से करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

†**श्री पू० शे० नास्कर** : इस योजना की मन्द प्रगति का एक कारण यह है कि योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता में केवल ऋण ही सम्मिलित है। दूसरे, बागान लगाने वाले दिये जाने वाले ऋणों के लिये जमानत देने की स्थिति में नहीं है। इस मामले की जांच करने के हेतु मार्गोपायों को खोजने के लिये तथा यह देखने के लिये कि स्थिति में किस प्रकार सुधार किया जाय श्रम और रोजगार मन्त्रालय में एक कार्यकारी दल स्थापित किया गया है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या यह सच है कि माननीय मन्त्री द्वारा दिये गये सब आश्वासनों के बावजूद भी ५०० परिवार अभी तक स्यालदा स्टेशन के निकट अनधिकवास किये पड़े हैं। उन लोगों को अनधिवास करने वाले लोगों की कालोनी में उठा कर बसाने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : यहां हम केवल बागान श्रमिकों के सम्बन्ध म प्रश्नोत्तर कर रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

लघु-जल विद्युत् योजनायें[1]

†*१०३९. **श्री हेम राज :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग ने किन लघु-जल विद्युत् योजनाओं को स्वीकृति दे दी है ;

(ख) ये किन स्थानों पर स्थापित हैं ; और

(ग) १९६३–६४ में इनमें से कितनी पूरी किये जाने के लिये ली जा रही हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री के सभा सचिव (श्री सै० अ० मेहदी) :** (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख) तीसरी योजना में क्रियान्विति के लिए निम्नलिखित लघु जल-विद्युत् योजनायें स्वीकार की गईं:—

(१) उत्तर प्रदेश में उत्तरकाशी (२ × १०० किलोवाट)

(२) उत्तर प्रदेश में चमोली (२ × १०० किलोवाट)

(३) मध्य प्रदेश में मड़ावाट (२ × १२० किलोवाट)

(४) हिमाचल प्रदेश में भारमोर (१५ किलोवाट)

(५) नेफा में बोमडीला (३ × २० किलोवाट)

(ग) उपरोक्त (४) परियोजना अभी पूरी नहीं हुई है (१) तथा (२) की योजनायें आशा है कि १९६५ में पूरी हो जाने की आशा है। (३) तथा (५) की योजनाओं के पूरा होने की लक्ष्य तिथि अभी मालूम नहीं हुई है।

†**श्री हेम राज** देश : में केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग द्वारा चालू की गई लघु-जल विद्युत् योजनायें कितनी हैं तथा कितनी योजनाओं को अन्तिम रूप दे दिया गया है ?

†**श्री सै० अ० मेहदी :** विवरण में पांच योजनायें है जिनमें से एक पूरी हो चुकी है। तीन के १९६५ तक पूरी हो जाने की आशा है। शेष की लक्ष्य तिथि बनाई जा रही है।

†**श्री हेमराज :** क्योंकि हिमालय में बहुत जल विद्युत् है इसलिए क्या पंजाब और उत्तर प्रदेश की अन्य योजनाओं के सम्बन्ध में कोई जांच की गई है ?

†**श्री सै० अ० मेहदी :** जी हां। उत्तर प्रदेश में चार योजानायें ; जम्मू तथा काश्मीर राज्य में लगभग ६ तथा हिमाचल प्रदेश में एक।

†**श्री हेमराज :** पंजाब के बारे में क्या है ?

†**श्री सै० अ० मेहदी :** हिमाचल प्रदेश पंजाब में ही है।

†**श्री हेमराज** पंजाब में नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Micro Hydel Schemes

†**श्रीमती सावित्री निगम :** माननीय मन्त्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश में चार योजनायें हैं। वह चारों योजनायें किस स्थिति में हैं तथा क्या उत्तर प्रदेश में अन्य योजनाओं की सम्भावना का सर्वेक्षण करने की योजना बनाई गई है ?

†**श्री सै० अ० मेहदी :** उत्तर काशी तथा चमोली की दो योजनायें विवरण में बताई गई हैं। अन्य पांच योजनाओं के परियोजना प्रतिवेदन अभी नहीं बनाये गये है। वे बनाये जा रहे हैं।

†**श्री भागवत झा आजाद:** इन पांच परियोजनाओं की प्रगति की सराहना करते हुए मैं जानना चाहता हूं कि (३) तथा (५) के बारे में बताया गया है कि लक्ष्य तिथि मालूम नहीं है। क्या हमको इसके कारण बताये जा सकते है। जहां तक मध्य प्रदेश में बेडाघाट की योजना का सम्बन्ध है क्या हम यह समझें कि परियोजना को पूरा करने के लिए जितना समय वह चाहें उतना समय वह ले सकते है।

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन) :** मैं आशा करता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार योजना में शीघ्रता करेगी।

†**श्री भागवत झा आजाद :** लक्ष्य तिथि क्या है ? क्या वह अपनी संसद् की तिथि रख सकते हैं ?

†**श्री अलगेशन :** हमें जानकारी नहीं है।

†**श्री बड़े :** आपने विवरण में बताया गया है

†**अध्यक्ष महोदय :** मैंने कुछ नहीं बताया है।

†**श्री बड़े :** मुझे खेद है। विवरण में यह बताया गया है कि मध्य प्रदेश में बेडाघाट की योजना की कोई लक्ष्य तिथि मालूम नहीं है। क्या मध्य प्रदेश सरकार का विचार नर्मदा घाटी परियोजना के साथ साथ उस योजना को आरम्भ करेगा।

†**श्री अलगेशन :** यह बहुत छोटी योजना है। इसको नर्मदा घाटी परियोजना में शामिल नहीं किया गया है।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** बोमडोला की लघु-जल विद्युत् योजना किस महीने तक किस वर्ष में चालू की गई थी तथा परियोजना प्रतिवेदन बनाने और परियोजना आरम्भ करने में इतना समय क्यों लगा ?

†**श्री अलगेशन :** मुझे जानकारी नहीं है।

पश्चिम बंगाल में अनधिकारवासियों की बस्तियां

+

†*१०४०. **श्री मुहम्मद इलियास :**
श्री दीनेन भट्टाचार्य :

क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में अनधिकारवासियों की बस्तियों के विनियमन तथा विकास को शरणार्थियों के पुनर्वास से संबंधित अवशिष्ट समस्याओं में शामिल कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो मामले में आगे कार्यवाही करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) जी हां ।

(ख) दिसम्बर, १९६२ तक पश्चिम बंगाल की १४८ विनियमित की जाने वाली बस्तियों में से १०८ का पूरा नियमन कर दिया गया है तथा ५ का अंशतः किया गया है । इस विनियमन के अधीन १३,००० परिवार आते हैं । शेष बस्तियों के बारे में आरम्भिक कार्य जैसे गणना, फोटोग्राफी तथा सर्वेक्षण पूरा हो चुका है तथा अग्रिम कार्यवाही को पूरा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा शीघ्र कार्यवाही की जा रही है । विकास के प्रस्तावों की जांच राज्य सरकार से प्राप्त होने पर तथा आवश्यक स्वीकृति मिलने पर की जायेगी ।

†**श्री मुहम्मद इलियास** : पश्चिम बंगाल में ऐसी अनधिकारवासी बस्तियां कितनी हैं जहां से शरणार्थियों को निकाल बाहर किया गया तथा जिन का अभी तक पूर्णतः पुनर्वास नहीं किया गया है । सरकार का विचार अनधिकारवासी बस्तियों से बाहर फेंके गये शरणार्थियों को पुनर्वासित करने के लिए कोई कार्यवाही करने का है तथा क्या जमीदारों को जमीन दी जा रही है ?

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : पंजाब सरकार द्वारा १४८ अनधिकारवासी बस्तियों की गणना करनी है तथा विनियमन करना है । माननीय सदस्य जिन अन्य बस्तियों का उल्लेख कर रहे हैं उन की मुझे कोई जानकारी नहीं है ।

†**श्री मुहम्मद इलियास** : मेरे मित्र श्री बनर्जी बता रहे थे तथा जिन के बारे में समाचारपत्रों में समाचार प्रकाशित हो चुके हैं कि सियालदह में ५०० शरणार्थी परिवारों का उत्पीड़न हो रहा है । सरकार सियालदह स्टेशन पर पड़े हुए शरणार्थियों का पुनर्वास करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : यह अनधिकारवासी बस्तियों के बारे में है ।

†**श्री मुहम्मद इलियास** : हम जानते थे कि माननीय मंत्री का यही उत्तर होगा । क्या सरकार इन अनधिकारवासियों के लिए मानवता के नाम पर भी कुछ करने को तैयार नहीं है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह मानवता के नाम पर अपील है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या मैं जान सकता हूं...

†**अध्यक्ष महोदय** : उन का प्रश्न श्री इलियास द्वारा पूछा जा चुका है ।

†**श्री मेहरचन्द खन्ना** : उनके प्रश्न का उत्तर हाल में ही मैंने दे दिया है । सियालदह स्टेशन की बहुत पुरानी समस्या है । मैंने इस को कई बार स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है और अब इसको स्पष्ट करने का मेरा बिचार नहीं है । जो शरणार्थी पहले से पड़े हुए हैं वह अपनी बस्तियों में पुनः लौट सकते हैं । जो शरणार्थी उन में नहीं हैं वह पश्चिम बंगाल पर भार हैं ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : सियालदह स्टेशन तथा उसके आस पास रहने वाले शरणार्थी परिवार क्या निश्चित रूप से शरणार्थी हैं तथा यदि हां, तो क्या उन को केन्द्र सरकार अथवा पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा किसी बस्ती में वैकल्पिक स्थान दिया गया है ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : यह पश्चिम बंगाल की बस्तियों से भागे हुए लोग हैं । मैं उनको उन बस्तियों में ले जाने को तैयार हूं जहां से वह आये हैं । जो शरणार्थी नहीं हैं उनका भार मुझ पर नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

जनपथ होटल, नई दिल्ली

+

†*१०४१. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री उलाका :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री राम हरख यादव :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री ७ सितम्बर, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ८५७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में जनपथ होटल के विस्तार के बारे में नवीनतम प्रगति क्या है ;

(ख) जनपथ होटल का विस्तार कब तक हो जायेगा ; और

(ग) क्या सरकार होटल को चलाने के लिए एक सरकारी कम्पनी बनाने का विचार कर रही है ?

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० शे० गास्कर):** (क) और (ख) मामला विचाराधीन है ।

(ग) जी हां ।

†**श्री धुलेश्वर मीना :** क्या मैं जान सकता हूं कि इस जनपथ होटल में कुल कितना रुपया खर्च हुआ और बाद में इस को ऐक्सपेंड करने में कितना खर्चा होगा ?

निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना): जनपथ होटल पर जो खर्च हुआ वह मेरे ख्याल में कोई ७०-८० लाख रुपया है । यह मुनाफ़े में चल रहा है इसमें घाटा नहीं है । लेकिन जो मेरी तकलीफ़ है वह यह है कि मालिक तो मकान का मैं हूं और होटल को चलाने वाला कोई दूसरा है, बोलगा वाला है । उसके बारे में कुछ शिकायतें हो रही हैं । अब हमारा ख्याल यह है कि हम जनपथ होटल को बतौर एक हंड्रेड परसेंट गवर्नमेंट कंसर्न के पब्लिक सैक्टर में चलायेंगे ।

श्री धुलेश्वर मीना : जसा कि मंत्री महोदय ने स्टार्ड क्वैश्चन नम्बर ८५७ के जवाब में ७ सितम्बर, १९६२ को बतलाया था कि जनपथ होटल को ऐक्सपेंड करने के सिलसिले में मिन्टो रोड पर और एक दूसरी बिल्डिंग बनाई जायेगी, तो मैं जानना चाहता हूं कि वह दूसरी बिल्डिंग कब तक बन कर तैयार हो जायगी ?

श्री मेहरचन्द खन्ना : दो बिल्डिंग्ज़ बन रही हैं । एक बन रही है लोदी कालोनी में और दूसरी जो मिंटो रोड वाली है वह भी सैंकशन हो चुकी है । इस साल हमने पन्द्रह करोड़ रुपये की स्कीमें तकरीबन, दिल्ली में जनरल पूल एकामोडेशन को बढ़ाने के लिए, चाहे दफ्तर हैं या घर हैं, सैंक्शन की है ?

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या मूलतः इस होटल को मध्यम वर्ग की जनता के लिए बनाया गया था क्योंकि वह दिल्ली के गैर-सरकारी होटलों के ऊंचे दाम नहीं दे सकते हैं

†**श्री मेहर चन्द खन्ना :** संभव है सच हो

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** मैंने अभी प्रश्न पूरा नहीं किया है तथा यदि हां, तो इस होटल के व्यय अन्य होटलों के व्यय की तुलना में कैसे हैं ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना :** व्यय की तुलना की जा सकती है। इसके नजदीक के होटलों के व्यय अधिक हैं अर्थात अशोक होटल के व्यय भी अधिक हैं। इस होटल में जलपान की व्यवस्था है तथा भोजन अनिवार्यतः नहीं दिया जाता है ।

श्री अचल सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि होटल जनपथ में रूम एकामोडेशन क्या बढ़ाई जा रही है ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : जनपथ में तकरीबन तीन सौ कमरे हैं और आकूपेन्सी जो है वह ८२ परसेंट के करीब हैं ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** मंत्री महोदय के मन में जनपथ होटल को सरकारी क्षेत्र संगठन किस प्रकार बनाने का है । यह अशोक होटल के समान होगा अथवा उनका कोई और विचार है ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : अशोक होटल और होटल जनपथ में सिर्फ फर्क यह है कि अशोक होटल में थोड़ा बहुत बाहर से कैपिटल आया है लेकिन जनपथ हंडरेड परसेंट गवर्नमेंट कनर्सन होगा, पब्लिक सैक्टर में होगा ।

†**श्रीमती सावित्री निगम :** इस परिवर्तन में कितना समय लगेगा । खाद्यान्नों तथा अन्य चीजों के बारे में दिन प्रति दिन शिकायतें मिल रही हैं । किस तिथि को यह परिवर्तन होगा तथा क्या यह निर्णय कर लिया गया है कि भोजन के दाम

†**अध्यक्ष महोदय :** एक समय में केवल एक प्रश्न ।

†**श्री मेहर चन्द खन्ना :** पन्द्रह दिन अथवा तीन सप्ताह पहले जनपथ होटल को सरकारी क्षेत्र का होटल बनाने का निर्णय किया गया था और मैं आशा करता हूं कि सभा के नियम एक अथवा दो महीनों में बना लिये जायेंगे ।

†**डा० सरोजिनी महिषी :** पर्यटकों के दृष्टिकोण से जनपथ होटल किस श्रेणी में आता है ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना :** पर्यटकों के दष्टिकोण से २००० पंलग वाला होटल होना चाहिए। परन्तु इनकी संख्या बहुत कम है। हम कमी को पूरा करने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

†**एक माननीय सदस्य :** वह श्रेणी जानना चाहती हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** ध्यान दिलाने की सूचना ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

पश्चिमी बंगाल को विद्युत् सम्भरण

†***१०३४. श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने बिहार सरकार से विद्युत संभरण के लिए पश्चिमी बंगाल की प्रार्थना पर विचार करने के लिए कहा है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या यह भी सच है कि बिहार सरकार ने बरौनी संयंत्र से बंगाल को विद्युत देने के लिए मना कर दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन)**: (क) और (ख). जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

तुंगभद्रा उच्चस्तरीय नहर

†*१०३५. **श्री पें० वेंकटासुब्बया :**

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तुंगभद्रा उच्चस्तरीय नहर-द्वितीय प्रक्रम के लिए प्रविधिक स्वीकृति दे दी है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रशासनिक स्वीकृति कब दी गई थी ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन)** :(क) और (ख). जी नहीं। तुंगभद्रा उच्चस्तरीय नहर योजना का दूसरा क्रम तभी आरम्भ किया जायेगा जब पहला क्रम पूरा हो जायेगा । इसलिए उचित समय पर दूसरे क्रम के लिए स्वीकृति दे दी जायेगी ।

दामोदर घाटी निगम की विद्युत् परियोजनाओं का विस्तार

†*१०४२. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दामोदर घाटी निगम की विद्युत् परियोजनाओं का और विस्तार करने की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो क्या पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा इस विस्तार पर आपत्ति की गई थी क्योंकि उस का इरादा अपनी विद्युत् परियोजनायें स्थापित करने का था ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) से (ग). दामोदर घाटी निगम ने चौथी योजना अवधि में पूर्वानुमानित बिजली के आधार पर बिजली की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए प्रस्ताव बनाये गये हैं। प्रस्तावों को पश्चिमी बंगाल सरकार ने स्वीकार नहीं किया है क्योंकि वह समझते हैं कि दामोदर घाटी निगम से प्राप्त अतिरिक्त बिजली बहुत कम होगी। निगम की भविष्य में स्थापना के बारे में तथा विद्युत विकास के बारे में पश्चिम बंगाल तथा बिहार की राज्य सरकारों के परामर्श से केन्द्रीय सरकार विचार कर रही है। दूसरे आधार दामोदर घाटी निगम के प्रस्तावों को आस्थगित कर दिया गया है ।

उत्तर प्रदेश में कुष्ठरोग अस्पताल

*१०४३. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री २१ फरवरी, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या १०८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जापानी कुष्ठ मिशन के सहयोग से उत्तर प्रदेश में स्थापित होने वाले प्रस्तावित कुष्ठ रोग अस्पताल के लिए कौनसा स्थान चुना या

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) अस्पताल के कब तक स्थापित कर दिये जाने की आशा है; और

(ग) अस्पताल की क्या विशेषतायें होंगी ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) इस प्रस्तावित कुष्ठ अस्पताल के लिये ताज गंज, आगरा का स्थान चुना गया है।

(ख) आशा है कि संबंधित औपचारिकताओं के पूर्ण होते ही यह अस्पताल स्थापित कर दिया जायेगा।

(ग) अस्पताल के स्थापित हो जाने पर कुष्ठ रोगियों का उपचार तथा पुनर्वास एवं कुष्ठ के बारे में अनेसंधान इस अस्पताल की मुख्य विशेषतायें होंगी।

डाक्टरों का अनिवार्य पंजीयन

†*१०४४. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :**
श्री राम हरख यादव :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत चिकित्सा परिषद् ने यह सिफारिश की है कि सभी अर्हताप्राप्त डाक्टरों का अनिवार्य पंजीयन करने का भी उपबंध किया जाना चाहिए ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने मामले में क्या कदम उठाये हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री डा० सुशीला नायर** : (क) भारत चिकित्सा परिषद् ने अपनी ६ अप्रैल, १९६३ की बैठक में सिफारिश की है कि मान्यता प्राप्त चिकित्सा अर्हता वाले सभी व्यक्तियों को अपनी प्रैक्टिस करने से पहले राज्य चिकित्सा परिषद् में अपना पंजीयन कराना चाहिए।

(ख) भारत सरकार ने राज्य सरकारों को परामर्श दे दिया है कि अपनी प्रैक्टिस आरम्भ करने से पहले चिकित्सक अनिवार्य पंजीयन कराये इसके लिये विधान बनाया जाये। अधिकांश राज्य सरकारें इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही कर रही हैं।

राज्य स्वास्थ्य मंत्री सम्मेलन

†*१०४५. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री कृष्णदेव त्रिपाठी :
श्री ओंकारलाल बैरवा :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या मुदालियर समिति के प्रतिवेदन की क्रियान्विति पर विचार करने के लिए हाल ही में नई दिल्ली में राज्य स्वास्थ्य मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था ; और

(ख) यदि हां, तो समिति की सिफारिश पर उस सम्मेलन में क्या निर्णय किये गये ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर** : (क) जी हां।

(ख) स्वास्थ्य मंत्रियों द्वारा प्रारूप स्वीकार किये जाने पर संकल्पों को सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

दामोदर घाटी निगम

†*१०४६. { श्री सुबोध हंसदा :
डा० पुं० नां० खां० :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दामोदर घाटी निगम का प्रबंध पश्चिम बंगाल सरकार को सौंपने के संबंध में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) क्या पूर्ण नियंत्रण सौंपा जायेगा अथवा उसका एक अंश ; और

(ग) यदि हां, तो दामोदर घाटी निगम के प्रबंध का कौन सा भाग सौंपा जायेगा ;

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) से (ग). जी नहीं। दामोदर घाटी निगम का प्रबंध पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा लिये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। भाग लेने वाली सरकारों के १९५९ के सम्मेलन में यह निर्णय किया गया था कि बांध तथा दामोदर घाटी की सिंचाई प्रणाली को पश्चिम बंगाल सरकार ले ले। अभी तक हस्तातरण नहीं हुआ है तथा मामला विचाराधीन है ।

पेंशन के मामले

†२३११. **श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ दिसम्बर १९६२ को पेंशन उपदान की अन्तिम स्वीकृति तक के लिये पेंशन के कितने मामले लम्बित कर दिये गये थे ; और

(ख) ये मामले अनुमानत: कितनी अवधि तक लम्बित किये जा रहे हैं ;

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख) : जानकारी इकट्ठी की जा रही है और समय नर पटल पर रख दी जायेगी ।

भुवनेश्वर में राजधानी का निर्माण

†२३१२. **श्री रामचन्द्र मलिक** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ३१ दिसम्बर, १९६२ तक केन्द्रीय सरकार द्वारा उड़ीसा राज्य को भुवनेश्वर में राजधानी बनाने के लिये कितना ऋण अथवा अनुदान दिया गया है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : भुवनेश्वर में राजधानी बनाने के लिए निम्नलिखित अनुदान तथा ऋण दिया गया था :—

१९४८–४९ से १९५२–५३ में १३२ लाख रुपये अनुदान ।
१९५४–५५ तथा १९५५–५६ में १०० लाख रुपये ऋण ।

१९३५–३६ में उड़ीसा प्रान्त बनने के बाद उड़ीसा सरकार को कटक में राजधानी बनाने के लिए ४२.५ लाख रुपये का अनुदान दिया गया था। अत्यावश्यक काम पर लगभग ३ लाख रुपया व्यय किया था जब कि अधिकांश धनराशि भुवनेश्वर को राजधानी बनाने पर ही व्यय दिया गया था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

गत कई वर्षों से उड़ीसा सरकार की स्वीकृत विविध विकास योजनाओं में से भुवनेश्वर राजधानी परियोजना भी एक है। उड़ीसा सरकार को विवध विकास योजनाओं के लिए ३१-१२-६२ तक ३०१५.९२ लाख रुपये के ऋण दिये गये हैं। भुवनेश्वर राजधानी परियोजना पर कितना धन व्यय किया है यह जानकारी राज्य सरकार से मंगाई जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

उड़ीसा में कुष्ट रोग उपचार केन्द्र

†२३१३. **श्री उलाका** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) इस समय उड़ीसा में कितने कुष्ठ रोग उपचार केन्द्र हैं तथा वह किन स्थानों पर स्थित है ;

(ख) इन केन्द्रों में कितने रोगियों के लिए व्यवस्था की गई है ; और

(ग) गत पांच वर्षों में कुष्ठ रोग उपचार केन्द्रों को केन्द्रीय सरकार द्वारा कितना ऋण अथवा अनुदान दिया गया है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर** : (क) २० कुष्ठ रोग नियंत्रण केन्द्र; १७४ गृह उपचार केन्द्र; कुष्ठ रोग क्लिनिक; सर्वेक्षण, शियन तथा उपचार केन्द्र तथा १५ कुष्ठ रोग रोगी संस्थायें उड़ीसा राज्य में काम कर रही हैं। केन्द्रों के स्थापना स्थान नीचे दिये जाते हैं :-

जिले का नाम	कुष्ठ रोग नियंत्रण केन्द्रों की संख्या।	कुष्ठ रोग क्लिनिकों, गृह केन्द्रों एस० ई० सी केन्द्रों की संख्या।	भरती करने वाली संस्थायें
१	२	३	४
१. कटक	६	२१	२
२. बालासोर	१	१५	१
३. पुरी	४	२४	३
४. सम्बलपुर	२	१०	३
५. गंजम	४	२५	३
६. धोरापट	—	१६	१
७. ढेंकानाल	२	१६	—
८. क्योंझर	—	९	—
९. बौद्	—	—	-
१०. बोलनगीर	-	११	१
११. सुन्दरगढ़	-	१३	-
१२. कालाहांडी	-	२	-
१३. मयूरभंज	१	८	१
१४. फूलवणी	—	४	—
जोड़	२०	१७४	१५

†मूल अंग्रेजी में

(ख) राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण, केन्द्र, गृह उपचार केन्द्र, क्लिनिक, भरती करने वाली संस्थाओं के परियोजना क्षेत्रों में उपचार की व्यवस्था है । इन केन्द्रों में २९,९०७ व्यक्तियों का उपचार हो रहा है ।

(ग) १९५८-५९ में केन्द्र सहायता प्राप्त/चलाई गई 'स्वास्थ्य' योजनाओं के बारे में केन्द्रीय सहायता देने की प्रक्रिया में परिवर्तन कर दिया गया था और सभी केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजनाओं के लिये इकट्ठा धनराशि (कुष्ठरोग नियंत्रण योजना समेत) दे दी गई थी । उड़ीसा सरकार को इकट्ठा धनराशि का अनुदान उन की राज्य योजनाओं (कुष्ठ रोग नियंत्रण योजना समेत) के लिए पांच वर्षों में दिया गया नीचे दिया जाता है :—

	इकट्ठा राशि (रुपये लाख में)
१९५८–५९	१८.७०
१९५९–६०	१६.१०
१९६०–६१	१६.०७
१९६१–६२	५८.५९
१९६२–६३	३८.५५
जोड़	१४८.०१*

*नक़द अनुदान शामिल हैं तथा मलेरिया आदि के लिए सहायता इसमें शामिल नहीं है ।

इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने गत पांच वर्षों में उड़ीसा के स्वयंसेवी कुष्ठरोग संगठनों को निम्नलिखित अनुदान दिया था :—

	रुपये
१९५८–५९	४०,०००
१९५९–६०	१२,७००
१९६०–६१	—
१९६१–६२	३१,४००
	८४,१००

उड़ीसा में चेचक

†२३१४. श्री उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) १९६२-६३ में उड़ीसा में चेचक से कितने व्यक्ति मरे थे ;

(ख) इसी अवधि में उड़ीसा में चेचक कितने व्यक्तियों को हुई ; और

(ग) इसी अवधि में राज्य में चेचक उन्मूलन के लिए उड़ीसा को कितनी तथा किस प्रकार की केन्द्रीय सहायता दी गई ?

†मूल अंग्रेजी में

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख). राज्य सहकार ने १९६२-६३ में १६७३ व्यक्तियों को चेचक हुई तथा ३८३ व्यक्ति मर गये।

(ग) १९६२-६३ में राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन कार्यक्रम समेत सभी केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजनाओं के लिए उड़ीसा सरकार को केन्द्रीय सरकार द्वारा ३८.५५ लाख रुपये दिये गये थे।

राज्य सरकारों ने कहा है कि १९६२-६३ में राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन कार्यक्रम पर लगभग ६.६७ लाख रुपये व्यय किए गए थे। इस में से ५.१७ लाख रुपये केन्द्रीय सहायता के रूप में दी गई थी।

उड़ीसा में बाढ़ नियंत्रण योजनाएं

†२३१५. **श्री उलाका** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने केन्द्रीय सरकार के अनुमोदनार्थ तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कोई बाढ़ नियंत्रण योजनाएं पेश की हैं।

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ;

(ग) इसके सम्बन्ध में राज्य सरकार ने कैसी और कितनी वित्तीय सहायता मांगी है ; और

(घ) १९६२-६३ में उड़ीसा को क्या और कितनी सहायता दी गई ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी हां।

(ख) उड़ीसा सरकार से आई दो योजनाएं ये हैं :—

(१) कुशभद्र के बाएं किनारे पर, खैरपुर में रिटायर्ड लाइन की व्यवस्था करने पर ०.१३ लाख रुपये व्यय होने का अनुमान है।

(२) पुरी-बालीधाई रोड समपारण पर ऊंचा पुल बनाने के साथ गोबाकुड कट की खुदाई पर ५१.२० लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है।

(ग) राज्य सरकार द्वारा उनके बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम पर २५० लाख रुपये का परिव्यय तीसरी योजना में शामिल किया गया था। सभी अनुमोदित बाढ़ नियंत्रण योजनाएं ऋण सहायता के लिए अर्ह हैं।

(घ) ३५ लाख रुपये का ऋण वर्ष १९६२-६३ के लिये अनुमोदित बाढ नियंत्रण कार्यों के लिये उड़ीसा को दिया गया था।

हीराकुद बांध परियोजना (प्रक्रम २)

†२३१६. **श्री उलाका** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री ३१ अगस्त, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या २०९२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हीराकुद बांध परियोजना (प्रक्रम २) की आधुनिकतम प्रगति क्या है ;

(ख) क्या तलचेर बिजली घर को चलाने के लिये राज्य सरकार को तब से कोई ऋण या अनुदान दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) बिजली चैनल का काम पूरा हो चुका है। मुख्य बांध बिजली घर में पांचवीं इकाई २२ अप्रैल, १९६२ को चालू की गई थी और वह संतोषजनक ढंग से चल रही है। छठी इकाई का काम प्रगति पर है और जून, १९६३ तक इस के आरम्भ होने की आशा की जाती है।

चिपलिया बिजली घर के पहले और दूसरे एकांश जुलाई और नवम्बर, १९६२ में क्रमशः चालू किये गये थे और वे संतोषजनक ढंग से चल रहे हैं। तीसरे एकांश का निर्माण प्रगति पर है और अगस्त, १९६३ तक इस मशीन के चालू हो जाने की संभावना है। हीराकुद के रूरकेला तक ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण से संबंधित कार्य चल रहा है।

(ख) और (ग). ३३० लाख डालर का ऋण तलचेर थर्मल स्टेशन को कार्यान्वित करने के लिए संयुक्त राज्य अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण द्वारा मंजूर किया गया है और जिसमें परियोजना की लागत की समूची विदेशी मुद्रा आ जायेगी।

प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र

†२३१७. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री उलाका :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६२-६३ में देश के विविध प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्रों को केन्द्रीय सरकार ने कोई वित्तीय सहायता दी थी ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) और (ख). भारत सरकार द्वारा १९६२-६३ में इस प्रकार प्राकृतिक चिकित्सा संस्थाओं को सहायता दी गई है :

संस्था	राशि	उद्देश्य
	(रुपये)	
१. प्रकृति निकेतन न्यास, कलकत्ता	७५,०००	कालेज की इमारतों के निर्माण के लिए अनावर्ती अनुदान
२. स्वास्थ्य गृह न्यास, विजयवाड़ा	२,०००	अनुसंधान
३. प्रकृति चिकित्सा अस्पताल, हैदराबाद	२,०००	,,
४. प्रकृति चिकित्सा केन्द्र, आसाम समग्र सेवा संघ, डिकोम, डिब्रूगढ़	२,०००	,,
५. प्राकृतिक चिकित्सालय, जयपुर	२,०००	,,
६. प्राकृतिक आरोग्य निकेतन, पटना	,,	,,
७. तपोवर्धन प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र, भागलपुर	४,०००	,,
८. प्राकृतिक चिकित्सालय, रानीपात्र, पूर्निया	२,०००	,,
९. प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र, वाराणसी	२,०००	,,
१०. प्राकृतिक आरोग्य भवन, इम्फाल	१,०००	,,

†मूल अंग्रेजी में

केन्द्रीय स्वास्थ्य संवर्ग

†२३१८. **श्री घुलेश्वर मीना :**
श्री उलाका :
श्री गो० महन्ती :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री १६ अगस्त, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ३२९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय स्वास्थ्य संवर्ग की रचना के सम्बन्ध में तब से क्या प्रगति की गई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से नियमों को अंतिम रूप दिया जा रहा है ।

संयुक्त राज्य अमरीका से स्टीम टर्बाइनों का आयात

†२३१९. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ब० कु० दास :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राज्य अमरीका से 'ए० आई० डी०' तथा 'यू० एस० एक्सिम बैंक' ऋण के अधीन विविध थर्मल बिजली परियोजनाओं के लिए स्टीम टर्बाइनों का बड़ी संख्या में आयात किया जाने वाला है ;

(ख) यदि हां, तो कितने टर्बाइनों का आयात किया जायेगा ; और

(ग) इनकी कब तक पहुंचने की आशा है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां ।

(ख) चौदह ।

(ग) इनको धीरे-धीरे अमरीका से सितम्बर, १९६३ से दिसम्बर, १९६४ तक मंगवाया जायेगा । सामान्यतया अमरीका से भेजे गये माल को वहां से चलने की तिथि से भारत आने में दो महीने लगते हैं ।

चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए क्वार्टर

२३२०. **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री २४ जनवरी, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या १०६६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंचकुइयां मार्ग, नई दिल्ली पर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए नये क्वार्टरों का निर्माण-कार्य क्या इस बीच प्रारम्भ कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उन क्वार्टरों का निर्माण-कार्य कब तक पूरा हो जाने की आशा की जाती है ?

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : (क) हां ।

(ख) सितम्बर, १९६४ तक ।

तापीय बिजली घर

†२३२१. **श्री कर्णी सिंह जी** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में सतपुरा में अमरीकी ऋण के साथ अब जो थर्मल बिजली घर बनाया है, उसे पहले पालाना (राजस्थान) में लगाने का प्रस्ताव था; और

(ख) यदि हां, तो इस परिवर्तन के क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

अमरीका से खाद्य सामग्री का उपहार

†२३२२. **श्री कोल्ला वेंकैया** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अमरीका द्वारा उपहार स्वरूप भेजी खाद्य सामग्री, कलकत्ता में पुलिस द्वारा गैर-सरकारी गोदामों से जब्त कर ली;

(ख) यदि हां, तो सामग्री कितनी थी तथा किस प्रकार की थी;

(ग) वे गोदाम किन लोगों के थे; और

(घ) उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) और (ख). १५,८९६ पौण्ड दुग्ध चूर्ण पुलिस द्वारा कलकत्ता में एक गैरज तथा चलती गाड़ी से पकड़ा गया था ।

(ग) और (घ). १५ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था । कोई और ब्यौरा मालूम नहीं, क्योंकि मामले न्यायाधीन हैं ।

पेंशनें

†२३२३. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुराने पेंशन नियमों के उपबंधों द्वारा शासित होने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को नवीन पेंशन नियमों को, समय-समय पर परिवर्तित रूप में, अपनाने की अनुमति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो वे कब तक उनको अपना सकते हैं;

(ग) क्या यह विशेषाधिकार हाल में सेवा-निवृत्त हुए व्यक्तियों को भी प्रदान किया जायेगा; और

(घ) यदि हां, तो कब तक ये सुविधायें प्रदान की जायेंगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). जी हां। आदेश जारी करने की तिथि, २६ नवम्बर, १९६२ से एक वर्ष की अवधि के अन्दर अपनाये जा सकते हैं।

(ग) और (घ). जी, हां। रियायत उन लोगों के लिये हैं जो (१) २६ नवम्बर, १९६२ को नौकरी में थे, और (२) जो २२ अप्रैल, १९६० को या उसके बाद सेवा-निवृत्त हुए।

गोरखपुर में मेडिकल कालेज

†२३२४. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोरखपुर में एक डाक्टरी कालेज स्थापित करने की सहायक अनुदान के लिये उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है; और

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) और (ख). उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसी कोई प्रार्थना हमसे नहीं की। चौथी योजना में गोरखपुर में डाक्टरी कालेज स्थापित करने का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है।

विस्थापित व्यक्तियों को भरण-पोषण सहायता

२३२५. **श्री लखमू भवानी** : क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दण्डकारण्य योजना के अन्तर्गत बसाये गये विस्थापितों को भूमि तथा अन्य सहायता के अतिरिक्त भरण-पोषण सहायता/राजसहायता के रूप में भी क्या कुछ राशि दी जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो कितने परिवारों को उक्त प्रकार की राशि दी जा रही है ?

निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना): (क) और (ख). हां। सब परिवारों को उनके दण्डकारण्य में पहुंचने के समय से ले कर उनके भूमि पर बस जाने और उनका पहला खेती का मौसम शुरू हो जाने के समय तक निम्नलिखित दरों पर भरण-पोषण सहायता दी जाती है :

(क) १ सदस्य वाले परिवारों को ३० रुपये प्रति मास।
(ख) २ सदस्यों वाले परिवारों को ४० रुपये प्रति मास।
(ग) ३ सदस्यों वाले परिवारों को ५० रुपये प्रति मास।
(घ) ४ सदस्यों वाले परिवारों को ५७ रुपये प्रति मास।
(ङ) ५ सदस्यों वाले परिवारों को ६५ रुपये प्रति मास।
(च) ५ से अधिक सदस्यों वाले परिवारों को ७० रुपये प्रति मास।

यदि किसी वयस्क सदस्य को परियोजना प्राधिकारियों द्वारा काम दे दिया जाता है, तो उसके कारण निर्वाह भत्ते में से २० रुपये प्रति मास काट लिये जाते हैं। इसके अलावा सब किसान परिवारों को पहले खेती के मौसम के ७ महीनों में इन्हीं दरों पर और दूसरे खेती के मौसम के ७ महीनों में इससे आधी दरों पर भरण-पोषण सहायता दी जाती है। बीच के खाली ५ महीनों में भी यदि काम न दिलाया जा सके तो इसी दर से भरण-पोषण सहायता दी जाती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

गैर-किसान परिवारों को भी उनके दण्डकारण्य में पहुंचने के समय से ले कर उन्हें व्यवसाय ण दिये जाने और उनके पुनर्वास (रिसैटलमैंट) की प्रावस्था (फेज़) शुरू होने तक इन्हीं दरों पर भरण-पोषण सहायता दी जाती है। उसके बाद तीन महीने तक उन्हें इन्हीं दरों पर भरण-पोषण के लिये सहायता दी जाती है।

भरण-पोषण के लिए सहायता पा रहे परिवारों की संख्या समय समय पर घटती बढ़ती रहती है।

दण्डकारण्य परियोजना

२३२६. **श्री लखमू भवानी** : क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दण्डकारण्य परियोजना के अन्तर्गत विस्थापितों को प्रमुखतया किन स्थानों पर बसाया जा रहा है; और

(ख) उन स्थानों पर चिकित्सा आदि सुविधाओं की क्या व्यवस्था की गयी है ?

निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना): (क) विस्थापित व्यक्तियों को १०४ गांवों में बसाया जा रहा है, जो कोरापुट ज़िले (उड़ीसा) के उमरकोट और मल्कानगिरि अंचलों (ज़ोन) में और बस्तर ज़िले (मध्य प्रदेश) के परलकोट और कोंडगांव अंचलों में स्थित हैं।

(ख) यहां बसने वाले लोगों को चिकित्सा की सुविधाएं देने के लिए ६ अस्पताल/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और १३ औषधालय (जिनमें से ७ चलते फिरते (मोबाइल) औषधालय हैं) चालू किये गये हैं।

पंजाब में पुनर्वास कार्य

†२३२७. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पंजाब में अवशिष्ट तथा लम्बित पुनर्वास कार्य राज्य सरकार को देना स्वीकार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो कार्य हस्तांतरण के पश्चात् राज्य सरकार किन किन कामों को करेगी; और

(ग) केन्द्रीय सरकार सरकारी नीति के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में किस सीमा तक अधीक्षण और निदेशात्मक नियंत्रण रखेगी ?

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : (क) से (ग). पंजाब का बकाया पुनर्वास कार्य, अभिकरण आधार पर केन्द्रीय सरकार की ओर से पूरा करने के लिये राज्य सरकार को सौंपने का प्रस्ताव विचाराधीन है। नीति, निदेश तथा नियंत्रण सम्बन्धी मामले केन्द्रीय सरकार के पास रहेंगे, यदि उपरोक्त प्रस्ताव अन्तिम रूप से तय हो गया।

---

†मूल अंग्रेजी में

चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को पंखों के लिए ऋण

†२३२८. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री १४ मार्च, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या ७४२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को पंखे खरीदने के लिये प्रस्तावित ऋण आगामी ग्रीष्म काल के लिये दिये जायेंगे;

(ख) क्या ऋण उनके वेतनों से काटे जायेंगे अथवा क्या वह वसूली उनके मकान किराया बिलों का अंश होगी; और

(ग) क्या इन ऋणों से खरीदे गये पंखे उन लोगों की निजी सम्पत्ति होगी या कर्मचारियों को आवंटित स्थान का अंग माने जायेंगे ?

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : (क) जी हां। टेबल फैनों को खरीदने के लिये केन्द्रीय सरकार के चौथी श्रेणी के कर्मचारियों को ऋण देने के आदेश जारी किये जा चुके हैं ।

(ख) ऋण समान मासिक किस्तों में लोगों के वेतनों से वसूल किये जायेंगे ।

(ग) ऋण पर लिये गये धन से खरीदे गये टेबल पंखे उन कर्मचारियों की निजी सम्पत्ति माने जायेंगे ।

औद्योगिक वित्त निगम

†२३२९. **डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक वित्त निगम को ऋण प्रार्थना पत्रों की प्राप्ति की तिथि से मंजूर ऋणों की पहली किश्त देने में कम से कम, अधिक से अधिक तथा औसतन कितना समय लगता है; और

(ख) क्या निगम विलम्ब को कम करने के लिये कोई प्रक्रियागत परिवर्तन करने का विचार करता है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: (क) यह सूचना प्राप्त नहीं है। निगम को सामान्यतया प्रार्थना पत्र आने की तिथि से ऋण मंजूर करने में ३–४ महीने लगते हैं। ऋण देना अधिकतर इस बात पर निर्भर करता है कि वह ऋण लेने वाला समवाय ऋण की शर्तों को कितनी जल्दी स्वीकार करता है, और गिरवी रखी सम्पत्ति पर समवाय का अधिकार स्थापित करने तथा निगम के लाभार्थ प्रस्तावित लाभ की व्यवस्था करने के लिये निगम द्वारा पर्याप्त आस्तियां धारण की जाती हैं। शर्तों के स्वीकार होने की तिथि से ३ महीनों के अन्दर २७ प्रतिशत मामलों में रुपया दिया गया है, ५ प्रतिशत मामलों में ६ महीनों में, ४२ प्रतिशत में ९ महीनों में और १० प्रतिशत में १२ महीनों में और केवल १६ प्रतिशत में एक वर्ष से अधिक लगा है। औसतन समय ९ से ११ महीना है।

(ख) निगम ने इस दिशा में कुछ उपाय किये है, अर्थात् अपना पृथक विधि विभाग बनाया है, जो ऋण लेने वालों की सम्पत्ति पर उनके अधिकार की जांच करता है, गिरवी दस्तावेज आदि

---

†मूल अंग्रेजी में

बनाता है; और प्रार्थना के समय तथा उपयुक्त मामलों में अन्तरिम ऋण देते समय अधिकार पत्रों की जांच करता है।

पंजाब में रक्त दान

†२३३०. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये १९६२-६३ में पंजाब में कितना रक्त एकत्र हुआ है ; और

(ख) कितने लोगों ने अपना नाम लिखवाया है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) ८१४ बोतल।

(ख) ५२,००४ लोगों ने ।

चन्द्रपुरा तापीय बिजली घर

†२३३१. **श्री महेश्वर नायक :**
श्री ओंकारलाल बेरवा :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका ने चन्द्रपुरा थर्मल बिजली घर की क्षमता बढ़ाने के लिये ७.६ करोड़ रुपये का ऋण मंजूर किया है ;

(ख) ऋण की शर्तें क्या हैं ;

(ग) वर्तमान संयंत्र की क्षमता क्या है और बढ़ी हुई क्षमता कितनी होगी ; और

(घ) बढ़ी हुई क्षमता को चलाने में कितना समय लगने की संभावना है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन)**: (क) अमरीकी अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण ने सिद्धांत रूप में चन्द्रपुरा प्रक्रम २ बिजली परियोजना के लिये १६० लाख डालर का ऋण हाल ही में मंजूर किया है।

(ख) ऋण की शर्तें संभावतः ये होंगी :—

(१) ऋण पर ऋण शुल्क ३/४ प्रतिशत वार्षिक दिये गये ऋण की राशि पर होगी। मूलधन ऋण के अधीन पहली किश्त की तिथि से ४० वर्ष में १० वर्ष की रियायती अवधि समेत में लौटाया जायेगा।

(२) मूल धन तथा ऋण शुल्क अमरीकी डालरों में दिये जाने का उपबन्ध होगा।

(३) उपकरण, सामान और सेवायें, समुद्रीय बीमा को छोड़ कर, ऋण के अन्तर्गत होने वाली अमरीका में ली जायेगी।

(ग) चन्द्रपुरा प्रक्रम २ में १४० मैगावाट के दो एकांश लगाने तथा १४० मैगावाट का एक और एकांश जोड़ने का विचार है।

(घ) प्रक्रम २ के एकांशों की १९६६ के मध्य तक चालू हो जाने की आशा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

कुर्नल जिला में पीने का पानी का संभरण

†२३३२. **श्री पें० वेंकटा सुब्बैया :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुर्नल जिला की पंचायत समिति अलूर और जिला परिषद् ने इस क्षेत्र में पीने के जल के संभरण की व्यवस्था करने के लिये कोई अभ्यावेदन दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या कार्रवाई की गई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर):** (क) और (ख) पंचायत समिति अलूर के प्रधान ने आंध्र प्रदेश सरकार को इस आशय का अभ्यावेदन दिया है। जिला परिषद ने बताया है कि पीने योग्य जल उस क्षेत्र में नहीं है। इस क्षेत्र के लिये सुरक्षित पीने के जल की व्यवस्था तुरन्त तुंगभद्रा परियोजना (नीचे की नहर) से ५३ लाख रुपये की अनुमानित लागत से चिंतकुन्ता में जलाशय बनाकर करने का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है, जिसका सुझाव अलूर की पंचायत समिति ने दिया था।

खाद्य अपमिश्रण अधिनियम, १९५४

†२३३३. **श्री कछवाय :**
श्री ओंकारलाल बेरवा :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य अपमिश्रण निरोधक अधिनियम, १९५४ के बारे में आंध्र प्रदेश फुटकर किराना व्यापारी संघ की ओर से उनके मंत्रालय को कोई ज्ञापन मिला है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं, और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या सरकार ने यह देखने के लिये सुनिश्चित कर लिया है कि अधिनियम के अन्तर्गत किसी बेगुनाह व्यक्ति को दंड न मिले ;

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ङ) क्या सरकार यह देखने के लिये कि अमुक पण्य वस्तु अपमिश्रत है या नहीं, प्रत्येक जिला मुख्यालय में क्षेत्रीय प्रयोगशालायें बनाने पर विचार कर रही है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) हां।

(ख) संघ के मुख्य सुझाव निम्न है :

(१) खाद्य अपमिश्रण निरोध अधिनियम की धारा ७ के उपबन्धों को, जो अपमिश्रित या ग़लत इश्तिहार द्वारा खाद्य विक्रय को रोकते हैं, ठेले वालों पर लागू न किया जाये।

(२) खाद्य अपमिश्रण निरोध अधिनियम की धारा १० (७) के अन्तर्गत, जहां खाद्य निरीक्षक खाद्य का कोई नमूना लेता है, वह ऐसी कार्यवाही करते समय कम से कम दो व्यक्तियों को बुलायेगा, और उनके हस्ताक्षर लेगा। संघ ने सुझाव दिया है कि खाद्य निरीक्षक द्वारा नमूना लेते समय दो असंबद्ध व्यक्तियों की उपस्थिति की व्यवस्था करने के लिये अधिनियम में संशोधन किया जाना चाहिये।

(३) धारा १३ में, सरकारी विश्लेषणकर्त्ता द्वारा खाद्य निरीक्षक को रिपोर्ट देने के लिये कोई समय निश्चित नहीं किया गया है। संघ ने सुझाव दिया है कि यह उप-

बन्ध करने के लिये सरकारी विश्लेषणकर्त्ता की ऐसे विश्लेषण की रिपोर्ट खाद्य निरीक्षक से नमूना प्राप्त होने से दो सप्ताह से अनधिक समय में खाद्य निरीक्षक को दे दी जायेगी, अधिनियम में संशोधन किया जाये।

(४) अधिनियम की धारा १६ का दंड उपबन्ध फुटकर ठेले वालों पर लागू नहीं होना चाहिये।

(५) खाद्य अपमिश्रण निरोध अधिनियम के नियम १२-क ऐसे प्रत्येक विक्रेता पर, जो ठेले वाला कोई खाद्य पदार्थ बेचता है, ठेले वाले के मांगने पर निश्चित फार्म पर वारन्टी देने की शर्त लगाता है। फीड्रेशन का सुझाव है कि ठेले वाले को वारन्टी देना अनिवार्य करने के लिये अधिनियम में संशोधन किया जाना चाहिये।

(६) तेल जैसी वस्तुओं पर 'एग्मार्क' की मुहर लगाना अनिवार्य होना चाहिये।

संशोधनकारी विधान बनाने के लिये इन सुझावों पर उचित ध्यान दिया जायेगा।

(ग) और (घ). खाद्य अपमिश्रण निरोध अधिनियम बेगुनाह को दंड देना नहीं चाहता। वास्तव में, बेगुनाह को बचाने पर इतना जोर है कि कभी कभी अपराधी भी छूट जाते हैं।

(ङ) राज्य के मुख्यालय में तथा मुख्य प्रयोगशालाओं और जिला मुख्यालयों में क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिये दूसरी पंच वर्षीय योजना काल में राज्य सरकार को केन्द्रीय सहायता दी गई थी।

हापुड़ में अवैध टक्साल

†२३३४. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री वालगोविन्द वर्मा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हापुड़ (उत्तर प्रदेश) में पुलिस ने एक अवैध टक्साल का पता लगाया है ;

(ख) यदि हां, तो पुलिस द्वारा पकड़े गये सिक्कों का वजन कितना था ; और

(ग) सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: (क) से (ग). भारत सरकार को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। फिर भी जानकारी राज्य सरकारों से एकत्रित की जा रही है और यथा समय पटल पर रख दी जायेगी।

पंजाब में बाढ़ नियंत्रण योजनायें

†२३३५. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब सरकार १९६३ में जो बाढ़ नियंत्रण योजनायें आरम्भ करने का इरादा रखती है क्या उन्होंने उसका ब्योरा दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उनका स्वरूप क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन)**: (क) हां।

(ख) पंजाब सरकार ने १९६३–६४ के लिये अपनी वार्षिक योजना में सम्मिलित करने के लिये ७९८.१८ लाख रुपये के खर्चे वाली बाढ़ नियंत्रण तथा जल निस्सारण योजनाओं का प्रस्ताव किया है। जो योजनायें अब चल रही हैं वे भी इन योजनाओं में सम्मिलित है तथा इन में बाढ़ की रोकथाम के लिये बांध बनाना, सतही तथा रिसत नालियां, गांवों की रक्षा का काम, छोओं और नालों का नियंत्रण, आदर्श जलरोध विरोधी तथा पम्पिंग योजनायें, नहरों की लाइनें बनाना, घग्गर नदी पर बांध का निर्माण तथा राज्य के विभिन्न इलाकों में अन्य बाढ़ नियंत्रण तथा जलरोध विरोधी परियोजनायें आ जाती हैं।

पंजाब में विद्युत् योजनायें

†२३३६. **श्री दलजीत सिंह**: क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि क्या पंजाब सरकार ने तीसरी योजना अवधि में राज्य में विद्युत् उत्पादन की और योजनाओं के लिये सहायता मांगी है ; और

(ख) यदि हां, तो योजनाओं का स्वरूप क्या है तथा उन पर केन्द्रीय सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन)**: (क) हां।

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना म पहले से ही सम्मिलित योजनाओं के अतिरिक्त राज्य सरकार ने पहली अवस्था में २२.५ मेगावाट विद्युत तथा दूसरी अवस्था में ४५ मेगावाट विद्युत् के जनन के लिये पश्चिमी यमुना जल विद्युत् योजना की क्रियान्विति का सुझाव दिया था। परियोजना प्रतिवेदन की केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग ने जांच कर ली गई है और टिप्पणियां राज्य सरकार को भेज दी गई हैं उनके उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।

अपरबारी दोआब नदी योजना के स्थान पर जिस के ३० मेगावाट बिजली पैदा करने की संभावना थी, राज्य सरकार जम्मू तथा काश्मीर राज्य में कालकोट में २–३० मेगावाट तापीय जनन सेटों की स्थापना की भी एक योजना बना रही है।

सोने का तस्कर व्यापार

†२३३७. **श्री च० का० भट्टाचार्य** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन का ध्यान ३१ मार्च, १९६३ को अमृत बाजार पत्रिका में प्रकाशित एक भूतपूर्व तस्कर व्यापारी के लेख की ओर दिलाया गया है जिसमें उस ने लिखा था कि बी० ओ० ए० सी० वायुयानों के दर्जनों स्टुयअर्ड और चालकवृन्द के सदस्य इसी काम को कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, क्या वायुयानों के स्टुयअर्डों तथा चालकवृन्द के सदस्यों को बाहर से भारत आने से रोकने के कोई उपाय किये गये हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: (क) जी हां।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) निर्दिष्ट लेख में स्पष्टत: १९५९ या उस से पहले होने वाले तस्कर व्यापार की ओर संकेत है। १९५९ में माल के कुछ बार पकड़े जाने के परिणामस्वरूप तत्काल ही भारत सरकार तथा सीमा-शुल्क प्राधिकारियों द्वारा ठोस उपाय किये गये थे और बी० ओ० ए० सी० ने अपने चालकवृन्द के लगभग ७४ सदस्यों की सेवायें समाप्त कर दी थीं।

तब से वायुयानों के चालकवृन्द पर नियंत्रण और भी कड़ा कर दिया गया है तथा आवश्यक पड़-ताल की जा रही है।

देहली के गांवों में खेती के लिये गन्दे नालों का पानी

†२३३८. **श्री यशपाल सिंह :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि नियमों के अनुसार देहली में गन्दे नाले का पानी मलिकपुर, बुरारी और जारौंदा जैसे गांवों के कृषकों और किसानों के प्रयोग के लिये दिया जाना चाहिये ;

(ख) क्या यह सच है कि इन किसानों को पानी नहीं दिया जा रहा है और उन की बजाय इस का उपयोग छोटे छोटे कृषकों द्वारा निषिद्ध सब्जियां उगाने के लिये किया जाता है;

(ग) क्या यह सच है कि सरकार को इस के फलस्वरूप राजस्व में हानि हो रही है; और

(घ) क्या उपयुक्त गांवों के किसानों तथा कृषकों से इस बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और सरकार द्वारा इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)**: (क) सिंचाई के प्रयोजनों के लिये कृषकों को गन्दे नाले से पानी देने के बारे में कोई नियम नहीं है।

(ख) नहीं, २० मार्च, १९६३ को उस क्षेत्र में निगम प्राधिकारियों द्वारा कुछ निषिद्ध सब्जी की फसलें देखी गई थीं और उन्हों ने मल निस्सारी का संभरण रोकने के लिये उपाय किये थे।

(ग) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुए हैं।

संचित निधियों का स्वदेश-प्रत्यावर्तन

†२३३९. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों से स्वदेश भेजी गई संचित निधियां एक वर्ष के लिये आमदनी समझी जाती हैं और उन पर उसी तरह से टैक्स लगता है;

(ख) १९६२-६३ में इस प्रकार स्वदेश भेजी गई निधियों तथा उनपर एकत्रित कर की मात्रा क्या है; और

(ग) विदेशों से अधिक धन के आने को प्रोत्साहन देने के लिये क्या उपाय करने का विचार है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: (क) और (ग) नहीं। आय-कर अधिनियम, १९६१ के अधीन विदेशी लाभों या पूंजी में से भारत भेजे जाने वाली राशि सभी करदाताओं के लिये कर से पूर्णत: मुक्त हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) बाहर से स्वदेश भेजी जाने वाली निधियों की मात्रा के बारे में कोई आंकड़े नहीं रखे जाते इसलिये वर्ष १९६२–६३ के लिये ऐसी जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए १९६२–६३ में इस प्रकार स्वदेश-प्रत्यावर्तित निधियों पर कर के एकत्रित होने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

सरोजिनी नगर तथा रामकृष्णपुरम् के बीच लिंक रोड

†२३४०. **श्री जं० ब० सिं० बिष्ट :** क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरोजनी नगर के 'एम' ऐवेन्यू को रामकृष्णपुरम के सेक्टर ३ से मिलाने के लिए एक लिंक रोड बनाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो निर्माण किस अवस्था में है और सड़क के कब तक तैयार हो जाने की संभावना है ?

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना):** (क) हां ।

(ख) काम दे दिया गया है और सामान इकट्ठा किया जा रहा है । नालों और छोटे छोटे पुलों के निर्माण के सिवाय जिस में कुछ महीने और लगेंगे सड़क के जून १९६३ के अन्त तक पूरा हो जाने की संभावना है ।

रूसी सहायता से सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

†२३४१. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूसी प्रविधिक सहकारिता से इस समय बन रहे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या क्या है ;

(ख) क्या निर्माण कार्य में प्रगति कार्यक्रम के अनुसार हो रही है; और

(ग) क्या अन्तर्ग्रस्त रूसी ऋण का पुनर्भुगतान सारे का सारा रुपयों में होगा ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** (क) रूसी ऋणों से वित्तपोषित सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं की एक सूची संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० १२०७/६३]**

(ख) जी हां ।

(ग) रूसी ऋणों के अधीन मूलधन का पुनर्भुगतान तथा ब्याज का भुगतान रुपयों में किया जाता है जिन का उपयोग रूसी प्राधिकारियों द्वारा रूस को निर्यात के लिये भारतीय वस्तुओं की खरीद के लिये किया जाता है ।

प्रविधिक सहायकों तथा अनुवादकों का वेतन-क्रम

२३४२. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २१०-१०-२९०–१५-५३० का वेतन क्रम केन्द्रीय सरकार के सहायकों और स्टैनोग्राफरों के मामले में १ जुलाई, १९५९ से बदल कर २१०-१०-२७०–१५–४५०–२०–५३० कर दिया गया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस परिवर्तन का आधार और मुख्य उद्देश्य क्या हैं; और

(ग) क्या २१०–१०–२९०–१५–४२५ वेतन-क्रम वाले प्रविधिक सहायकों और कनिष्ठ अनुवादकों आदि के वेतन-क्रम में भी इस परिवर्तन को लागू किया जा रहा है ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) जी हां ।

केन्द्रीय सरकार के सहायकों और आशुलिपिकों (स्टेनोग्राफरों) का रु० २१०-१०-२९०-१५–३२० कुलशता-रोध १५–४२५ कुशलता-रोध १५-५३० का वेतन-क्रम १ जुलाई, १९५९ से रु० २१०–१०–२७०–१५–३०० कुशलता-रोध १५–४५० कुशलता-रोध २०–५३० कर दिया गया है ।

(ख) यह परिवर्तन इसलिए किया गया है कि पहले जो संशोधित वेतन-क्रम निर्धारित किया गया था वह बहुत लम्बी अर्थात् २४ वर्ष की नौकरी में पूरा होता था; अब यह अवधि घटा कर २२ वर्ष कर दी गयी है ।

(ग) जिन कारणों से सहायकों और आशुलिपिकों के वेतन-क्रम में परिवर्तन किया गया है वे रु० २१०–१०–२९०–१५–४२५ के वेतन क्रम के प्रविधिक सहायकों (टैक्नीकल असिस्टेन्ट), कनिष्ठ अनुवादकों (जूनियर ट्रान्स्लेटर) आदि के मामले में मौजूद नहीं है, इसलिये उन के वेतन-क्रम में किसी तरह का परिवर्तन करने का विचार नहीं है ।

सिंचाई और विद्युत् परियोजनाओं में विनियोजन

†२३४३. **श्री याज्ञिक** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) पहली और दूसरी योजना अवधियों के दौरान सिंचाई और विद्युत् में राजस्व तथा पूंजी व्यय दोनों के अन्तर्गत राशियों सहित सरकार द्वारा विनियोजित कुल राशि क्या है;

(ख) ब्याज प्रभार तथा ऋणों के वापिस लौटाये जाने से आज तक इस राशि पर हुए लाभ की राशि क्या है; और

(ग) ऐसी राशि कितनी है जो सिंचाई और विद्युत् निगमों में विनियोजित की गई थी या उधार दी गई थी और राज सहायता के रूप में दी गई थी अथवा बाद में बट्टे खाते में डाल दी गई थी ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन)**: अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

बैंक आफ चाइना

†२३४४. **श्री हेम बरुआ** :
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री हरि विष्णु कामत :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने बैंक आफ चाइना की आस्तियों को, जो कि अभी कल तक इस देश में चल रहा था, प्राक्कलित कर लिया है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या इस बैंक में किन्हीं भारतीयों के लेखे थे; और

(ग) यदि भाग (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक हो तो उन व्यक्तियों के नामक्या थे तथा उन के नाम में कितनी राशि जमा थी ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: (क) बैंक आफ चाइना का परिसमापन होने से शीघ्र पहले इस की मूर्त आस्तियों का अनुमान १·५७ करोड़ रुपये लगाया गया था ।

(ख) हां ।

(ग) लेखों की संख्या क्योंकि बहुत बड़ी है, इस समय सरकार के पास क्योंकि पूरा ब्यौरा उपलब्ध नहीं है तथा क्योंकि व्यक्तिगत लेखों के बारे में जानकारी प्रकट करना, सिवाय जब कि उस में लोक हित स्पष्टतः अन्तर्ग्रस्त हो, बैंक प्रणाली की विधि एवं प्रक्रिया के अनुकूल नहीं होगा, इसलिये, इस प्रक्रम पर आवश्यक जानकारी देना संभव नहीं है ।

शराब पीने वाले

२३४५. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री भागवत झा आजाद :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के इर्विन अस्पताल में शराब पीने वालों की आदत छुड़ाने के सम्बन्ध में एक क्लिनिक खोला गया है;

(ख) यदि हां, तो उस क्लिनिक में किस प्रणाली से शराब पीने की आदत छुड़ाई जाती है; और

(ग) इस कार्य में अब तक कहां तक सफलता मिली है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) जी हां । व्यसनों से और विशेषतया शराब के व्यसन से मुक्ति पाने में रोगियों की सहायता करने के लिए इर्विन अस्पताल दिल्ली में एक व्यसन-मुक्ति क्लिनिक (डी-एडिक्शन क्लिनिक) खोला गया है ।

(ख) यह क्लिनिक औपाधिक प्रतिवर्त तकनीकों (कण्डिशनल रिफ्लेक्स टैक्नीक्स) के प्रयोग, मनश्चिकित्सा, वर्ग-चिकित्सा, अनुकल्पात्मक क्रियायों का व प्रवर्तन (प्रमोशन आव सब्स्टिट्यूशनल एक्टिविटीज) तथा कतिपय औषधों का प्रयोग जैसे सुनिश्चित साधनों से इस समस्या का निराकरण करेगा ।

(ग) यह क्लिनिक अभी दो मास पूर्व ही खोला गया है । अब तक देखे गये रोगियों की संख्या ना के बराबर है, वैसे इतनी जल्दी इस की उपलब्धि को आंका भी नहीं जा सकता ।

यमुना जल-विद्युत् योजना

२३४६. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देहरादून जिले में यमुना जल-विद्युत् योजना के प्रथम चरण में अब तक क्या प्रगति हुई है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उस का कार्य शीघ्र से शीघ्र पूरा करने के लिये कौन से विशेष कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ग) उस योजना के द्वितीय चरण को प्रारम्भ करने के लिये क्या तैयारियां की जा रही हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) संयंत्र व साजसामान का पोत-लदान शुरू हो गया है । दोनों बिजलीघरों का कन्क्रीट का काम भी शुरू हो गया है ।

(ख) सिर्फ इस योजना के काम के लिये, एक अलग वृत्त खोला गया है । काम चौबीसों घंटे किया जा रहा है ।

(ग) उत्पादक संयंत्र व साजसामान की विशिष्टियां बन रही हैं, और आशा है कि ये जून, १९६३ के अन्त तक जारी हो जायेंगी ।

परिवार नियोजन

२३४७. **श्री ओंकारलाल बेरवा** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में पुरुषों के लिये हाल ही में संतति-निरोधक गोलियां बनाई गई हैं ?

(ख) यदि हां, तो क्या इन गोलियों का परीक्षण कर लिया गया है ;

(ग) यदि हां, तो फरवरी और मार्च, १९६३ में ये गोलियां देश में कितने व्यक्तियों को दी गयीं; और

(घ) इन का प्रभाव कब तक रहता है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख). केन्द्रीय औषध अनुसन्धान संस्था लखनऊ में प्रयोगात्मक पशुओं में एक ऐसे द्रव्य (कैडमियम क्लोराइड) का अध्ययन किया जा रहा है जो पुरुषों में जनन-शक्ति क्षीण कर सके ।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता । यह कार्य प्रयोगात्मक पशुओं तक सीमित है और मनुष्यों पर अभी इस का प्रयोग नहीं हुआ है, फिलहाल यह अवांछित पशुओं, कुत्तों अथवा अन्य आवारा जानवरों के हड्डी-रहित बन्ध्यकरण में कुछ उपयोगी हो सकता है ।

(घ) बतलाया गया है कि पशुओं में यह द्रव्य स्थायी बन्ध्यता पैदा कर देता है ।

कीर्तिनगर बस्ती

२३४८. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने दिल्ली की कीर्तिनगर बस्ती, जो रिहैबिलिटेशन हाउसिंग कारपोरेशन द्वारा दिल्ली नगर निगम को हस्तातरित की गई है के विकास कार्य के लिये तय की गई राशि अभी तक नहीं दी गई है;

(ख) क्या इस के कारण विकास कार्य रुका पड़ा है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यदि हां, तो यह राशि कब तक हस्तान्तरित किये जाने की आशा है;

(घ) यह निर्धारित राशि कितनी है; और

(ङ) यह राशि किन-किन मदों में दी जायेगी ?

निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) से (ङ). कीर्तिनगर बस्ती में व्यवस्थाओं (सर्विसेज) को दिल्ली नगर निगम ने अपने हाथ में ले लिया है और वही उन की देखभाल कर रहा है। हस्तान्तरण के समय यह तय हुआ था कि इन व्यवस्थाओं को अभीष्ट स्तर तक लाने के लिए निगम को उचित धनराशि दी जायेगी। इस सम्बन्ध में दिल्ली नगर निगम से परिशोधित अनुमान (रिवाइज्ड ऐस्टिमेट) प्राप्त हो गये हैं और उन की छानबीन की जा रही है और आशा है कि इस मामले का निर्णय शीघ्र ही हो जायेगा। यह अदायगी पुनर्वास, आवास निगम (रिहैबिलिटेशन हाउसिंग कारपोरेशन) द्वारा की जायेगी जिस ने इस बस्ती का विकास किया था।

पानागढ़ हवाई अड्डे में धावन-मार्ग

†२३४९. **श्री स०मो० बनर्जी** : क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पानागढ़ हवाई अड्डे (पश्चिम बंगाल) में एक धावन-मार्ग के निर्माण में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ख) क्या यह सच है कि धावन-मार्ग को बनाने का ठेका केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा एक फर्म को दिया गया था जिसने आपातकाल में काम को तेजी से पूरा करने के लिये आगे एक दूसरी फर्म को सहायक-ठेकेदार के रूप में रख लिया है ?

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) १५ अप्रैल, १९६३ तक लगभग ४५ प्रतिशत।

(ख) नहीं।

फेफड़ों पर धूम्रपान के प्रभाव

†२३५०. **श्री राम हरख यादव** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि धूम्रपान से फेफड़ों की रुधिर-वाहियों में दाब बढ़ जाता है;

(ख) क्या इस बारे में पटेल वक्ष संस्था, नई देहली, में कोई अनुसन्धान किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)**: (क) और (ख). वल्लभभाई पटेल वक्ष संस्था, देहली ने, जो धूम्रपान के प्रभावों पर अनुसन्धान करती रही है, यह बताया है कि धूम्रपान के शीघ्र बाद रुधिर-वाहियों में दाब बढ़ जाता है।

(ग) ब्रोंको फुफ्फस रोगों से पीड़ित रोगियों के दायें हृदय के केथीटरायजेशन के समय कुछेक को फुफ्फस धमनी के दाबों पर धूम्रपान के तत्काल प्रभाव का अध्ययन करने के लिये चुना गया था। तपेदिक के रोगियों में यह पाया गया था कि प्रकुंचन दाब[1] धूम्रपान के दो मिनट बाद काफी बढ़

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[1]Systolic pressure.

गया यद्यपि धूम्रपान के एकदम बाद कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। चिरकालिक श्वासनली शोथ (बोंकायटिस), बातस्फीती आदि अन्य रोगों में धूम्रपान से फुफ्फस धमनी दाब में तत्काल ही वृद्धि हुई जो धूम्रपान के दो मिनट बाद धीरे-धीरे बढ़ती रही। अनुशिथिलन दाब[1] के सम्बन्ध में परिवर्तन वही था जो तपेदिक में प्रकुंचन दाब के लिये था। अन्य रोगों में अनुशिथिलन दाब में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। जहां तक तपेदिक का सम्बन्ध था औसत दाब में परिवर्तन वही थे जैसे कि प्रकुंचन तथा अनुशिथिलन। अन्य रोगों में औसत दाब धूम्रपान के तत्काल बाद नहीं बढ़ा। परन्तु धीरे-धीरे वृद्धि होती थी जो धूम्रपान करने के दो मिनट बाद उच्चतम हो जाती थी।

दिल्ली में बिजली की कमी

२३५१. श्री ओंकारलाल बेरवा : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में बिजली की कमी अक्सर गर्मी में ज्यादा होती है; और

(ख) यदि हां, तो इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार क्या कर रही है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां।

(ख) मंत्रालय इस मामले में, दिल्ली बिजली संभरण उपक्रम के अधिकारियों से ब्यौरेवार विचार-विमर्श करता रहा है। गर्मी के महीनों में दिल्ली को बिजली निरन्तर मिलती रहे, इसके लिये नीचे लिखे उपाय किये गये हैं :—

१. भाखड़ा से थोक संभरण

(१) ट्रांसमिशन-लाइन के हर खम्भे को मजबत कर दिया गया है जिससे कि काम ठप्प न होने पाए।

(२) पंजाब राज्य बिजली बोर्ड के दिल्ली के ग्रिड उपकेन्द्र में, पूर्णतः संयुक्त फालतू ट्रांसफार्मर तैयार-बर-तैयार रखा है, जिस से कि जरूरत पड़ने पर उसे बिना देरी के चलाया जा सके।

(३) दिल्ली बिजली संभरण उपक्रम, भाखड़ा से मिलने वाली बिजली का पूरा-पूरा उपयोग करने के लिये जो अतर्योजक लाइनें लगा रही है, वे संभवतः मई, १९६३ के अन्त तक बन कर तैयार हो जायेंगी।

२. दिल्ली बिजली संभरण उपक्रम की उत्पादन-प्रणाली

(१) उत्पादक-संयंत्र को ओवरहाल किया गया है।

(२) उपक्रम पर जोर डाला गया है कि इस बात की जरूरत है कि प्रबन्ध-कर्ता सतत जागरुक रहें और कारगर देखरेख और देखभाल करें।

(३) दिल्ली बिजली संभरण उपक्रम के अधिकारियों से आग्रह किया गया है कि वे उपक्रम के तापीय एककों के लिए शीतन पानी को जुटाने का पर्याप्त प्रबन्ध करें।

(४) दिल्ली 'ग' ताप बिजलीघर (३६·५ मेगावाट) के चालू होने की तारीख दो महीने पहले कर के जून, १९६३ का अन्त कर दी गई है।

---

[1] Diastolic pressure.

जड़ी-बूटियां

२३५२. **श्री ओंकारलाल बेरवा :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार शिवालिक पर्वतमाला तथा कुमायूं की पहाड़ियों पर औषधीय जड़ी-बूटियों की खोज करन के लिये दो विशेषज्ञ दल भेजने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख). शिवालिक क्षेत्र में जिसमें सहारनपुर और देहरादून के जिले भी सम्मिलित हैं, केदारनाथ की चोटियों तथा गंगोत्री (भागीरथी घाटी) तक टेहरी गढ़वाल और गढ़वाल में जड़ी बूटियों का सर्वेक्षण करने के लिये भारत सरकार ने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरद्वार में एक एकक की स्थापना की योजना स्वीकृत कर ली है। कुमाऊं क्षेत्र में जड़ी बूटियों के सर्वेक्षण के लिये एक ऐसा ही एकक रानीखेत में भी स्थापित करने का विचार है ।

आगरा में जल प्रदाय

२३५३. **श्री ओंकारलाल बेरवा :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि आगरा की जल प्रदाय योजना का विस्तार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसमें कितने रुपये की आवश्यकता होगी ;

(ग) इसमें कितनी राशि केन्द्र सरकार द्वारा लगाई जायेगी और कितनी राज्य सरकार द्वारा; और

(घ) यह कार्य कब तक चालू होने की सम्भावना है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) से (ग). जी हां । आगरा में जल प्रदाय प्रणाली का विस्तार किया जा रहा है जिस पर अनुमानतः लगभग ४०·०० लाख रुपये व्यय होंगे । उत्तर प्रदेश सरकार को राष्ट्रीय जल प्रदाय एवं सफाई कार्यक्रम (नगर) के अधीन केन्द्रीय सरकार से १०० प्रतिशत ऋण के रूप में सहायता मिलेगी ।

(घ) इस काम के दिसम्बर, १९६३ तक पूर्ण हो जाने की आशा है ।

पोंग बांध तथा सतलज्-व्यास को मिलाने की परियोजनायें

†२३५४. **श्री हेम राज :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पोंग बांध तथा सतलज-व्यास को मिलाने की योजनाओं से निर्वासित व्यक्तियों को कॉलानी बना कर बसाने की नीति के सम्बन्ध में पंजाब, हिमाचल प्रदेश तथा राजस्थान राज्यों ने क्या प्रगति की है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन):** राजस्थान तथा पंजाब राज्य के मुख्य सचिवों के साथ चर्चायें अभी समाप्त नहीं हुई हैं तथा राजस्थान नहर क्षेत्र

---

†मूल अंग्रेजी में

के लिये (जहां कि व्यास परियोजना से निर्वासित व्यक्तियों को बसाया जाना है) कॉलनी बना कर बसाने की नीति को अन्तिम रूप देने में अभी कुछ और समय लगेगा।

व्यास निर्माण बोर्ड

†२३५५. **श्री हेम राज :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्वासित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये एक सलाहकार समिति नियुक्त करने के सम्बन्ध में व्यास नियंत्रण बोर्ड ने कोई निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो निर्वासित व्यक्ति जिन क्षेत्रों के हैं, उन क्षेत्रों से चुने हुये प्रतिनिधियों को इसमें क्या प्रतिनिधित्व दिया गया है ; और

(ग) इसमें प्रतिनिधित्व के लिये क्या कसौटी निर्धारित की गई है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन):** (क) अभी तक नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

नागार्जुनसागर परियोजना

†२३५६. **श्री वी० चं० शर्मा :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री चह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने संघ सरकार से यह प्रार्थना की है कि वह नागार्जुनसागर परियोजना के निर्माण कार्य को अपने हाथों में ले ले क्योंकि राज्य सरकार निर्धारित गति के अनुसार कार्य नहीं कर सकी है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन):** (क) आंध्र प्रदेश सरकार ने संघ सरकार से यह प्रार्थना की है कि वह नागार्जुनसागर परियोजना को केन्द्रीय परियोजना के रूप में समझ ले तथा उसके निर्माण के लिये राज्य की उच्चत्तम सीमा के बाहर से निधियों की व्यवस्था करे।

(ख) योजना आयोग से परामर्श करने के पश्चात् आंध्र प्रदेश सरकार को यह सूचित कर दिया गया है कि नागार्जुनसागर परियोजना के मामले में कोई अपवाद का कार्य नहीं किया जा सकता क्योंकि "सिंचाई" का कार्य राज्य-सूची में है तथा देश की समस्त सिंचाई परियोजनायें, जिनमें नागार्जुनसागर के आकार की परियोजनायें भी सम्मिलित हैं, राज्यों की योजनाओं का ही भाग है।

पुनर्वास विभाग में कर्मचारी

†२३५७. **श्री बाल्मीकी :** क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुनर्वास विभाग में १५ अप्रैल, १९६३ तक विभिन्न पदक्रमों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के छंटनी किये गये तथा प्रत्यावर्तित किये गये सरकारी कर्मचारियों की संख्या कितनी है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) जिन अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों को वैकल्पिक नौकरियां दे दी गई हैं उनकी संख्या कितनी है ?

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)**: (क) और (ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

पुनर्वास विभाग में कर्मचारियों का स्थायीकरण

†२३५८. **श्री बाल्मीकी** : क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व पुनर्वास मंत्रालय तथा उससे संलग्न अधीनस्थ कार्यालयों में कार्य करने वाला कोई व्यक्ति उनके १२ वर्ष के कार्यकाल में स्थायी बनाया गया था; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : (क) और (ख) संगठित सेवाओं में कार्य करने वाले कर्मचारी उपयुक्त सेवा, पदक्रम अथवा पद से सम्बन्धित नियमों के अनुसार, स्थायी घोषित किये गये स्थानों में, सम्बन्धित प्राधिकारियों द्वारा स्थायी किये जाते हैं। अन्य व्यक्ति स्थायी नहीं किये जाते क्योंकि वे जिन स्थानों पर कार्य कर रहे होते हैं वे ऐसे कार्य के लिये बनाये जाते हैं जो कि स्थायी स्वरूप का नहीं होता। तथापि, ऐसे अस्थायी कर्मचारी जो कि तीन वर्ष की सेवा पूरी कर देते है तथा अन्य शर्तें पूरी करते है अर्ध-स्थायी घोषित कर दिये जाते हैं।

पुनर्वास विभाग के छंटनी किये गये कर्मचारी

†२३५९. **श्री बाल्मीकी** : क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुनर्वास विभाग में विभिन्न पदक्रमों में १५ अप्रैल, १९६३ तक छंटनी किये गये कर्मचारियों की संख्या कितनी है ;

(ख) अब तक कितने व्यक्ति खपा लिये गये है; और

(ग) पुनर्वास विभाग म उन्होंने जो सेवा की थी क्या उसकी अवधि जिन अन्य मंत्रालयों में उन्हें नौकरियां मिल गई हैं उनके द्वारा वेतन, स्थायीकरण तथा निवृति वेतन निश्चित करने में लगाई जाती है ?

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

पश्चिम बंगाल में विद्युत की कमी

†२३६०. **श्री दीनेन भट्टाचार्य :**
श्री प० कुन्हन :
श्री मोहम्मद इलियास :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत् की कमी के कारण पश्चिम बंगाल की जूट मिलों में उत्पादन कम हो गया था

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या भारतीय जूट मिल संघ ने विद्युत् की कमी का मुकाबला करने के हेतु अपने अलग-अलग कारखानों को विद्युत् जनन करने वाले सैटों को स्थापित करने की अनुमति दिये जाने के लिये सरकार से कोई अभ्यावेदन किया है; और

(ग) यदि हां, तो उस अभ्यावेदन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन)**: (क) जी नहीं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पंजाब में क्षय रोग निरोधक उपाय

†२३६१. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में क्षय रोग निरोधक उपायों के लिले अब तक पंजाब को कितना धन दिया गया है; और

(ख) किन-किन मदों पर वह व्यय किया गया है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)**: (क) तृतीय पंचवर्षीय योजनाकाल के दौरान पंजाब में क्षयरोग निरोधक उपायों के लिये योजना आयोग द्वारा २५ लाख २० हजार रुपये की धन राशि आवंटित की गई है। राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार से "मार्गोपाय अग्रिम धन" जो कि उनके अधिकार में है में से सहायता लेती है। १९६१-६२ तथा १९६२-६३ में इस प्रयोजन के लिये पंजाब सरकार ने ६ लाख ८५ हजार रुपया व्यय किया है। इसके अतिरिक्त, इस अवधि में पंजाब की स्वैच्छिक क्षयरोग संस्थाओं को १,७१,५०० रुपये दिये गये थे ।

(ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें जानकारी दी गई है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० १२०८/६३ ।]**

चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को क्वार्टरों का आवंटन

†२३६२. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को दो कमरों के क्वार्टरों का आवंटन करने के लिये उनकी एक वरिष्ठता सूची रखी जाती है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)**: (क) जी, नहीं ।

(ख) चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये प्रवर्ग प्रकार (१) में आने वाले सभी घरों को एक ही अनुसूची में दर्ज किया जाता है तथा इन घरों के लिये केवल एक ही प्रतीक्षा सूची रखी जा रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दण्डकारण्य परियोजना के लिये केन्द्रीय आवंटन

†२३६३. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दण्डकारण्य विकास कार्यक्रम के लिये १९६३-६४ के केन्द्रीय आवंटन में कटौती कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक; और

(ग) क्या इस कटौती को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारियों ने कार्यक्रम में काट छांट करने का निश्चय किया है और यदि हां, तो किस सीमा तक ?

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)**: (क) और (ख) जी, हां। लगभग २५ प्रतिशत। १९६२-६३ के ५४५ लाख रुपये के पुनरीक्षित प्राक्कलनों के विरुद्ध, १९६३-६४ के लिये ४२० लाख रुपये आवंटित किये गये हैं।

(ख) जी, हां। अनावश्यक कार्यक्रमों की कुछ काट छांट आवश्यक होगी। दण्डकारण्य विकास प्राधिकार द्वारा पुनरीक्षित कार्यक्रम के ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

पश्चिम बंगाल में चावल के मूल्यों में कथित वृद्धि

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** (धनबाद) : नियम १९७ के अन्तर्गत मैं खाद्य तथा कृषि मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाता हूं तथा प्रार्थना करता हूं कि वह उसके बारे में एक वक्तव्य दें :—

"पंजाब बंगाल में चावल का संभरण कम होने के कारण उसके मूल्यों में असाधारण मूल्य "

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : श्रीमान, हमने ५ मार्च को एक अल्प सूचना प्रश्न के उत्तर में इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया था। यह स्थिति बहुत दिनों से है। इस वर्ष बंगाल में चावल का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में बहुत कम हुआ है। दुर्भाग्यवश इस वर्ष उड़ीसा में बहुत कम उत्पादन हुआ है। बंगाल को उड़ीसा तथा नेपाल से चावल भजा जाता है। अब नेपाल से चावल आ रहा है तथा कुछ मात्रा में आता रहेगा। परन्तु उड़ीसा से उतना चावल नहीं आ रहा हैं जितना वहां से आना चाहिये था। हमने मंत्रालय में अपने सभी साधन बंगाल सरकार को जितना चावल वह चाहते हैं उतना देने के लिए लगा दिए हैं।

हाल में ही बंगाल प्रशासन के अधिकारियों का एक सम्मेलन हुआ था। बंगाल चावल नहीं लेना चाहता है अपितु सेला चावल लेना चाहता है क्योंकि बंगालियों को वह सुस्वादु लगता है। इसलिये यह निर्णय किया गया था कि ५०:५० आधार पर उनको उचित मूल्य की दूकानों से

---

†मूल अंग्रेजी में

वितरण किया जाये। हमने उनको यह भी बता दिया कि जहां कहीं तथा जितनी वह चाहें वहां पर तथा उतनी उचित मूल्य की दूकानें खोल दें। हमारा यही कर्त्तव्य रहता है कि इस प्रकार की स्थिति होने पर उचित मूल्य की दूकानें खुलवा दें तथा चावल दे दें।

†**श्री त्यागी** : चावल के चोरी छिपे बाहर जाने को रोकने के लिए क्या प्रबन्ध किया गया है ?

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : पश्चिम बंगाल में घोर संकट के कारण तथा अल्प सूचना प्रश्न के उत्तर में आश्वासन देने के कारण मैं जानना चाहता हूं कि आश्वासन के अनुसार बंगाल को चावल का संभरण कब तक कर दिया जायेगा जिससे अकाल की स्थिति न आ जाये।

†**श्री स० का० पाटिल** : जब हम संकट संकट करते रहेंगे तो एक समय अवश्य आ जायेगा जब संकट आ जाये। वहां पर कोई संकट नहीं है कोई भी व्यक्ति चावल अथवा खाद्यान्नों के न होने से नहीं मरा है। वहां पर पर्याप्त खाद्यान्न है केवल चावल उचित मूल्य पर नहीं मिल रहा है। हमने वहां पर गेहूं भेज दिया है और बंगाली अब गेहूं खा रहे हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने जितना खाद्यान्न मांगा है हमने उनको उसे देने से इन्कार नहीं किया है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : क्या सरकार का ध्यान राज्य तथा केन्द्रीय मंत्री के आश्वासनों पर भी चावल ३६ रुपये मन अथवा ९६ नये पैसे किलो बिकने के बारे में आनन्द बाजार पत्रिका, जुगान्तर आदि में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है और यदि हां, तो क्या सभी वस्तुओं के मूल्यों को बढ़ने न देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**श्री स० का० पाटिल** : खाद्यान्नों के मूल्यों के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं के मूल्यों से मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है। हमारा यही कर्त्तव्य है कि जितनी संभव हो उतनी उचित मूल्य की दूकानें खुलवायें। इसीलिए हमने बंगाल सरकार को स्वतंत्रता दे दी हैं कि ५० प्रतिशत सेला चावल तथा ५० प्रतिशत अन्य प्रकार का चावल बिक्री करने वाली उचित मूल्य की दुकानें खोल दें।

†**श्री मुहम्मद इलियास** (हावड़ा) : मेरा एक औचित्य प्रश्न है। आपने कृपा करके ध्यान दिलाने की सूचना को अनुमति दे दी परन्तु माननीय मंत्री ने श्रीमती रेणु चक्रवर्ती के अल्प सूचना प्रश्न का उत्तर देना ठीक नहीं समझा। मैं जानना चाहता हूं कि जब बंगाल में मूल्य बढ़ रहे हैं तो माननीय मंत्री ने अल्प सूचना प्रश्न का उत्तर देना ठीक क्यों नहीं समझा।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह कोई औचित्य प्रश्न नहीं है।

†**श्री हो० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता मध्य) : श्रीमान, अल्प सूचना प्रश्न ग्राह्य होने के लिये कुछ नियम होने चाहिएं आपने इस विषय को महत्वपूर्ण समझा और ध्यान दिलाने की सूचना स्वीकार की। परन्तु माननीय मंत्री ने अल्पसूचना प्रश्न को स्वीकृति नहीं दी। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसके लिए भी नियम होने चाहियें जिसमें अल्प सूचना प्रश्न केवल मंत्री की अस्वीकृति पर अस्वीकार न हों।

†**अध्यक्ष महोदय**: क्या माननीय सदस्य कोई नियम बतायेंगे जिनके अधीन मैं हस्तक्षेप कर सकता हूं।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : सभा को नियमों में परिवर्तन करना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

सभा पटल पर रखे गये पत्र

स्वास्थ्य सर्वेक्षण तथा आयोजना समिति का प्रतिवेदन

†**स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू)** : डा० सुशीला नायर की ओर से मैं स्वास्थ्य सर्वेक्षण तथा आयोजना समिति का प्रतिवेदन खण्ड (२) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—१२०२/६३]**

सम्पदा शुल्क अधिनियम, बंगाल वित्त (बिक्री कर) अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)**: मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(२) सम्पदा शुल्क अधिनियम, १९५३ की धारा ३२ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत, दिनांक ६ अप्रैल, १९६३ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ९६२ में प्रकाशित सम्पदा शुल्क (संशोधन) नियम, १९६३ की एक प्रति।

(३) दिल्ली संघ राज्य-क्षेत्र में लागू बंगाल वित्त (बिक्री-कर) अधिनियम, १९४१ की धारा २६ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत दिल्ली बिक्री-कर नियम, १९५१ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक ११ अप्रैल, १९६३ के दिल्ली गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एफ० ४ (३३) ६२—फिन (ई) की एक प्रति।

(४) सीमाशुल्क अधिनियम, १९६२ की धारा १५९ के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक १३ अप्रैल, १९६३ की जी० एस० आर० संख्या ६१३।

(ख) दिनांक १३ अप्रैल, १९६३ की जी० एस० आर० संख्या ६१४।

(ग) दिनांक ११ अप्रैल, १९६३ की जी० एस० आर० संख्या ६३९।

(५) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क नियम, १९४४ में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक १३ अप्रैल, १९६३ की जी० एस० आर० संख्या ६१५।

(ख) दिनांक १३ अप्रल, १९६३ की जी० एस० आर० संख्या ६१६।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये क्रमशः संख्या एल० टी०—१२०३/६३, एल० टी० १२०४/६३, एल० टी० १२०५/६३ और एल० टी० १२०६/६३]

राज्य सभा से संदेश

†**सचिव** : मुझे राज्य सभा के सचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना देनी है :—

'राज्य सभा ने २२ अप्रैल, १९६३ की अपनी बैठक में लौह अयस्क खान श्रमिक कल्याण उप-कर (संशोधन) विधेयक, १९६३ पारित कर दिया है।'

---

†मूल अंग्रेजी में

लौह अयस्क खान श्रमिक कल्याण उप-कर (संशोधन) विधेयक

†**सचिव**: मैं लौह अयस्क खान श्रमिक कल्याण उप-कर (संशोधन) विधेयक, १९६३, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, सभा पटल पर रखता हूं ।

राज भाषायें विधेयक--जारी

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा श्री लाल बहादुर शास्त्री द्वारा २३ अप्रैल, १९६३ को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा करेगी :

> "कि संसद् में कार्यसम्पादन, केन्द्रीय और राज्य अधिनियमों और उच्चन्यायालयों में कुछ प्रयोजनों के लिए संघ के राज काज में प्रयोग की जाने वाली राज भाषाओं का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

इसके साथ संशोधनों पर भी चर्चा होगी । १५ घंटों में से ९ घंटे तथा ३५ मिनट समाप्त हो चुके हैं।

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : आप से मेरी प्रार्थना है कि इस विधेयक का समय कम से कम २ घंटे और बढ़ा दें ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं विचार करूंगा ।

श्री मौर्य अपना भाषण जारी रखें ।

श्री मौर्य (अलीगढ़) : अध्यक्ष महोदय, यदि हम अपने संविधान की पवित्र धाराओं का अध्ययन ठीक प्रकार से करें तो वहां पर "शैल बी", "देअरआफ्टर" और "प्राग्रेसिव यूज आफ हिन्दी" यह तीन शब्द ऐसे हैं जिनका अनालिसिस करने के बाद यह मालूम होता है कि राष्ट्रपति को संविधान के लागू होने के पांच वर्ष बाद एक कमिशन बिठलाना चाहिये, और उसके अध्ययन के पश्चात् ही कुछ निर्णय लेना चाहिये । यही नहीं, उसके पश्चात् दस वर्ष के बाद भारत के राष्ट्रपति जी को एक और कमिशन बिठलाना होगा, यह संविधान के शब्द हैं, और वह कमिशन इस का अध्ययन करेगा कि देश में दस वर्षों में हिन्दी की कितनी प्रगति हुई है और अंग्रेजी की क्या परिस्थिति है तथा उसे सदन के सामने रक्खेगा । आज इस सदन में जो निर्णय हम लेने जा रहे हैं, उसके लिए मैं कहता हूं कि वह अवैधानिक होगा, इस कारण से कि जो कुछ भी निर्णय होगा वह कमिशन का जो पांच वर्ष का अध्ययन है हिन्दी के बारे में उस के ऊपर आधारित होगा । यह विधेयक आउट आफ डेट है और जो निर्णय होगा वह अवैधानिक होगा ।

इससे आगे बढ़ कर जहां तक भाषा का सम्बन्ध है, मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह पुत्र को अपनी मां से प्यार होता है, जिस तरह से देश भक्त को अपने देश से प्यार होता है, जिस तरह से धर्म विश्वासी को अपने धर्म से प्रेम होता है, ठीक उसी प्रकार से एक भाषा के प्रेमी को अपनी भाषा से प्रेम और उस में विश्वास होता है। जहां मैं यह बात कहता हूं वहां मैं इस बात को मानता

---

†मूल अंग्रेजी में

हूं कि हमारे मित्र जो डी० एम० के० के भाई हैं उनका भी अपनी भाषाओं तमिल, तेलगू और कन्नड़ से ही उतना प्रेम और उसमें उतना ही विश्वास है जितना हम हिन्दी भाषियों को हिन्दी में है। लेकिन उनकी सिर्फ एक बात मेरी समझ में नहीं आती है जिसको मैं आगे बढ़ कर लूंगा। आयरलैण्ड, वेल्स, ईरान और तुर्की, इन की मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं। आयरलैंड के जो पढ़े लिखे लोग हैं वे करीब करीब सब अच्छी तरह से अंग्रेजी जानते हैं, उसको लिख पढ़ सकते हैं और बोल सकते हैं, भारतवर्ष के मुकाबले में बहुत ज्यादा प्रतिशत लोग वहां पर अंग्रेजी को अच्छी तरह लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और बोल सकते हैं, लेकिन इस बात के होते हुए भी उन्होंने आयरलैंड की अपनी भाषा को अपनी राज भाषा बनाया। अपनी राज भाषा उन्होंने आयरिश भाषा को बनाया। उन्होंने अंग्रेजी को अपने ऊपर नहीं थोपा।

मैं कुछ देर के लिए इतिहास के पन्नों को दोहराना चाहता हूं। आज से २७०० वर्ष पूर्व यहां पर संस्कृत का बोलबाला हुआ। मध्य देश में संस्कृत थी और धीरे धीरे वह पूरे राष्ट्र में फैल गई। उस के पश्चात् भगवान गौतम बुद्ध तथा महावीर जी ने अपने धर्म का और अपने विचारों का प्रसार किया वह अर्द्ध मागधी और मागधी भाषा में किया, जो कि आगे बढ़ कर पाली भाषा का रूप ले गई। आज से ढाई हजार वर्ष पूर्व इस राष्ट्र में पाली भाषा लोग बोलते थे। ईसा मसीह से ६०० वर्ष पूर्व और ईसा मसीह से ६०० वर्ष पश्चात् १२०० वर्ष तक इस राष्ट्र में पाली भाषा रही, और उस के प्रतीक महाराज अशोक के स्तम्भ हैं। उन स्तम्भों पर उन्होंने जो कुछ लिखवाया वह पाली भाषा में लिखवाया। जब आज से २,००० वर्ष पूर्व या १८०० वर्ष पूर्व हम अपना कार्य पाली भाषा में चला सकते थे, और अच्छी तरह चला सकते थे, मैं केवल यही नहीं कहता, जब हमारी सभ्यता को दूसरे लोग भी मानते थे, मैं कहना चाहता हूं कि आज हिन्दी के बारे में क्यों इतनी परेशानियां आती हैं? हमारे डी० एम० के० के लीडर साहब ने कहा कि हम इस भाषा के चैप्टर को खोलें।

मैं एक मिनट के लिये उसी चैप्टर को यहां पर खोलता हूं। इस मुल्क में १७९ के करीब भाषायें हैं। जब उन भाषाओं को हम अपने सामने रखते हैं तो क्या देखते हैं? उन भाषाओं को एक एक कर के मैं लूंगा जो कि कमिशन की रिपोर्ट के २७वें पन्ने पर लिखी हैं। उसी के अनुसार मैं यहां आंकड़े देता हूं :

असमियां बोलने वाले	५० लाख
बंगला बोलने वाले	२ करोड़ ५१ लाख
गुजराती बोलने वाले	१ करोड़ ६३ लाख
हिन्दी, उर्दू अर्थात् हिन्दुस्तानी बोलने वाले और उस में विश्वास करने वाले	१५ करोड़
कन्नड़ बोलने वाले	१४ लाख
मलयालम बोलने वाले	३३ लाख

एक माननीय सदस्य: यह गलत है।

श्री मौर्य : यह मैं सही कह रहा हूं, जो कि कमिशन की रिपोर्ट में है और सन् १९५१ की सैन्सस रिपोर्ट के अनुसार है ।

मराठी बोलने वाले	२ करोड़ ७० लाख
उड़िया बोलने वाले	१ करोड़ ३१ लाख
संस्कृत बोलने वाले	केवल ५५५
तमिल बोलने वाले	२ करोड़ ६५ लाख
तेलगू बोलने वाले	३ करोड़ ३० लाख
दूसरी भाषाओं के बोलने वाले	करीब ३ करोड़

मैं यह कहना चाहता हूं कि यहां पर दो तरह की सभ्यतायें बढ़ती रही हैं, द्रवि सभ्यता और आर्यन सभ्यता । द्रविड़ सभ्यता में जो तीन चार भाषायें आती हैं उन के बोलने वाले केवल ९ करोड़ हैं और आर्यन भाषा बोलने वाले करीब ३६ करोड़ के हैं । इस ३६ करोड़ में भी मैं थोड़ी देर के लिये इस सदन का ध्यान वहां पर ले जाना चाहूंगा कि हिन्दी बोलने वाले कितने हैं ।

अब मैं हिन्दी की बात पर आता हूं । करीब १५ करोड़ हिन्दी बोलने वाले और समझने वाले हैं, और इनमें बहुत से उसको लिख और पढ़ सकते हैं । इस राष्ट्र के १५ करोड़ लोग हिन्दी बोलने वाले हैं । भाषा का प्रश्न जिस समय कांस्टीट्यूएंट असेम्बली में उठा था और बड़ी भारी परेशानी सामने आयी थी, उस समय हमारे आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो कहा था उसको उन्होंने इस सदन में आज फिर दुहराया है । उन्होंने १३ सितम्बर, १९४९ में कांस्टीट्यूएंट असेम्बली में जो कहा था उसमें से पन्ना १४१४ पर से मैं कुछ आपको पढ़ कर सुनाता हूं । वह इस प्रकार है :

> "परन्तु अंग्रेजी जानने वालों तथा अंग्रेजी न जानने वालों के बीच की खाई राष्ट्र के लिए घातक थी । हम यह अब सहन नहीं कर सकते हैं । और इसीलिए हमें अपनी भाषा अवश्य बनानी चाहिए ।"

ऐसा आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस समय भी कहा था । उस समय भाषा का निर्णय बहुत अच्छी तरह से लिया गया था कि देश की राष्ट्र भाषा हिन्दी होगी क्योंकि उसको देश के ४२ प्रतिशत लोग बोल या समझ सकते हैं । लेकिन आज यहां पर अंग्रेजी को हमारे ऊपर थापा जा रहा है । हमारे सब से पहले राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद जी ने भी इसके सम्बन्ध में १५ अगस्त, १९६० को मद्रास में जो कहा था उन शब्दों को मैं आज इस सदन के सामने रखना चाहता हूं । हमारे डी० एम० के० के भाई भी उनको सुन लें । उन्होंने कहा था :

> "हम आपकी भावनाओं का आदर करते हैं तथा उन पर भाषा लादना नहीं चाहते हैं । परन्तु हम पर आप भी विदेशी भाषा न लादें ।"

उन्होंने कहा था कि हम कोई भी ज़बान आपके ऊपर नहीं थोपना चाहते, लेकिन यह कहां की वकालत है कि आप गोरों की भाषा को, एक विदेशी भाषा को हमारे ऊपर थोपना चाहते हैं । अंग्रेजी को अच्छी तरह जानने वाले देश में २ फीसदी भी नहीं हैं ।

मैं भावनाओं को लेकर सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि हिन्दी एक बड़ी साधारण, सूक्ष्म और सरल तथा सुन्दर भाषा है। मैं स्वयं इसकी मिसाल मौजूद हूं। मैंने उरदू-फारसी दस बारह वर्ष पढ़ी तब थोड़ी सी समझ सका, अंग्रेजी को मैंने २५ बरस तक पढ़ा मगर मैं उसको अच्छी तरह समझ नहीं पाया, और हिन्दी को मैंने एक बरस नहीं, एक महीना नहीं, एक दिन भी नहीं पढ़ा लेकिन मैं हिन्दी थोड़ी बहुत समझता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि जिस भाषा को १५० वर्ष तक सिखाने के बावजूद अंग्रेजी २ फीसदी से ज्यादा को न सिखा पाए उस भाषा को आप थोप कर क्या राष्ट्र को पीछे ले जाना चाहते हैं।

हां, एक बात में मैं हिन्दी के विरुद्ध हूं। जिस तरह की हिन्दी बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है उसके मैं विरुद्ध हूं। आज हिन्दी में ऐसे शब्द लाने का प्रयत्न किया जा रहा है जैसे :

अभियन्ता, अभिशाषी, लौहपथगामिनी

इस तरह के जो शब्द लाए जाते हैं मैं उनके विरुद्ध हूं। ऐसे शब्द जैसे:

रेलवे स्टेलन, इंजेक्शन, डायरी

जो कि हमारे रोजाना के जीवन में आ गए हैं उनको हिन्दी में शामिल कर लेना चाहिये। ऐसा नहीं करेंगे तो हिन्दी आगे बढ़ नहीं सकेगी। और अगर ऐसा किया गया तो हमारे डी० एम० के० के भाइयों को उस हिन्दी पर कोई आपत्ति नहीं होगी। डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने १३ सितम्बर, सन् १९४९ को कांस्टीट्यूएंट असेम्बली में जो कहा था वह पेज १३९१ पर इस प्रकार लिखा है :

> "यदि आप चाहते हैं कि हिन्दी अखिल भारतीय भाषा बने तो यह जरूरी है कि संस्कृत तथा अन्य भारतीय भाषाओं के शब्द उसमें लायें। मुझे प्रसन्नता है कि इसमें ऐसा करने का उपबन्ध किया गया है।"

मतलब यह कि जो हिन्दी बनायी जाए उसको कठिन न बनाकर ज्यादा से ज्यादा सरल बनाया जाए। हमारे आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जो ने सन् १९४९ में कांस्टीट्यूएंट असेम्बली में कहा और जो कुछ यहां कहा उनकी बातों को मैं देखता हूं। उनकी भाषा बहुत प्रबल है, उनकी भावनाएं बहुत प्रबल हैं। लेकिन उनकी कथनी और करनी में अन्तर है। जो कहते हैं करते नहीं हैं। जो वह कहते हैं वही करते तो आज यह विरोधी दल पैदा न हुआ होता। तमाम लोग उनको अपना एक मात्र नेता मान कर चलते। वे अपनी कथनी और करनी के फर्क को मिटाएं। उरदू के बारे में उन्होंने कहा था कि उरदू एक डाइनेमिक भाषा है, उसमें रवानी है, जोश है, लेकिन उरदू के लिए क्या किया गया? आज देश में आसामी भाषा के लिए घर है, बंगला के लिए घर है, मराठी के लिए घर है, गुजराती आदि अन्य भाषाओं के लिए घर हैं, लेकिन उरदू एक खानाबदोश भाषा है, उसके लिए कोई स्थान नहीं है। उसके लिए कोई घर नहीं है। मैं मानता हूं कि उसको राष्ट्रीय जबानों में शामिल किया गया है, लेकिन उसका स्थान कहां है? केवल यह कह देना कि उसको ८वें शिड्यूल में शामिल कर लिया गया है काफी नहीं है। उसको एक इलाके की जबान मानना पड़ेगा और अगर ऐसा किया गया तो जो लोग उरदू भाषा में यकीन करने वाले हैं उनको भी हम से नाराजगी नहीं होगी। उरदू किसी खास मजहब की जबान नहीं है। मुसलमान उसको अरब से अपने साथ नहीं लाए थे। वह हिन्दुस्तान की जबान है, यहां पैदा हुई और बढ़ी है, उसका एक कल्चर है, उसका एक तमद्दुन है, उसके पीछे एक भाव है। मैं उसी भाषा को जानता हूं। इसलिए जो लोग आज यह समझते हैं कि उरदू किसी एक मजहब की जबान है उनसे मैं कहूंगा कि वह अपनी इस गलतफहमी को दूर कर दें।

[श्री मौर्य]

जहां तक हिन्दी की बात है उसके लिए एक आन्दोलन चल रहा है। इस सदन के आदरणीय सदस्य स्वामीजी भूख हड़ताल कर रहे हैं। वह कहां तक सही हैं या कहां तक गलत हैं इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन यह एक भाषा का सवाल है, जिसको देश के ४२ पर सेंट लोग बोलते हैं। इस संकट के समय इस भाषा के प्रश्न को पैदा करके और सदन को परेशानी में डाल कर राष्ट्र का नुकसान किया जा रहा है। यह धमकी की बात नहीं है। यह देश के ४२ परसेंट हिन्दी भाषी लोगों की भाषा का सवाल है, यह १५ करोड़ इन्सानों का सवाल है। इसको आपको अपने सामने रखना पड़ेगा। जब आप दो करोड़ और चार करोड़ लोगों के लिए भावना से प्रेरित हो जाते हैं और उनकी धमकी का खयाल करते हैं, तो हमारे प्यार, हमारी मुहब्बत और हमारे मन में जो श्रद्धा है उसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं जो कि इससे अलग है। उत्तर और दक्षिण में विरोध चला है इसका कारण एक यह भी है कि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा प्रान्त है। अगर उसके दो टुकड़े कर दिए जाएं, उसको दो हिस्सों में बांट दिया जाए तो उत्तर और दक्षिण नजदीक आ जाएंगे। यह बात सत्य है कि ऐसा करने से उत्तर और दक्षिण का अन्तर मिटेगा। उत्तर और दक्षिण को निकट लाने के लिए मेरा दूसरा सुझाव है कि भारत की दो राजधानियां बना दी जाएं, एक दिल्ली और दूसरी हैदराबाद। ऐसा करने से भी उत्तर और दक्षिण का फर्क मिटेगा। और दक्षिण वाले हिन्दी को आसानी से सीख लेंगे। जब वे लोग एक विदेशी भाषा को सीख कर उत्तर वालों से आगे बढ़ सकते हैं तो मेरा विश्वास है कि भविष्य में वे हिन्दी को भी सीख कर उत्तर भारत वालों से आगे बढ़ जाएंगे।

यह जो विधेयक आया है इसका विरोध करते हुए मैं कहता हूं कि जो कुछ हम आज यहां पर निर्णय ले रहे हैं वह उस कमीशन के लेखे जोखे के अनुसार ले रहे हैं जो कि संविधान के लागू होने के पांच साल बाद बनाया गया था, जब कि हमारा निर्णय उस कमीशन के लेखे जोखे पर होना चाहिए था जो कि दस बरस बाद बनाया जाता। इसलिए यह निर्णय अवैधानिक है। इसीलिए मेरा निवेदन है कि एक कमीशन बनाया जाय और उसके लेखे जोखे के आधार पर यहां निर्णय लिया जाए। मेरा निवेदन है कि अंग्रेजी को इस बिल द्वारा हमेशा हमेशा के लिए हम पर न थोपा जाए। आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके साथी अपने जीवन काल में राष्ट्र भाषा को राष्ट्र में चला कर हमेशा हमेशा के लिए अजर अमर हो जाएं यही मेरी कामना है।

†**श्री खाडिलकर** (खेड): श्रीमन्, इस अवसर पर सविधान सभा के वाद विवादों को याद करना असंगत नहीं होगा, जहां कि पहली बार राजभाषा की समस्या पर चर्चा की गई थी। आप भी उन सदस्यों में से एक थे जिन्होंने इस प्रश्न पर वाद-विवाद किया था तथा एक समझौते पर पहुंचने का प्रयत्न किया था, आपने भारतीय इतिहास में प्रथम वार सह-भाषाओं में से एक को राष्ट्रीय भाषा के रूप में चुना था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह एक ऐतिहासिक निर्णय था। जहां तक हम देख सकते हैं गत इतिहास में कभी भी समस्त भारत के लिये एक ही भाषा विद्यमान नहीं थी।

---

†मूल अंग्रेजी में

क्योंकि भारत भाषाओं का संस्कृतियों का एक सन्धान राज्य है। अतः भाषा, संस्कृति तथा विभिन्न प्रदेशों की अन्य सामाजिक पृष्ठभूमियों के प्रश्न पर प्रादेशिक दृष्टिकोण से वाद-विवाद तथा चर्चा की जानी चाहिये तथा अन्ततोगत्वा किसी एक मत पर पहुंचा जाना चाहिये।

उस अवसर पर लिपि का भी प्रश्न उठाया गया था तथा रोमन लिपि को स्वीकार करने पर बल दिया गया था। जब मैं वाद विवादों को पढ़ता हूं तो कभी कभी यह अनुभव करता हूँ कि यदि हम प्रगति करना चाहते हैं अब भी किसी दिन इस विषय पर चर्चा करनी होगी।

अब यह प्रश्न उठता है कि क्या हिन्दी एक आधुनिक जटिल राज्य की राजभाषा के रूप में कार्य करने तथा एकता की भावना को बनाये रखने की स्थिति में है। मेरे हिन्दी-भाषी मित्र यह अनुभव करें कि हमारा एक मिश्रित राजनीतिक ढांचा है। विभिन्न संस्कृतियों तथा विभिन्न भाषाओं को बनाये रखना तथा उन्हें पूर्ण विकास का अवसर देते हुए इस विभिन्नता में भी एकता की भावनाओं को और दृढ़ करना राजनीतिक कला-कौशल का कार्य है।

अंग्रेजी के विरोध में चाहे कोई कुछ भी कहे, हमें यह स्वीकार करना पड़ता है कि देश में अंग्रेजी भाषा ने सभी भारतीय भाषाओं के लिये उपमाता का कार्य किया है। अंग्रेजों ने सोचा कि अंग्रेजी लाकर वह भारतीय भाषाओं को दबा सकेंगे परन्तु प्रभाव इसके विरुद्ध हुआ। नये विचार उत्पन्न हुए, अनेक विचार अंग्रेजी भाषा से लिये गए; प्रत्येक प्रदेश में साहित्य के नये रूप आये, सुन्दर सुन्दर गद्य, पद्य तथा निबन्ध लिखे गये और सभी भाषाओं का समोन्नत विकास हुआ। जब हम उनकी भाषा के द्वारा अंग्रेजों तथा उनके विचारों के सम्पर्क में आये तो पूर्व तथा पश्चिम में पुनरुत्थान हुआ। बंगाल, महाराष्ट्र तथा अन्य प्रदेशों में बड़े बड़े लेखक हुए। इसलिये भविष्य के लिये नीति को निर्धारित करते समय हमें यह सब देखना होगा।

यहां भाषा के सम्बन्ध में विचार करते समय कुछ लोग अपने निर्वाचन क्षेत्र अथवा दल के सम्बन्ध में सोचते हैं। यह कोई किसी दल की अथवा निर्वाचन क्षेत्र की समस्या नहीं है अपितु एक राष्ट्रीय समस्या है। यदि हमें राजनीतिक एकता को बनाये रखना है तो हमें भाषाओं के तथा संस्कृतियों के सन्धान को मानना होगा।

अंग्रेजी का विरोध करने के बावजूद हम इसके ऋणी हैं। यदि हमने अंग्रेजी के साथ अपना सम्बन्ध विच्छेद कर दिया तो भारतीय साहित्य में और कमियां हो जायेंगी। हमें स्वयं को संसार से पृथक नहीं करना है। जिस भाषा में नई संस्कृति, नया विज्ञान आदि है उससे हमें पृथक नहीं होना है। संसार में विचारों के रूप में जो कुछ भी सर्वोत्तम है वह हमें एकत्रित करना है वह आत्मसात करना है। यही एक भाषा है जिसके द्वारा इस देश के कुछ प्रतिशत लोग यह कर रहे हैं।

इस लोक-तंत्र में हमें एकता स्थापित करनी चाहिये तथा जन समुदायों के बीच आपस में कुछ संपर्क, विचारों का आदान प्रदान बनाये रखना चाहिये। इसी से हमारी भाषा समृद्ध होगी तथा राजनीतिक व सामाजिक जागरन के लिये हमें नवीन शक्ति मिलेगी।

जहां तक वर्तमान विधान का सम्बन्ध है इस मामले में हर क्षेत्र को अपनी बात कहने का अधिकार होना चाहिये।

[श्री खाडिलकर]

अगले दस वर्षों के लिये नीति निर्धारित करते समय हमारी सरकार जनता से अपनी बात मनवाना चाहती है। मैं इससे सहमत हूँ कि कुछ एकरूपता, एकता तथा समझौता तो होना चाहिये, परन्तु किस आधार पर? सरकार ने पिछले पन्द्रह वर्षों में हिन्दी को दक्षिण भारत में लोक प्रिय बनाने के लिये उसका प्रचार करने के लिये कोई सराहनीय कार्य नहीं किया है। वहाँ उन्होंने कोई विश्वविद्यालय नहीं खोला है। हम उत्तर तथा दक्षिण के बीच एक संयोजक कड़ी चाहते हैं। हमें हिन्दी के विरुद्ध कुछ नहीं कहना है। हम इसे समृद्ध बनाना चाहते हैं तथा चाहते हैं कि हमें इसके लिये गर्व हो। विभिन्न भाषाओं से कुछ कुछ लेकर हिन्दी भाषा समृद्ध हो सकती है।

जो लोग यथास्थिति बनाये रखना चाहते हैं तथा चाहते हैं कि दस वर्ष पश्चात् आयोग नियुक्त किये जाने के बदले अभी से समिति नियुक्त हो जाये तो मैं उनसे यह पूछूंगा कि बिहार, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में हिन्दी को अभी तक इस स्थिति में लाने के लिये प्रगति क्यों नहीं की गई है? किसी भी भाषा की प्रगति केवल सरकार के समर्थन से ही नहीं होती। हिन्दी प्रेमियों को देश भर में हिन्दी को, सच्ची भावना से लोक प्रिय बनाना चाहिये और स्थानीय व्यक्तियों के सहयोग से विभिन्न क्षेत्रों में जाकर हिन्दी सीखने के केन्द्र स्थापित करने चाहिये। हिन्दी को फैलाने का, उसे अधिक लोकप्रिय बनाने का तथा सरकार व जन समुदाय के बीच एक कड़ी स्थापित करने का केवल यही उपाय है।

†**श्री वासुदेवन नायर** (अम्बलपुजा) : अब तक के वाद विवाद से यह स्पष्ट है कि विधेयक तथा उसकी भावना को सदन के सभी भागों से समर्थन प्राप्त है। इस देश का कोई भी निष्पक्ष व्यक्ति इस विधेयक का स्वागत करेगा जिसमें कहा गया है कि अंग्रेज़ी तब तक रहेगी जब तक देश की जनता उसे चाहेगी। मेरा विचार है किसी ने भी अभी तक गम्भीरता से यह सुझाव नहीं दिया कि हमें संविधान सभा के निर्णय पर पुनः विचार करना चाहिये।

जहां तक हिन्दी का सम्बन्ध है, हमने उसे राजभाषा के रूप में स्वीकार किया है। हिन्दी तथा मलायलम के बीच २ हजार मील से अधिक का अन्तर है परन्तु मैं केवल इसी कारण हिन्दी को एक विदेशी भाषा नहीं समझता। कुछ लोग दक्षिण में तथा अहिन्दी-भाषी क्षेत्रों में हिन्दी विरोधी आन्दोलन की बात करते हैं। वास्तव में कुछ आशंकायें तथा भय बने हुए है और उनमें से कुछ न्यायसंगत ही हैं। परन्तु यह कहना कि दक्षिण के सभी लोग हिन्दी विरोधी सहायता से बहुत दूर है। मूल तथा निष्पक्ष प्रश्न यह है कि क्या कोई देश की एकता में विश्वास करता है और यदि करता है तो एक ही भाषा को राजभाषा चुनने की आवश्यकता के लिये उसे सहमत होना पड़ेगा। हमने हिन्दी को राजभाषा के रूप में ठीक ही चुना है। यदि हमें इसी देश का भाग हो कर रहना है तो हम उत्तर के अपने भाइयों से पत्र व्यवहारादि करना होगा तथा इसके लिये कोई माध्यम होना चाहिये। कुछ लोग कहेंगे कि यह अंग्रेज़ी क्यों नहीं हो सकती है! मैं उनसे यह कहूंगा कि क्या अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के हमारे लोगों के लिए यह एक संतोष-जनक बात होगी कि हिन्दी भाषी क्षेत्रों के लोगों पर भी विदेशी भाषा लाद दी जाये। अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में लोगों को अन्य भाषायें सीखनी होंगी, वह चाहे हिन्दी हो, अंग्रेज़ी हो या पंजाबी हो। राजभाषा कुछ भी हो, उन्हें एक भाषा और सीखनी होगी। यदि वे भारत में रहना चाहते है तो, किसी भी प्रकार यह करना होगा। यदि वे अलग होना चाहते हैं तो भिन्न बात है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

मैं नहीं समझता कि सामान्य भाषा की समस्या सरलता से समाप्त नहीं होगी। अतः अहिन्दी भाषी लोगों के लिये यह कोई हल नहीं है कि हमारे लाभ के लिये एक विदेशी भाषा को ४० प्रतिशत जन संख्या पर थोप दिया जाये। हां, एक और प्रश्न पूछा जा सकता है कि यह कोई अन्य भारतीय भाषा क्यों न हो या हिन्दी ही क्यों हो? मैं मानता हूं कि यह बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। परन्तु हमारा भूत है, इतिहास है, राष्ट्रीय आन्दोलन की परम्परा है और हिन्दी ने यह स्थान इन सारी बातों के परिणामस्वरूप ग्रहण किया है। अतः यह विचारना बेकार है कि किसी अन्य देश की भान्ति अल्प-संख्यकों की भाषा राजभाषा बना दी जाये। मेरे या मेरे जैसे किसी भी व्यक्ति के लिये अब हिन्दी सीखना और इस प्रकार बोलना जैसे हम अंग्रेजी बोलते हैं, कुछ असंभव है। परन्तु मैं अपने बारे में नहीं अपितु अपने उस बच्चे के बारे में विचारता हूं जो स्कूल में हिन्दी अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ रहा है। आपको यह जान कर प्रसन्नता होगी कि मेरे राज्य में पिछले १५ या २० वर्ष से हिन्दी अनिवार्य विषय है। मुझे विश्वास है कि यदि हम उन्हें ठीक शिक्षा दें तो वे, मेरा लड़का इसी प्रकार हिन्दी बोलेगा जैसे मैं अंग्रेजी बोलता हूं।

अब सारी समस्या परिवर्तन की है। यही समस्या का आधार है। इस बारे में व्यक्ति को बहुत ही सावधान होने की आवश्यकता है। इस बारे में असहनशीलता से काम नहीं चलेगा। अतः हम जब भी अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी की बात सोचते हैं, समय आने पर जब अहिन्दी भाषी लोग हिन्दी पर्याप्त जान सकेंगे, कोई अधिक कठिनाई नहीं हो सकती। इस बारे में मैं कुछ प्रस्ताव करना चाहता हूं। एक मुख्य समस्या, जो अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में मध्यम वर्ग अर्थात् शिक्षित वर्ग को उकसाती है, संघ सेवा की है। हमने संशोधन रखा है कि संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में उम्मीदवार को अंग्रेजी, हिन्दी या अपनी मात्र भाषा में उत्तर लिखने की स्वतन्त्रता होनी चाहिये। इसी प्रकार हिन्दी भाषी क्षेत्रों के उम्मीदवारों को कुछ अन्य परीक्षा पास करनी चाहिये। ताकि उन्हें अन्य उम्मीदवारों की अपेक्षा अधिक लाभ प्राप्त न हो। अतः तीन-भाषा का सिद्धान्त बनाना सरकार के लिए बड़ी ही बुद्धिमानी का काम है। यदि अहिन्दी भाषी को हिन्दी में और हिन्दी भाषी को हिन्दी को छोड़ कर किसी अन्य आधुनिक भारतीय भाषा में एक प्रश्न पत्र का उत्तर देना पड़े, तो उनका कुछ विशेष ध्यान रखा जाना चाहिये। यदि ऐसा हो जाये तो अहिन्दी भाषियों का विरोध काफी सीमा तक समाप्त हो जायेगा।

भावात्मक एकता समिति ने अपनी रिपोर्ट में परोक्ष रूप में सुझाया है कि अहिन्दी क्षेत्रों में हिन्दी पढ़ाने का काम हिन्दी भाषी राज्यों द्वारा किया जाना पूर्णतया असन्तोषजनक है। ३-भाषा सिद्धान्त को लागू करने में हिन्दी भाषी राज्यों का सहमत न होना इस देश के लिए बहुत ही हानिप्रद होगा। फिर, विश्वविद्यालयों में भी शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषा होना चाहिये। अंग्रेजी से हिन्दी लाने की बात करते समय क्षेत्रीय भाषाओं में बदलने की भी बात सोचनी चाहिये। यदि हिन्दी भाषी हिन्दी के अतिरिक्त अन्य तीसरे क्षेत्रीय भाषा के बारे में सोच ही नहीं सकते, तो हमारे देश की वास्तविक एकता भी प्राप्त नहीं हो सकती। यदि मार्गदर्शन उचित रूप में किया जाये, तो मुझे विश्वास है कि भाषा की यह समस्या हमारी जनता के हित में देश की एकता के हित में सुलझाई जा सकती है। आज हमें उचित नेतृत्व की आवश्यकता है, असहनशील नेतृत्व की नहीं।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** (शिवसागर): श्रीमान्, उत्तर में चीनियों के आक्रमण और दक्षिण तथा पश्चिम में पाकिस्तानियों के प्रवेश के कारण वह क्षेत्र बीच में ही दब गया और आसाम

†मूल अंग्रेजी में

[श्री प्र० चं० बरुआ]

के लोगों को किसी भी घटना के लिये तैयार रहना पड़ा। इससे सेना के नये अड्डों, सड़कों के निर्माण, तथा सीमाओं पर हवाई अड्डों की आवश्यकता है। इसी स्थिति में स्वाभाविक है कि आसाम के लोग इस मतभेद में अधिक रुचि नहीं ले सके हैं। उनका विचार है कि इस मतभेद ने प्रतिरक्षा तथा विकास के लिए देश को तैयार करने से लोगों का ध्यान हटा दिया है। अतः उनका विचार है कि यह विधेयक इस समय पेश नहीं किया जाना चाहिए था।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

भारत एक देश है और इसकी एक सामान्य राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिये और इसके लिए जनसाधारण ने हिन्दी को चुना है। परन्तु इस बारे में कोई जल्दी और दबाव नहीं होना चाहिये। जो बात आज सम्भव नहीं है वह ५,१० या २५ वर्ष में सम्भव हो जायेगी। जहां तक अंग्रेजी की बात है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा, परन्तु हिन्दी समर्थकों से प्रार्थना करूंगा कि वर्तमान काल में स्थिति को न बिगड़ने दें। इसके दो कारण हैं, पहिला यह है कि अभी हमारे काफी लोग इसे भली भांति नहीं सीख पाये हैं और यदि इतने पर भी यह थोपी जाती है तो स्वाभाविक है कि प्रतिक्रिया होगी और वह हिन्दी के लिए ही नहीं अपितु देश के लिए भी हानिप्रद होगी। इसका कारण यह है कि स्वयं हिन्दी का अभी पूरा विकास नहीं हुआ है। टैक्निकल, वैध और वैज्ञानिक विषयों में इसका रूप निश्चित करने के लिए कुछ नहीं किया गया है। हिन्दी के रूप के बारे में देश में बहुत से मतभेद है जिनसे अहिन्दी भाषी लोगों को भ्रम होता है। उन्हें विदित होना चाहिये कि सरकारी कार्य में प्रयोग होने वाली हिन्दी का क्या रूप होगा और उन्हें कैसी हिन्दी सीखनी होगी। इस बारे मैं निश्चय न होने तक अंग्रेजी को न छेड़ना चाहिये। फिर, हिन्दी को राजभाषा बनाने के कारण क्षेत्रीय भाषाओं को हानि नहीं होनी चाहिये। जहां तक 'मे' और 'शैल' का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि इस विधेयक में 'मे' का प्रयोग उचित है। अतः मैं और असाम के लोग इस विधेयक का समर्थन करते है।

†**श्री नरसिम्हा रेड्डी** (राजमपेट) : मैं प्रारूप विभाग को बधाई देता हूं कि उसने इस चातुरी से विधेयक बनाया है कि गृह-कार्य मन्त्रालय के मन्त्री अपनी इच्छानुसार भविष्य में इसका प्रयोग कर सकते हैं।

डा० सुब्बारायन् ने राजभाषा आयोग की रिपोर्ट में संलग्न विमति टिप्पण में कहा था कि राजभाषा आयोग के अधिकतर सदस्यों ने बंगाल, मद्रास और कन्नड़ भाषी क्षेत्रों के महत्वपूर्ण साक्षियों के मतों पर विचार नहीं किया। यदि सुशिक्षित तथा सुसंस्कृत व्यक्तियों का यह हाल है तो हम जनसाधारण को, जो प्रायः भावुक रहते है, भावना समझ सकते है। कुछ हिन्दी समर्थकों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण में रुकावट डालने पर वाकतारण पाने के बाद भी संसद् में अपनी वैसी ही कार्यवाही जारी रखी और कुछ अन्य समर्थकों ने संसद् के बाहर प्रदर्शन किये। इससे अत्यधिक डर उत्पन्न हो गया है और यदि प्रधान मन्त्री अपने विचारों में दृढ़ न रहे थे, तो बताये देता हूं कि दक्षिण में इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि सरकार कभी मद्रास, आदि स्थान पर संसद् का सत्र बुलाये तो उसे विदित होगा कि लाखों व्यक्ति अपनी धारणायें व्यक्त करने के लिए भाषा के बारे में संसद् के द्वार पर आ जायेंगे और पता लगेगा कि भाषा की समस्या के बारे में वहां व्यक्तियों के क्या विचार हैं। इन विरोधी विचारधाराओं के होते हुए देश के राजनीतिज्ञों तथा सुप्रसिद्ध संसद् सदस्यों को स्थानीय भेदभाव से ऊपर उठना है। आशा है कि सरकार और संसद् सदस्य कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे विघटन की आग और भड़क उठे। केवल यह कहने से कि संविधान में अमुक उल्लेख है, अतः यह

†मूल अंग्रेज़ी में

करना ही पड़ेगा, कोई बात नहीं बनेगी। डा० सुब्बारायन् ने अपने विमति टिप्पण में कहा था कि मद्रास सरकार ने आयोग को दूसरा पत्र भेजा और प्रार्थना की कि वे संविधान में संशोधन करने की भी सिफारिश करें। राष्ट्रीय आन्दोलन के समय अंग्रेजी ने ही उत्तर और दक्षिण को मिलाया था और जिन्होंने इसका मार्ग दर्शन किया वे भी अंग्रेजी जानने वाले थे। अब उन्हें "देशद्रोही" कहा जाये क्योंकि उनका अंग्रेजी के प्रति अनुराग है तो वे अपने से सहमत न होने के व्यवहार में और भी कड़ाई ले आयेंगे। अहिन्दी भाषी लोगों की अपनी प्राचीन भाषायें हैं जिनकी अपेक्षा हिन्दी एकदम बच्चा भाषा है। वे नहीं चाहते कि ऐसी हिन्दी को उनकी भाषा के मुकाबले अधिक महत्व मिले। वे अंग्रेजी रखने को तैयार हैं क्योंकि उससे देश और विदेश में पत्र व्यवहार में सुगमता होती है।

देश की महाविभूतियों में केवल एक व्यक्ति ऐसा है जिसने इस मामले में राष्ट्रीय, युक्तियुक्त और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया है और वह है पंडित नेहरू। परन्तु विधेयक का प्रारूप जिस प्रकार तैयार किया गया है उससे प्रधान मंत्री के आश्वासन पूरे नहीं होते। जहां तक शब्द "may" ["कर सकेगा"] और " shall " ["करेगा"] का प्रश्न है, मेरा मत है कि निश्चय ही "may" ["कर सकेगा"] का अर्थ "may not" ["नहीं कर सकेगा"] होता है फिर, दूसरा आश्वासन कि 'हिन्दी' हम पर थोपी नहीं जायेगी और अंग्रेजी को जब तक अहिन्दी भाषी चाहें राजभाषा रहेगी, तनिक भी पूरा नहीं किया गया है। प्रधान मन्त्री के जीवन में यह दूसरा अवसर है जब देश की एकता डावांडोल हुई है। पहिली बार उस समय हुई थी जबकि आन्ध्र प्रदेश बना था। उन्हें इस समय विचारों में सुदृढ़ रहना चाहिये। उन्हें किसी भाषा के लिए देश की एकता का त्याग नहीं करना चाहिये। मैं पंडित नेहरू से निवेदन करता हूं कि वह ७ अगस्त, १९५९ को संसद् में दिये गये अपने आश्वासनों को पूरा करने के लिए हमारे संशोधनों का समर्थन करें।

†**श्री दासप्पा** (बैंगलोर) : अनेक हिन्दी भाषी सदस्यों ने इस विधेयक के प्रति अब बहुत ही युक्तियुक्त दृष्टिकोण अपना लिया है। आशा है कि वे यह भी महसूस करेंगे कि इस सभा के अहिन्दी भाषी सदस्य कितने अधिक सहायक और सहयोगी हैं। मैं इस अवसर पर सभा से राष्ट्रपिता के उस आन्दोलन का स्मरण करने की बात कहता हूं जो उन्होंने हिन्दी के लिए आरम्भ किया था। उन्होंने यह कार्य १९१८में आरम्भ किया था और इसके लिये स्वयं अपने पुत्र को मद्रास भेजा था। उन दिनों जब किसरकार से कोई सहायता नहीं मिल सकती थी, हिन्दी प्रचारकों ने हिन्दी भाषी क्षेत्रों के सहयोग से नहीं अपितु अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के सहयोग से लगभग ६००० केन्द्र हिन्दी पढ़ाने के लिए खोले और ४०००, ५००० या और भी अधिक हिन्दी प्रचारक के लिए वास्तव में इन वर्षों में मेरी शिकायत यह रही है कि संविधान में हिन्दी के प्रचार के लिए उपबन्ध होते हुए भी केन्द्रीय सरकार ने बहुत कम कार्य किया है। केन्द्रीय सरकार ने हिन्दी के प्रचार पर लगभग ९ लाख रु० व्यय किये हैं जिनमें से ८ लाख रु० हिन्दी भाषी क्षेत्रों को मिले और लगभग १.२० लाख रु० अहिन्दी भाषी क्षेत्रों को मिले। यदि द्रविड़ मुन्नम कषगम वाले मित्र कुछ अन्यथा कहते हैं, तो आपको यह नहीं समझना चाहिये कि शेष दक्षिण भारत भी हिन्दी के प्रति तंगदिल है। आन्ध्र और मैसूर में हिन्दी के प्रचार केलिए अनेक संस्थायें हैं। तमिलनाड में भी ऐसा ही कार्य हो रहा है। मैं कह सकता हूं कि ऐसे लोग भी बहुत हैं जो मंच पर हिन्दी का विरोध करते हैं। परन्तु हिन्दी सीखने के लिए अपनी स्त्रियों व बच्चों को हिन्दी स्कूलों में भेजते हैं। विधेयक के उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण में स्पष्ट उल्लेख है कि विधेयक ४ सितम्बर, १९५९को दिये गये प्रधान मन्त्री के आश्वासनों की पूर्ति के लिए है। परन्तु मुख्य प्रश्न यह है कि क्या इस में वे सारे आश्वासन सम्मिलित हैं। व्याख्या में बताया गया है कि अंग्रेजी अनिश्चित काल तक हिन्दी के साथ राजभाषा बनी रहेगी और यह बात सन्तोषजनक है कि अहिन्दी भाषी राज्यों सहित अनेक राज्य सरकारों का परामर्श लिया जायेगा। समूचे रूप में विधेयक सभा का समर्थन पाने का पात्र है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री बकर अली मिर्जा** (वारंगल) : इस विधेयक पर हिन्दी भाषी सदस्यों ने कहा है कि अंग्रेजी को स्थिर बनाया जा रहा है और अहिन्दी भाषियों का कहना है कि उन पर हिन्दी थोपी जा रही है। स्वाभाविक है कि दोनों ठीक नहीं हो सकते। सम्भव है कि दोनों ही गलत हों। इस विधेयक में यथा-सम्भव हिन्दी भाषियों की भावनाओं को रखने और अहिन्दी भाषियों की शंका दूर करने का प्रयास किया गया है। कुछ लोगों ने अंग्रेजी का समर्थन किया है परन्तु वह यह भूल जाते हैं कि पाकिस्तान भी अंग्रेजी के ही कारण बना। निश्चय ही, कोई अंग्रेजी को छोड़ने नहीं जा रहा। यह बात नहीं मानी जा सकती कि हम केवल अंग्रेजी के द्वारा ही प्रगति कर सकते हैं। अंग्रेजी समर्थकों की शंका यह है कि हिन्दी को प्रथम स्थान मिलने से उन पर हिन्दी वालों का प्रभुत्व हो जायेगा। यह डर सच्चा है। हिन्दी वाले कह सकते हैं कि यह सब ठीक नहीं है। परन्तु भाषावार राज्यों की ओर देखने से पता लगता है कि राज्य की राजभाषा वाले क्षेत्र के व्यक्ति को कुछ अधिक लाभ रहता है। प्रश्न यह है कि यह डर कैसे दूर किया जाये। एक उपाय यह है कि यदि किसी व्यक्ति की मातृ भाषा हिन्दी है तो आप उसे बाध्य करें कि वह कोई अन्य भाषा भी पढ़े। क्या किसी हिन्दी समर्थक ने दक्षिण भारत की कोई भाषा पढ़ने का प्रयास किया है ? नहीं। अतः उन्हें क्या पता कि दक्षिण वालों को हिन्दी पढ़ने में क्या कठिनाई है। फिर कहा गया है कि तीन भाषा का सिद्धान्त लागू नहीं किया गया। आप संकल्प पारित करके किसी भाषा को राजभाषा नहीं बना सकते। जब वह यह जानते हैं तो, फिर चिल्लाने और शोर मचाने से क्या लाभ ? अतः हमें अन्य सर्वोत्तम काम करना चाहिये अर्थात्, दोनों ओर भार बराबर डालिये।

इस विधेयक में एक समिति की नियुक्ति का उपबन्ध जो आनुपातिक आधार पर नियुक्त होगी। अतः उसमें अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के काफी लोग होंगे। इस समिति के सुझाव संसद् के लिए ही नहीं अपितु अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के लिए भी अनिवार्य होंगे। अतः श्री फ्रेंक एन्थनी की शंकायें निराधार हैं।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने कहा कि यह आश्वासन संविधान तैयार करते समय दिये जाने चाहिएं थे परन्तु यह आश्वासन आज जो स्थिति उत्पन्न हुई है उस में दक्षिण वालों की शंकाओं को दूर करने के लिये दिये जा रहे हैं।

मैं समिति के प्रतिवेदन को राज्य सरकारों के विचारार्थ भेजने का समर्थन नहीं करता क्योंकि वहां जब इस मामले पर चर्चा होगी तो लोग भावुक होंगे और उत्तेजना बढ़ेगी।

मैं हैदराबाद से आता हूं जहां कि हर काम उर्दू भाषा में होता था परन्तु आज हिन्दी के अनुयायी वहां एक नई भाषा को प्रयोग में ला रहे हैं, नये शब्द ला रहे हैं। मैं नहीं समझता कि शब्दकोष तैयार करने से और नये नये शब्द लाने से एक भाषा समृद्ध हो सकती है।

उर्दू भाषा का विकास दिल्ली के बाजारों में हुआ परन्तु आज यहीं पर उर्दू की अवहेलना हो रही है। हिन्दी भाषा का विकास करते समय हमें इसे अधिक क्लिष्ट और सीमित बनाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। बल्कि उर्दू और हिन्दी को मिला कर हिन्दुस्तानी भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। महात्मा गांधी ने वर्षों की सूझ-बूझ से काम लेकर देवनागरी और अरबी लिपि में हिन्दुस्तानी के प्रयोग का आग्रह किया था।

इस विधेयक का हमें खुले दिल से समर्थन करना चाहिए। देश की सेवा हमारे सामने मुख्य उद्देश्य होना चाहिए।

†**डा० मा० श्री अणे** (नागपुर) : यह विधेयक प्रस्तुत करके सरकार ने स्वीकार किया है कि वह संविधान में उपबंधित कर्तव्यों और दायित्वों का पालन नहीं कर सकी।

---

†मूल अंग्रेजी में

सरकारी भाषा सम्बन्धी संसदीय समिति में अपने विमति-टिपण में श्री थाकुर दास भार्गव ने बताया है कि वर्ष १९५१ से शिक्षा मंत्रालय ने राज-भाषा के सम्बन्ध में अत्यन्त असंतोषजनक काम किया। मैं उनसे पूर्णतया सहमत हूं। यदि शिक्षा मंत्रालय इस सम्बन्ध में अधिक सक्रिय होती तो आज यह समस्या हमारे समक्ष नहीं आती।

एक अन्य खेदजनक तथ्य हमारे समक्ष है। हिन्दी भाषा के प्रति जो दृष्टिकोण पहले था वह अब नहीं रहा है। संविधान सभा में हमने एकमत से हिन्दी को राष्ट्रीय भाषा स्वीकार किया था, परन्तु आज हम देखते हैं कि हिन्दी भाषा का घोर विरोध हो रहा है जिसके परिणाम बहुत बुरे हो सकते हैं। आज इस प्रश्न पर भारत की अखण्डता को चोट पहुंचाने की धमकियां भी दी जाती हैं। भाषा के आधार पर राज्य स्थापित हो जाने पर भी यह समस्या समाप्त नहीं हुई, वरन् भाषा के आधार पर हठधर्मिता बढ़ गई है। विदर्भ अपने आप को भाषाई झगड़े से अलग रखना चाहता था इसलिये उस ने स्वायत्त अस्तित्व की मांग की थी परन्तु सरकार भाषाई हठधर्मियों के सामने झुक गई। इस भाषावाद से राष्ट्रीयता को चोट पहुंची है और परस्पर समझौते के अवसर कम हो गये हैं।

भाषा के आधार पर बड़े बड़े राज्य स्थापित हुए जिस के परिणामस्वरूप हिन्दी का भूत खड़ा किया गया। यहां तक कि दक्षिण के कुछ राज्यों में भारत की एकता को चोट पहुंचाने की धमकी दी गई। समाचारपत्रों में खुले तौर पर कहा गया कि भारतीय संघ से पृथक्करण की मांग करना संविधान के विरुद्ध नहीं है।

इस सारी पृष्ठभूमि और वर्तमान परिस्थितियों को समक्ष रख कर ही हमें इस विधेयक पर विचार करना है।

मैं समझता हूं कि इस विधेयक से हमारे अहिन्दी भाषी लोग सन्तुष्ट हो जायेंगे, और हम संसार के सामने यह कह सकेंगे कि हम भावात्मक दृष्टि से और अन्य दृष्टियों से एक हैं। देश की एकता भाषा की समस्याओं से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। यह विधेयक इसी प्रयोजनार्थ प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्तुत विधेयक में हिन्दी को वही उच्च स्थान दिया गया है जो संविधान में इस को प्राप्त है। जो अंग्रेजी भाषा के प्रयोग को जारी रखने के समर्थक हैं उन के लिये यह प्रसन्नता की बात होगी कि अंग्रेजी कुछ समय और प्रयोग में रहेगी। १० वर्ष पश्चात् स्थिति के निरीक्षण के लिये एक समिति का भी उपबन्ध है। अधिनियमों के मूल पाठ अब हिन्दी में भी तैयार किये जायेंगे। राज्य सरकारें प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग कर सकेंगी। इन उपबन्धों को दृष्टि में रखते हुए यह विधेयक सभी को स्वीकार्य होना चाहिए।

इस विधेयक में हिन्दी लादने का प्रयत्न नहीं किया गया है। राजभाषा का प्रश्न हिन्दी और अहिन्दी भाषा भाषी लोगों का प्रश्न न हो कर राष्ट्र का प्रश्न है।

उच्च शिक्षा का उद्देश्य राज्य में अथवा संघ में सेवायें प्राप्त करना है परन्तु इस दृष्टिकोण में हमें परिवर्तन लाना चाहिए। क्योंकि यही बात सारे झगड़े का कारण है। प्रादेशिक भाषाओं के जानने वाले लोगों में सेवाओं के समान वितरण सम्बन्धी उपबन्ध हो जाये तो यह विधेयक देश में एकता स्थापित करने में और भी सम्पन्न होगा।

[डा० मा० श्री० अणे]

कुछ लोग अंग्रेजी के निरन्तर प्रयोग में लाये जाने पर आपत्ति करते हैं, परन्तु जैसे हम प्रतिरक्षा आदि के क्षेत्रों में आत्मनिर्भर नहीं हैं उसी प्रकार भाषा में भी हम आत्मनिर्भर नहीं हैं। देश की एकता, प्रशासनिक कुशलता को बनाये रखने की दृष्टि से अंग्रेजी के प्रयोग का जारी रहना उचित है।

इस जटिल समस्या के समाधान के लिये सरकार का विधेयक समर्थनीय है। मैं अन्त में अपने मित्रों से अनुरोध करूंगा कि देश की एकता और अखण्डता को हमें हर कीमत पर बनाये रखना है।

†**श्रीमती अक्कम्मा देवी** (नीलगिरि) : हिन्दी भाषी लोगों का इस सभा में जो आचरण देखा गया है, जिस प्रकार वह राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय सदन से उठ कर चले गये थे, और जिस प्रकार इस विधेयक को पुरःस्थापित करते समय उन्होंने हल्ला-गुल्ला किया, वह सब खेदजनक है। यह लोग अहिन्दी भाषी लोगों की स्थिति पर ध्यान नहीं देते जो ६० प्रतिशत हैं और जिन की मातृभाषा हिन्दी नहीं है। वह केवल यही चिल्लाते रहते हैं कि "हिन्दी", "हिन्दी", परन्तु उन की यह मांग सर्वथा अनुचित है। अपने सर्वथा एकतरफे विचारों से वह हिन्दी को हानि पहुंचा रहे हैं।

दक्षिण में हम ने हिन्दी भाषा का सम्मान किया है। हम इसे अधिकाधिक सीखने का प्रयत्न कर रहे हैं। त्रै-भाषा सूत्र को हम ने स्वीकार किया है। आज पांचवीं श्रेणी से ऊपर हिन्दी पढ़ाई जाती है। आपको बहुत सी स्त्रियां भी हिन्दी की ज्ञाता मिलेंगी। हम हर प्रकार हिन्दी का सम्मान करते हैं। मैं ने स्वयं इस आयु में भी हिन्दी को सीखने का प्रयास किया है। परन्तु केवल शोर मचाने से हिन्दी के लिये स्नेह बढ़ने वाला नहीं है।

खण्ड ३ में "करेगा" और "कर सकता है" शब्दों के प्रयोग के बारे में जो शंकायें व्यक्त की गई हैं वह उचित हैं। परन्तु प्रधान मंत्री द्वारा जो इस का स्पष्टीकरण किया गया है उस से मेरी शंका दूर हो गई है।

परन्तु मैं माननीय गृह-कार्य मंत्री से फिर भी अनुरोध करूंगी कि "कर सकता है" के स्थान पर "करेगा" रखा जाय, ताकि अंग्रेजी हिन्दी के साथ सहभाषा के रूप में बनी रहे, और साथ ही अंग्रेजी तब तक प्रयोग में लाई जाती रहे जब तक हम चाहते हैं। इस के अतिरिक्त, अंग्रेजी भाषा का ज्ञान आज अन्तर्राष्ट्रीय सम्पर्क, विज्ञान और तकनीकी ज्ञान के लिये भी आवश्यक है।

मैं इस विधेयक का समर्थन करते हुए एकबार फिर अनुरोध करती हूं कि अंग्रेजी को तब तक सहभाषा बनाये रखा जाय जब तक अहिन्दी भाषी लोगों की इच्छा हो।

श्री शिव नारायण (बांसी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा अनुगृहीत हूं कि आपने ऐसे पवित्र अवसर पर और ऐतिहासिक महत्व के अवसर पर जब कि राष्ट्र भाषा जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर सदन द्वारा विचार किया जा रहा है, मुझे अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया। यह राष्ट्र भाषा और राज भाषा का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। मैं केवल एक कांग्रेस मैन की हैसियत से ही नहीं वरन् एक अध्यापक की हैसियत से कहना चाहता हूं कि सरकार भारत की १४ प्रादेशिक भाषाओं की एक डिक्शनरी बनाये। जहां "पानी" के लिए "वाटर" लिखा जाता है वहां तेलगू, कन्नड़, मराठी आदि सभी १४ प्रादेशिक भाषाओं में "पानी" के लिए प्रयोग किये

---

†मूल अंग्रेजी में

जाने वाले शब्दों को लिखा जाय। इस तरह से चौदहों भाषाओं की एक डिक्शनरी बना दी जाय और उसको पढ़ाना शुरू किया जाय। मैं इस के लिए तैयार हूं। दक्षिण भारत के लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं कि अगर वे हिन्दी को राजभाषा के पद पर बिठाने के लिए राज़ी नहीं हैं तो वह किसी भी भाषा को बशर्ते कि वह इस देश की भाषा हो, उसको राष्ट्र भाषा और राज भाषा बना लें। उस के राज भाषा होने का ऐलान कर दें। मैं आपके साथ पूरी तरह से सहयोग करने के लिए तैयार हूं। मैं हिन्दी वालों से कह दूंगा कि वे अपना मुंह बन्द रक्खें, शान्त रहें और उस को स्वीकार कर लें।

गुप्तकालीन भारत में इस देश में संस्कृत राष्ट्रभाषा रही है। उस समय इस देश में संस्कृत का बहुत प्रचार था और संस्कृत का ऐसा वातावरण बना हुआ था कि महलों से लेकर कुटियाओं तक संस्कृत का बोलबाला था और सुग्गा तक इस देश में उस समय संस्कृत बोलता था। जब भगवान बुद्ध का ज़माना आया तो उन्होंने संस्कृत के स्थान पर पाली को अपनाया। उस समय अवस्था यह थी कि कुछ ब्राह्मणों को छोड़ कर जो कि ऊंचे ऊंचे स्थान पर थे और वे संस्कृत के महान पंडित होते थे लेकिन आम तौर पर उस समय जो ग़रीब जनता होती थी वह संस्कृत को नहीं समझ पाती थी। वे बेचारे यह नहीं समझ पाते थे कि धर्म क्या है और उस की प्रीचिंग्स क्या क्या हैं तब भगवान बुद्ध ने संस्कृत के स्थान पर पाली अपनायी और उसका उन्होंने व्यवहार किया। हम ने देखा कि पाली इस तरह से देश में और जनता में फैली।

आज अगर हिन्दी जितना कि उस को फैलना चाहिये था, नहीं फैली है तो यह किस का दोष है? यह गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है। इस के लिए मैं गवर्नमेंट पर लांछन लगाना चाहता हूं। नेहरू सरकार पर मेरा चार्ज है कि आज पन्द्रह वर्ष के अन्दर देश के अन्दर हिन्दी उतनी नहीं फैली जितनी कि फैलनी चाहिये थी और इस के लिये यह सरकार दोषी है। मैं डा० मेलकोटे से पूछना चाहता हूं कि सन् १९४७ के बाद से जबकि इस देश को स्वराज्य मिला है, इस गवर्नमेंट ने दक्षिण में हिन्दी प्रचार के वास्ते कितना रुपया दिया है? यह ठीक है कि हिन्दी के प्रचार के लिए वहां के लोगों ने स्वयं काफ़ी रुपया खर्च किया। करोड़ों रुपये उन्हों ने दक्षिण में हिन्दी प्रसार के लिये खर्च किये लेकिन गवर्नमेंट ने क्या दिया है? वह तो खर्चा पबलिक ने किया है लेकिन सरकार ने इस के लिए कितना पैसा दिया है? मैं तो सरकार से साफ़ कहना चाहूंगा कि अगर वह अंग्रेज़ी को अभी देश में कायम रखना चाहती है तो वह हिन्दी और अंग्रेज़ी दोनों को बतौर राजभाषा के ऐलान करे। हिन्दी और अंग्रेज़ी दोनों इस देश की राज भाषायें रहेंगी ऐसा ऐलान सरकार कर दे ताकि हम अपने बच्चों को अंग्रेज़ी पढ़ायें और वे आई० ए० एस० और पी० सी० एस० कम्पटीशंस में बैठ सकें और उन में दूसरों के मुकाबले कम्पीट कर सकें। आज सेक्रेटेरियट सर्विस में कौन डौमीनेट करता है? आज गवर्नमेंट की मशीनरी किस के हाथ में है? वह उत्तर प्रदेश वालों के हाथ में है या दक्षिण व मद्रास वालों के हाथ में है? वह सब के हाथ में है यह दुरुस्त है लेकिन मैजारिटी किस की है।

आज पंजाब और कश्मीर से ले कर दक्षिण में कन्याकुमारी तक सब लोग मिली जुली हिन्दी-उर्दू वाली हिन्दी को समझते हैं। इसलिए भले ही टूटी फूटी क्यों न हो लेकिन हिन्दी बोली जाय, सब लोग उसे समझते हैं। इस हाउस में जैसी इंगलिश बोली जाती है वह मैं ही जानता हूं। मैं भी इंगलिश का एक विद्यार्थी रहा हूं और मैं इंगलिश जानता हूं। मैं इंगलिश का अध्यापक भी रहा हूं। लेकिन मैं कहूंगा कि लंगड़ी इंगलिश बोलने के बजाय यह कहीं अच्छा है कि सब लोग देश में हिन्दी बोलें भले ही वह टूटी फूटी क्यों न हो। हम सब अगर चाहें तो हिन्दी को समझ सकते हैं।

[श्री शिव नारायण]

इस देश में सब से बड़ा अभिशाप यह अंग्रेजी है। मैं श्री एन्थोनी से जिन्होंने कि कल इस पार्लियामेंट में बैठ कर अपने भाषण में गालियां दी हैं, कहना चाहूंगा कि उन्होंने गालियां दे कर उस कहावत को चरितार्थ कर दिया है :

"बसूं तेरी गोद में, उखाड़ूं तेरी दाढ़ी।"

उन्होंने कल ऐसी इंगलिश बोली कि हम उस का एक सेंटेंस भी नहीं समझे कि उन्होंने क्या कहा ? लेकिन इतना निश्चित है कि इनडाइरैक्ट तौर पर उन्होंने इस देश को कोसा और गालियां दीं। मैं और कुछ न कह कर सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि जिस देश में उन्होंने जन्म लिया उसी देश को कोसना और गालियां देना अनुचित बात है। जिस तरह से भारतवर्ष से अंग्रेजों की हुकूमत समाप्त हुई और वे सात समुन्दर पार चले गए उसी तरह अंग्रेजी भी इस मुल्क से देर सबेर जानी चाहिये। अंग्रेजी के स्थान पर किसी भी देशी भाषा को आप राष्ट्रभाषा और राजभाषा के पद पर आसीन कर दीजिये, मैं उस के सामने नतमस्तक हो जाऊंगा। अगर इस देश में वाकई आप राष्ट्रीय एकता लाना चाहते हैं तो वह हिन्दी द्वारा ही ला सकते हैं। हिन्दी को राष्ट्रभाषा अभी हम ने तय नहीं किया है बल्कि हिन्दी को तो राष्ट्रभाषा कांग्रेस ने सन् १९१८ में ही तय कर दिया था। इस देश की महान् हस्तियों, वल्लभभाई पटेल, दादाभाई नौरोजी, गोविंद बल्लभ पंत, गांधीजी, सुभाष बाबू आदि ने हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाना स्वीकार किया। इन महान् हस्तियों के अलावा सब से पहले स्वामी दयानन्द सरस्वती जी जोकि गुजरात से आते थे उन्होंने इस देश के लिए हिन्दी बतौर राष्ट्रभाषा के रक्खी थी। ऐसा करने का कारण स्वाभाविक था क्योंकि सब भाषाओं में हिन्दी सब से आसान भाषा है। हाउस में जो माननीय सदस्य हिन्दी नहीं जानते हैं मैं उन को चैलेंज के साथ कहता हूं कि मैं उन को ८ दिन के भीतर हिन्दी पढ़ना सिखा सकता हूं।

जो बच्चे आज हमारे फोर्थ क्लास में पढ़ते हैं वे पन्द्रह वर्षों में एम० ए० पास कर सकते हैं और एम० ए० की डिग्री हासिल कर सकते हैं। मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि मद्रास के जो एम० ए० पास लड़के हिन्दी में हों और उत्तर प्रदेश के हिन्दी के जो एम० ए० पास लड़के हों, दोनों कम्पटीशन में बैठें और सैलेक्शन कर के उन में से ले लिया जाय। मैं कब कहता हूं कि उन को न लिया जाय ? उन को सर्विस में रखिये। हम तो स्वयं पददलित लोग हैं, दबाये हुए लोग हैं और जिस तरह से हमारे लिए रिजरवेशन है दक्षिण वालों के लिए भी सर्विसेज में रिजरवेशन रख दिया जाय। मैं दस करोड़ आदमियों को रिप्रैजेंट करता हूं और मैं यह बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। मैं हरिजन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता हूं। इस देश के अन्दर १० करोड़ हरिजन बसते हैं जोकि आज भी भूखे नंगे और अशिक्षित हैं

उपाध्यक्ष महोदय : मौजूदा बिल से इस का क्या ताल्लुक है ? यह तो लैंग्वेज बिल है।

श्री शिव नारायण : अगर हिन्दी पढ़ाने और उस का प्रसार करने का प्रयास किया जायेगा तो उस से हम हरिजनों को भी लाभ होगा और हमारे वहां से अशिक्षा दूर होगी। सरकार द्वारा हिन्दी की पढ़ाई की व्यवस्था करने से गरीब लोग भी पढ़ सकेंगे और जो मुल्क में लाखों और करोड़ों लोग अशिक्षित और निरक्षर हैं वे शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : वह तो अलग बात है। वर्तमान बिल तो लैंग्वेजेज के बारे में है। ढेबर कमिशन की रिपोर्ट आ रही है उस अवसर पर इस के बारे में कहा जा सकता है।

श्री शिव नारायण : मैं कह रहा हूं कि भाषा हमारी सरल हो और यही कारण है कि हिन्दी इस देश की राजभाषा स्वीकार की गई है क्योंकि वह बहुत आसान भाषा है। हिन्दी इसलिए रखी गई कि उस को बंगाल में भी समझा जाता है और दूसरे प्रदेशों में भी समझा जाता है---उस को हिन्दुस्तान के कोने कोने में समझा जाता है। और देश के बड़े बड़े लोगों ने उस को रखा।

मेरे मित्र, श्री मौर्य, ने उर्दू के बारे में कहा। उन्होंने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश को बांट दिया जाये। अगर वह बंटवारे पर ही तुले हुए हैं, तो मैं उन को बताना चाहता हूं कि मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं और आज ऐसा मालूम होता है कि जयचंद और पथ्वीराज का खून इन रगों में अभी बाकी है। उस नीति पर चल कर इस देश का कल्याण नहीं होने वाला है। (**अन्तर्बाधायें**) उन का यह कहना गलत है कि उत्तर प्रदेश का बटवारा कर दिया जाय। मैं भी उर्दू जानता हूं।

न पैमां-शिकन हैं, न ग़द्दार हैं हम,
वतनपरवरी के ख़तावार हैं हम।

मैं उर्दू, हिन्दी, पर्शियन और अंग्रेजी जानता हूं। (**अन्तर्बाधायें**)

उपाध्यक्ष महोदय: : आर्डर, आर्डर।

श्री शिव नारायण : जितने आपोजीशन के लोग बोले हैं, जितने विरोधी लोग बोले हैं, वे महज़ अपनी पार्टी के प्रोपेगेंडे के लिए और अपना नाम पैदा करने के लिए बोले हैं। इस मुल्क का हर आदमी शुभचिन्तक है। यह बहुत सुन्दर बिल पेश किया गया है, जिस में हिन्दी और इंगलिश दोनों को उचित स्थान दिया गया है। संविधान के अनुसार हिन्दी राष्ट्र-भाषा निश्चित है। अगर देश की बड़ी से बड़ी हस्ती हिन्दी नहीं बोलती है, तो मैं उस का दोष समझता हूं।

श्री रामसेवक यादव : काले पर गोरे का चिपक लगा है।

श्री शिव नारायण : गोरे और काले का क्या मतलब है ?

जो लोग हिन्दी जानते हैं, उन को इस हाउस में हिन्दी बोलनी चाहिये। यह कोई अनुचित बात नहीं है। मैं बिल्कुल सिम्पल हिन्दी बोल रहा हूं, जिस को सब समझ सकते हैं। मैं सुझाव देना चाहता हूं कि जब यूनिवर्सिटीज़ बन्द हों, तो वहां के विद्यार्थियों को वालन्टीयर्ज़ को तौर पर हिन्दी पढ़ाने के लिए दक्षिण भारत में भेजा जाये। सरकार ने जो ज़िम्मेदारी ओढ़ी है, अगर वह इस को नहीं निभा सकती है, तो वह दूसरे को सौंप दे। दूसरे आदमी भी इस काम को चला सकते हैं।

मैं अदब से कहना चाहता हूं कि मैं पिछड़े वर्ग और दबे हुए समाज से सम्बन्ध रखता हूं। हमारे बच्चे दबे हुए हैं। हम को ऐसी शिक्षा मिलनी चाहिए, जिस से हमारा उत्थान हो। अगर बड़े बड़े आदमियों के बच्चे अंग्रेज़ी स्कूलों में पढ़ें और वही हाकिम बनें, तो देश के ८२ परसेंट आदमी कैसे आगे बढ़ सकते हैं ? यह आई० सी० एस० क्लास सबसे ख़तरनाक है। यह आई० सी० एस० क्लास और आफ़िसर्ज़ ही इस गाड़ी को नहीं चलने देते। वे ही राष्ट्र-भाषा की प्रगति के रास्ते में बाधक हैं।

इन चन्द शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि गवर्नमेंट इन बातों पर अमल करेगी।

श्री बिशनचंद्र सेठ (एटा) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, सब से पहले मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे इस बात पर बहुत आश्चर्य है कि अहिन्दी-भाषी प्रान्त और अहिन्दी-भाषी प्रान्तों से आए हुए माननीय सदस्य एक ग़लत दोषारोपण करते हैं । हिन्दी-भाषी प्रान्तों की कभी भी यह मान्यता नहीं रही कि केवल हिन्दी ही इस देश की एकमात्र भाषा रहे । हमारी मान्यता तो सदैव यह रही है कि इस देश में जो भी भाषायें हैं, वे सभी इस देश की भाषायें हैं, परन्तु इन सब भाषाओं के बीच में एक सूत्र स्थापित करने की आवश्यकता थी और हम से पूर्व कई बड़े बड़े महान् नेताओं ने हिन्दी को उस लिंक के रूप में मान्यता दी थी । उस का कारण यह था कि हिन्दी एक ऐसी सुगम भाषा है, जोकि देश के सभी भागों में समझी जाती है । मैं करीब करीब सारे देश में घूमा हूं मेरा अनुभव है कि हम कहीं भी जायें, हिन्दी में हम अपना प्रयोजन सिद्ध कर सकते हैं । इस लिए आज इस प्रकार का दोषारोपण करना कि हिन्दी वाले दूसरी भाषाओं को उन नेत्रों से नहीं देखना चाहते हैं, जिनसे वे हिन्दी को देखते हैं, बड़ी ग़लत भावना है । मैं चाहूंगा कि अहिन्दी-भाषी प्रान्तों से जो सज्जन यहां पधारे हैं, वे अपने हृदय से इस भावना को निकाल दें ।

कल आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने कुछ बातें कही थीं मैं उन की ओर आप का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । उन्हों ने संस्कृत के सम्बन्ध में भी कुछ बातें कहीं और उर्दू के सम्बन्ध में भी । हमें उर्दू से कोई द्वेष नहीं है, परन्तु उर्दू कोई भारतीय भाषा नहीं है, जिस के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री या दूसरे लोग वकालत करें । अपनी अपनी जगह पर सब भाषायें स्वतः बढ़ती हैं और उनको बढ़ाना भी चाहिए । हमारी तो सब से बड़ी शिकायत यह है कि सब प्रान्तों की भाषाओं को पूरे ज़ोर के साथ बढ़ाना चाहिए था, परन्तु देश का यह दुर्भाग्य रहा, सरकार की यह प्रवृत्ति रही कि चाहे बंगाल हो चाहे आसाम, हर प्रान्त की भाषा की ओर उदासीन रही है । प्रश्न उठता है कि क्यों रही । इसलिए कि सरकार की जो केन्द्रीय शासन की मशीन है, वह इस प्रकार से चलाई जा रही है कि उस में अंग्रेजी को ही प्रमुखता दी जाती है । निवेदन है कि आज हमें इस प्रकार की स्थिति का निर्माण करना चाहिये कि हमारे देश की जितनी भी भाषायें हैं, उन्हें पूरी शक्ति के साथ बढ़ाया जाये । मैं समझता हूं कि अगर सरकार ने हमारी सब प्रान्तीय भाषाओं को ईमानदारी के साथ बल दिया, तो उस का नतीजा यह निकलेगा कि सब भाषाओं के साथ साथ हिन्दी भी स्वतः पनपेगी ।

इसी के साथ ही मैं एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं । हिन्दी के विरोधी पक्षों की ओर से जो एक बात कही गई है, मैं उस को मान्यता देता हूं । हिन्दी में इस प्रकार की शब्द रचना करना, जो सामान्य आदमी न समझ सके, हिन्दी की सहायता करना नहीं है, बल्कि उस के साथ विश्वासघात करना है । आज हमारे देश में रेलवे "टेलीफोन" आदि जो अनेकों शब्द प्रचलित हैं, जिन को सब समझ सकते हैं, उन को हिन्दी में एडाप्ट कर लेना चाहिये । इस के दो लाभ होंगे । एक तो हिन्दी की विशालता बढ़ेगी और दूसरे, अन्य प्रांतों में हमारे संबंध में जो अनेक प्रकार के भ्रम हैं, वे नष्ट हो जायेंगे ।

कल एक माननीय सदस्य ने यहां पर एक ऐसी बात कही, जिस को मैं राष्ट्रीय अपमान मानता हूं । उन्होंने कहा कि अंग्रेजी के आने के बाद हमारे देश में बुद्धिवादी भावनायें बढ़ीं और देश में आज जो अनेक प्रकार की शक्ति दिखाई देती है, उस के बढ़ने का माध्यम अंग्रेजी है । मैं उन माननीय सदस्य का नाम नहीं लेना चाहता, परन्तु उनकी बात सुन कर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह इस सदन के एक माननीय हैं । मैं तो यह मानने के लिये तैयार हूं कि आज यह कहना कि एक दूसरी भाषा के कारण हमारे देश में शिष्टाचार बढ़ा, समझदारी बढ़ी, योग्यता बढ़ी, हमारी बुद्धिवादी भावना का इस से बड़ा कोई भी दुष्परिणाम नहीं हो सकता । हम जो कुछ भी बढ़े हैं, वह अपनी योग्यता और क्षमता के द्वारा बढ़े हैं । अगर यह कहा जाये कि कांग्रेस ने स्वराज्य लिया, तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उस ने अंग्रेजी के द्वारा स्वराज्य लिया । अगर देश के हर प्रांत के लोग,

जिनको अंग्रेजी का एक अक्षर भी ज्ञात नहीं था, स्वतंत्रता की भावना से प्रेरित न होते, तो कोई कारण नहीं था कि देश में इस तरह का टेम्पो और वातावरण बनता कि अंग्रेज यहां से चला जाता। इसलिये किसी भी माननीय सज्जन का यह कहना कि अंग्रेजी की इतनी बड़ी देन है कि उस ने हमारे देश में योग्यता का मापदंड बढ़ाया, देश के प्रति अपमानसूचक शब्दों का इस्तेमाल करना है।

उसी के साथ साथ उन्होंने राजा राममोहन राय की भी उपमा दी। मैंने भी राजा राममोहन राय के संबंध में लिट्रेचर को पढ़ा है। मैं बताना चाहता हूं कि समय की गति होती है। जिस प्रकार आज से पन्द्रह वर्ष पहले कांग्रेस और हमारी इस सभा ने सर्वसम्मति से यह निर्णय किया था कि हम अपने देश में हिन्दी को राष्ट्र भाषा बनायेंगे, परन्तु सर्कमस्टांसिज के कारण आज यह स्थिति आ गई है कि वह इस बारे में कुछ अमेंडमेंट लाना चाहती है, ठीक उसी प्रकार जब राजा राममोहन राय ने अंग्रेजी के बारे में कहा था, उस वक्त देश की यह स्थिति थी कि हम को अंग्रेज के साथ लड़ना था, दूसरे देशों की सहानुभूति प्राप्त करनी थी, इसलिये उस भावना की आवश्यकता थी, लेकिन आज वह स्थिति नहीं है। आज हम स्वतंत्र राष्ट्र के नागरिकों की हैसियत से बैठे हुये हैं। इसलिये आज ऐसी उपमायें देकर, जो हिन्दी के विरोध और अंग्रेजी के पक्ष में आती हैं, देश के सामने गलत बातें रखने की चेष्टा नहीं करनी चाहिये।

जो बात अब मैं कहने जा रहा हूं वह बड़ा भारी कटाक्ष कांग्रेस वालों पर है। मैं ऐसा मानता हूं कि कोई भी शासन जब किसी राष्ट्र पर हुकूमत करना चाहता है तो अंग्रेजों की तरह डिवाइड एंड रूल उसकी पालिसी होती है। मैंने बड़ी गहराई के साथ इस लेंगुएज प्राबलैम को देश में देखा और इसको स्टडी किया है। मैं ऐसा मानता हूं कि कांग्रेस सरकार इस तरह की मनोवृत्ति को बैकडोर पिछले दरवाजे से अपनाना चाहती है और चाहती है कि प्रांत आपस में लड़ते रहें, देश में भाषावार झगड़े होते रहें। इस मनोवृत्ति से आज सारे देश के अन्दर इस प्रकार की भावनायें लाई गईं, इसे मैं देश के लिये दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं। आज हम स्वतंत्र हैं। जितनी भी भाषायें हमारे देश की हैं, वे सब हमारी भाषायें हैं। मैं हिन्दू महासभा का प्रतिनिधि होने के नाते साफ़ कह देना चाहता हूं कि हिन्दी भाषी कभी भी नहीं चाहते हैं कि कोई भी भाषा उन्नति न करे, अथवा वह पिछड़ जाये। ईश्वर जाने हम यह कभी भी नहीं चाहते। मैं कल ही मद्रास से आया हूं। मुझे दुःख हुआ कि मद्रास में मैं वहां की बोली में लोगों के साथ बात नहीं कर सका और मैंने अपनी बात को किसी तरह से टूटी-फूटी भाषा, टूटे फूटे तरीके से उनके सामने रखा। इससे स्वतः मुझे लज्जा लग रही थी फिर किस तरह से कहा जा सकता है कि जो हिन्दी भाषी हैं वे यह चाहते हैं कि दूसरी भाषायें देश में न पनपें। मेरा निश्चित मत है कि जितनी भी भाषायें देश की हैं, वे जब पनपेंगी तो साथ साथ हिन्दी भाषा पनपेगी और यदि वह अन्य भाषाओं के शब्दों को अपने में मिलायेगी तो उसका नतीजा यह होगा कि देश की सच्ची उन्नति हो सकेगी, सच्चा सहयोग सारे देश का इसको भी प्राप्त हो सकेगा।

मैं आपको भारतीय विधान की याद दिलाना चाहता हूं। मैं कुछ पत्र इस समय कोट नहीं करूंगा क्योंकि समय नहीं है। मैं यह बात इसलिये कह रहा हूं कि मैंने कुछ पत्र आदरणीय प्रधान मंत्री जी को लिखे और उनके उत्तर भी आये। उनके उत्तरों से जो एक संकेत मिलता है, वह आपके सामने रखना चाहता हूं। संविधान सभा अथवा विधान निर्माताओं ने एक रेजोल्यूशन सर्वसम्मति से पास किया था, उसे आप देखें। उस प्रस्ताव का संबंध एक बड़े ही महत्वपूर्ण विषय से था। उस की रोशनी में देश के प्रधान मंत्री की जो भावना उनके पत्रों में अंकित हुई है, उसको आप देखें। उनका कहना है कि चूंकि हमारे कुछ प्रामिजिज हैं, उनको हमें इम्प्लेमेंट करना है, इस वास्ते इस बिल को ला रहा हूं। सरकार कितना बड़ा उत्तरदायित्व अपने ऊपर लिये हुये है, यह बतलाने की आवश्यकता नहीं है। मैं प्रधान मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जब कंस्टिट्युएंट असैम्बली ने सर्वमत से एक रेजोल्यूशन पास किया तो आज क्या कारण है कि आप उसको इम्प्लेमेंट करना नहीं

[श्री बिशनचन्द्र सेठ]

चाहते, आप उस भावना की पूर्ति करना नहीं चाहते ? बीच में अगर आपने कोई कमेटी बनाई या कोई चीज़ जानबूझ कर देश में फ्रिकशन क्रियेट कराने हे तु बनाई ताकि लोगों में एक तरह की भावनायें न उभर पायें, सारा देश एक न हो पाये पर आज देश को ही खतरा पैदा हो गया, जो बड़े दुर्भाग्य की बात है और इसका सारा उत्तरदायित्व आपका है। मैंने कंस्टिट्युएंट असेम्बली की प्रोसीडिंग्स को पढ़ा है। देश के सभी पक्षों ने अपनी भावनाओं को वहां रखा था और अन्त में सभी माननीय सदस्यों ने पूरी गम्भीरता से समझने के बाद इसका फैसला किया था और वे इस निश्चय पर पहुंचे थे कि हिन्दी को राष्ट्र भाषा की मान्यता दी जाये। जब इस प्रकार की छानबीन के बाद हिन्दी सर्वसम्मति से स्वीकार कर ली गई तो आज कौन सी ऐसी नई बात पैदा हो गई जिस को लेकर आप भिन्न अर्थ लगाने बैठे हैं। चूंकि आप स्वतः संविधान का आदर नहीं कर रहे हैं, इसलिये सरकार के प्रति लोगों में जो सद्भावना होनी चाहिये, वह नहीं है और लोगों के दिलों में शक शुबहा पैदा होता दिखाई दे रहा है। यह शक व शुबहा इसलिये भी पैदा होता है कि जब आज सरकार अपनी बात पर कायम रहना नहीं चाहती तो कल उस बात पर जो वह आज कहती है, कैसे कायम रहेगी। यह बड़ा गलत उदाहरण है जो आप प्रस्तुत करने जा रहे हैं। यह बड़ी गलत उपमा है जो आप देश के सामने रख रहे हैं। रूलिंग पार्टी को, कांग्रेसजनों को गम्भीरता से इस विषय पर विचार करना चाहिये। जिस चीज़ का आपने एक दफा निश्चय कर लिया और जो चीज़ सारा देश चाहता है, उसे पूरा करिये। बिला शक आप स्वतंत्र हैं यदि जन भावना उपरांत आप उसमें परिवर्तन कर दें, यदि आप ईमानदारी के साथ उस भावना की रक्षा नहीं करेंगे तो सरकार की प्रतिष्ठा देश में कैसे कायम रह सकेगी, यह विचारणीय है।

कांग्रेस के जो अनुयायी हैं, उनको अपने दिलों को आज ईमानदारी के साथ टटोलना चाहिये कि उन्होंने हिन्दी के लिये क्या किया है। सचमुच हिन्दी के साथ विमाता का सा सलूक किया गया। कभी हिन्दी को बढ़ने नहीं दिया गया। बार बार कहा जाता है कि हिन्दी वाले प्रदेशों ने यह नहीं किया, वह नहीं किया। मेरा भी उत्तरदायित्व है हिन्दी के संबंध में। मैं जानता हूं कि सरकार ने कुछ करने नहीं दिया। सरकार की अगर इस प्रकार की विपरीत मनोवृत्ति न होती तो बहुत कुछ हो सकता था। मैं एक प्रश्न आपके सामने रखना चाहता हूं। इजराईल की मिसाल को आप लें। उनकी हीब्रू लगुएज थी जोकि सारी दुनिया से खत्म हो चुकी थी, उसके बारे में जब उन्होंने निर्णय कर लिया कि इस दो हजार वर्ष पुरानी भाषा को लाना है, तो उसको मान्यता देने के साथ साथ सारे देश में इस भाषा को चालू कर दिया। दूसरी उपमा मैं आपके सामने इंग्लैड की रखना चाहता हूं। थोड़े दिन पहले जैसी नौकरशाही और जिस प्रकार की प्रवृत्ति हमारे देश में चल रही है ठीक इसी प्रकार की प्रवृत्ति वहां चल रही थी और ठीक इसी प्रकार से इंग्लैंड की फ्रेंच भाषा हुआ करती थी। फ्रेंच वहां की आफिशल भाषा हुआ करती थी जबकि आम लोगों की सारे देश की भाषा अंग्रेजी थी। जिस प्रकार हमारे यहां पर एक दो परसेंट अंग्रेजी पढ़े लिखे हैं, उसी प्रकार से वहां पर एक दो परसेंट फ्रेंच पढ़े लिखे थे और वे ही शासन करते थे, देश को रूल करते थे। परन्तु जिस समय पब्लिक प्रेशर सरकार पर पड़ा, लोगों की भावना बदली और उन्होंने जोर डाला तो सारी की सारी फ्रेंच खत्म कर दी गई और इंग्लिश को मान्यता दी गई। ठीक वही बात इस समय हमारे देश में हो रही है। यही सवाल मैं आज माननीय सदस्यों के सामने रखता हूं। इस पर सभी को सोचना विचारना होगा। यह देश का प्रश्न है, देश की उन्नति का प्रश्न है। अगर ईमानदारी के साथ कांग्रेस सरकार हिन्दी को जीवित रखना चाहती है, उसकी बहुलता करना चाहती है और चाहती है कि हिन्दुस्तान की ही एक भाषा देश में एक दूसरे को समझाने के लिये प्रयोग में लाई जाये, व्यवहार में लाई जाये, तो क्यों न उसका जो उचित स्थान है, वह उसको दिया जाये। विदेशी भाषा पर आज हम आश्रित हैं। आज अगर हमारा कोई मुकदमा होता है और हम कोर्ट के सामने जाते हैं तो अंग्रेजी में ही

कोर्ट का जजमेंट होता है जबकि हम अंग्रेजी पढ़े नहीं। हम डाक्टर के पास जाते हैं, तो सारी बात अंग्रेजी में होती है। कितनी सम्मानशून्य यह बात है। मैं चाहता हूं कि इस विषय पर गम्भीरता से विचार किया जाये। द्वेष बुद्धि से इस पर नहीं सोचा जाना चाहिये। हिन्दी भाषी किसी भी प्रांत पर हिन्दी लादने की चेष्टा नहीं कर रहे हैं, परन्तु वे स्नेह के वातावरण में यह सब कुछ करना चाहते हैं, और स्नेह के वातावरण को बनाये रखना चाहते हैं।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य** (रायगंज) : मैं विवश हो कर अंग्रेज़ी भाषा में बोल रहा हूं। मैं ने कई बार संस्कृत में बोलने के लिये अनुमति मांगी है परन्तु मुझे बताया गया कि संविधान के उपबन्धों के अनुसार ऐसा नहीं किया जा सकता। यह आश्चर्य की बात है कि एक मात्र सर्वमान्य भारतीय भाषा संस्कृत का प्रयोग संसद् में न हो। श्री मुकर्जी ने सभी प्रादेशिक भाषाओं को, सिवाय संस्कृत के, सरकारी भाषायें मान लेने संबंधी जो संशोधन प्रस्तुत किया उस से भी मुझे अत्यन्त आश्चर्य और खेद हुआ।

संविधान बनाते समय भाषा के प्रश्न पर चर्चा के दौरान श्री गोपालास्वामी अय्यंगार ने स्पष्ट रूप से कहा था कि अंग्रेज़ी को अभी काफी समय तक प्रयोग में लाना आवश्यक है। इसी प्रकार अंग्रेज़ी के निरन्तर प्रयोग का समर्थन करते हुए मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने कहा था कि दक्षिण और उत्तर के संबंध केवल अंग्रेज़ी भाषा द्वारा कायम हैं और कि अंग्रेज़ी को हटा देने से वह संबंध टूट जायेंगे। डा० राजेन्द्र प्रसाद ने भी संविधान सभा में कहा था कि केवल अंग्रेज़ी भाषा से हम एक दूसरे के अधिक निकट आ सके हैं। इन बातों को दृष्टि में रखते हुए हमें अंग्रेज़ी की अवहेलना नहीं करनी है। हमें, अंग्रेज़ी ने हमारे स्वतंत्रता संघर्ष में जो योगदान दिया था उसे नहीं भूलना चाहिए। भारत में प्रशासन की भाषा में समानता अंग्रेज़ी के प्रयोग से आई, दीवानी तथा फौजदारी कानून में समानता भी अंग्रेज़ी के कारण आई, और प्रशासनिक सेवा में समानता भी अंग्रेज़ी ही से आई। अंग्रेज़ी भाषा के इस महत्वपूर्ण योगदान की अवहेलना नहीं होनी चाहिए।

पहली संसदीय समिति के प्रतिवेदन पर पश्चिम बंगाल सभा ने राय दी थी कि जब तक किसी अन्य भाषा को संघ की भाषा न मान लिया जाय अंग्रेज़ी का निरन्तर प्रयोग होता रहना चाहिए, और केन्द्र तथा राज्यों और राज्यों में आपसी पत्र व्यवहार द्विभाषा आधार पर होना चाहिए जिन में एक प्रादेशिक भाषा हो और दूसरी संघ की भाषा हो। कलकत्ता विश्व-विद्यालय ने अपने संकल्प में कहा था कि सभी भारतीय प्रादेशिक भाषाओं को राष्ट्रीय भाषायें मान लेना चाहिए और साथ साथ अंग्रेज़ी को भी यही स्थान प्राप्त होना चाहिए। इसलिये आज जो लोग अंग्रेज़ी के प्रयोग को जारी रखना चाहते हैं वह उचित ही कर रहे हैं।

एक भाषा राष्ट्रीय भाषा न होते हुए भी सरकारी भाषा रह सकती है। फारसी कुछ समय के लिये सरकारी भाषा थी हालांकि वह राष्ट्रीय भाषा नहीं थी। इसी तरह संस्कृत भी सरकारी भाषा रही है। हमारे देश में शंकराचार्य ने देश के एक कोने से दूसरे कोने तक प्रचार किया। यदि देश भर में एक भाषा न समझी जाती तो वह सारे देश में प्रचार कैसे कर सकते थे। यह कहना गलत है कि भारत में कभी एक भाषा नहीं रही है। संस्कृत व्यवहार्य हो या न हो परन्तु यह देश की भाषा रही है।

हैब्रू भाषा २००० वर्ष से प्रयोग में नहीं आ रही थी फिर भी उसका प्रयोग अब इज़्राइल में हो रहा है। इसलिये कोई कारण नहीं कि भारत में संस्कृत के प्रयोग में कठिनाई आये। मैक्समुलर ने भी यही कहा है कि संस्कृत एक जीवित भाषा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री च० का० भट्टाचार्य]

इस विधेयक द्वारा हिन्दी को जो स्थान संविधान में दिया गया है उस में परिवर्तन नहीं किया जा रहा । इस में केवल यह कहा गया है कि अंग्रेज़ी का प्रयोग अभी होता रहे । इसलिये हिन्दी भाषी लोगों के लिये किसी प्रकार के भय की गुंजाइश नहीं है । हिन्दी को जो स्थान संविधान द्वारा दिया गया वह स्थान उसे अब भी प्राप्त होगा ।

खण्ड ३ में 'कर सकेगा' शब्दों के स्थान पर "करेगा" शब्द को रखा जाना चाहिए । यद्यपि विधि विभाग ने कह दिया है कि इन में कोई अन्तर नहीं है फिर भी ऐसा करना आवश्यक है । विधि विभाग ने हमारा नानावती के मामले में, बेरूबारी के मामले में और महान्यायवादी के कृत्यों को विधि मंत्रालय में शामिल करने के मामले में ठीक पथप्रदर्शन नहीं किया ।

†**श्रीमती रेणुका राय** (मालया): जैसा कि हमारे प्रभान मंत्री ने कहा कि विधेयक को पुरःस्थापित करते समय हिन्दी के अनुयायियों ने जिस आचरण का प्रदर्शन किया उस से केवल हिन्दी भाषा को ही हानि पहुंचने वाली है । गत दो दिन के वाद-विवाद में हिन्दी भाषियों ने जिस संयम का परिचय दिया उस के लिये वह बधाई के पात्र हैं ।

संविधान सभा में भाषा के प्रश्न पर निर्णय लेते समय हम एक ही बात से प्रेरित हुए थे, कि हमें ऐसी भाषा को राष्ट्रभाषा का स्थान देना चाहिए जिस की जड़ें भारत में ही हों और जिसे अधिक से अधिक लोग समझते हों । इस बात को सम्मुख रख कर हम ने हिन्दी को वह उच्च स्थान दिया । परन्तु हमारे अध्यक्ष महोदय ने उस समय जो शब्द कहे वह उल्लेखनीय हैं । उन्होंने कहा था कि वह अपने द्वारा हिन्दी के लिये किये गये समर्थन को वापिस ले रहे हैं क्योंकि हिन्दी के समर्थकों ने हठधर्मी और असहनशीलता का प्रदर्शन किया है । इस प्रकार हम देखते हैं कि हालांकि हम ने स्वयं हिन्दी को राजभाषा स्वीकार किया परन्तु हिन्दी भाषियों ने जो दृष्टिकोण अपनाया है उस से हमारे दिलों से विश्वास उड़ जाता है ।

यदि हम हिन्दी को सम्पर्क भाषा बनाना चाहते हैं तो इस का निर्णय अहिन्दी भाषियों पर छोड़ देना चाहिए । हमें, अंग्रेज़ी ने जो देश में एकता स्थापित की है और जो आधुनिक ज्ञान के भण्डार को हमारे सम्मुख रखा है, नहीं भूलना चाहिए । राजा राममोहन राय भी अंग्रेज़ी का समर्थन किया करते थे । हिन्दी भाषा की अपेक्षा तो कुछ अन्य प्रादेशिक भाषायें अधिक विकसित हैं । इस लिये यदि हमें हिन्दी को लाना है तो अधिक सहनशीलता दिखानी पड़ेगी और अधिक समय उस के लिये देना पड़ेगा । हम तत्काल ही हिन्दी का प्रयोग नहीं कर सकते । हिन्दी के समर्थकों को इस विधेयक का समर्थन करना चाहिए ।

श्री श्यामाप्रसाद मुकर्जी ने भी कहा था कि भाषा का रूप वर्तमान विवादों के बावजूद भी निर्धारित होना स्वाभाविक है, जनता की आवाज़ ही परिवर्तन लाती है, और कि संविधान सभा में पारित संकल्प भाषा के स्थान को निर्धारित नहीं करेंगे बल्कि ऐसा जनता के इरादे से होगा । इसलिये यह आवश्यक है कि यदि हम हिन्दी को कोई स्थान देना चाहते हैं तो अहिन्दी भाषी लोगों में उस के लिये भावना उत्पन्न होने दें ।

इस में संदेह नहीं कि अन्ततः हम यही चाहते हैं कि प्रादेशिक भाषाओं का और सम्पर्क भाषा का प्रयोग देश में ही, परन्तु पश्चिम बंगाल के लोगों की इच्छा यही है कि अंग्रेज़ी को अभी हटाया न जाय ।

---

†मूल अंग्रेजी में

१० वर्ष पश्चात् जो समिति नियुक्त की जायगी उस के प्रतिवेदन को राज्यों में विचारार्थ अवश्य भेजा जाना चाहिए। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इस उद्देश्य के संशोधन को स्वीकार करेंगे ।

"May ['कर सकेगा'] और "shall" ["करेगा"] शब्दों के ऊपर बहुत विवाद खड़ा हुआ है । जैसा कि मंत्री महोदय कहते हैं कि इसमें अन्तर नहीं है । यदि हम में अन्तर नहीं है तो "करेगा" शब्द को स्वीकार करने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए । मेरा सुझाव है कि इन शब्दों की बजाय यह उपबन्ध हो कि हिन्दी अतिरिक्त कालावधि के लिये प्रयोग में लाई जाती रहेगी ।

जैसा कि संविधान में दिया गया है, इस में सन्देह नहीं कि हिन्दी राजभाषा का स्थान लेगी, परन्तु उसके लिये अभी और समय दिया जाना चाहिए। हिन्दी पूरी तरह विकसित हो कर ही वह स्थान ग्रहण कर सकेगी । ऐसा संविधान में भी दिया गया है ।

हिन्दी को संविधान में राजभाषा माना गया है, परन्तु इस का विकास तभी हो सकता है जब कि यह अन्य भाषाओं के शब्दों को अपने में समा ले । दूसरी भाषाओं के शब्दों को स्वीकार करना चाहिए, तभी हिन्दी का विकास हो सकता है ।

†**डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी** (जोधपुर) : राजभाषा विधेयक को लाने का समय उचित नहीं । इस समय हम देश की सीमाओं की रक्षा करने में लगे हुए हैं । अतः यह समय भाषा के बारे में विवाद खड़ा करने का नहीं है ।

सरकार ने संविधान में द्वितीय आयोग की व्यवस्था के अनुसार आयोग की नियुक्ति क्यों नहीं की ? यदि उस आयोग का प्रतिवेदन हमारे सामने होता तो इस भाषा के प्रश्न पर इस समय विचार करने में सहायता मिलती ।

हिन्दी के सम्बन्ध में संवैधानिक व्यवस्था लागू करने के लिए हिन्दी भाषा के लिए एक आयुक्त नियुक्त किया जाना चाहिए जो कि इस की प्रगति की ओर ध्यान दे ।

हिन्दी को छोड़ कर कोई भी अन्य भाषा राजभाषा नहीं बन सकती । संविधान में भाषा का जो निर्णय दिया है । वह बिल्कुल उचित है ।

यह विधेयक संविधान की व्यवस्था जो कि अनुच्छेद ३४३ में की गई है के अनुसार नहीं है अनुच्छेद ३४३ (३) का यह मतलब नहीं कि अंग्रेज़ी को राजभाषा बनाए रखा जाना चाहिए ।

हिन्दी ने बहुत प्रगति की है । यह भाषा संघ की राजभाषा के तौर पर अधिक से अधिक प्रयोग किए जाने के योग्य हो गई है ।

भाषा के बारे में हमारा साम्प्रदायिक दृष्टिकोण नहीं होता चाहिए । जनसाधारण चाहे वह उत्तर भारत के हों या दक्षिण भारत के, विधेयक के विरोधी नहीं हैं ।

हिन्दी भाषा के लिए एक आयुक्त नियुक्त किया जाना चाहिए । एक संसद् की स्थायी समिति बनाई जानी चाहिए जो कि प्रत्येक वर्ष हिन्दी के बारे में स्थिति की जांच करे । सरकार को हिन्दी मंत्रालय स्थापित करना चाहिए जो कि किसी कार्यक्रम के अनुसार हिन्दी की प्रगति का काम करे । इस सम्बन्ध में संविधान की व्यवस्थाओं को कार्यान्वित करने की पूरी कोशिश की जानी चाहिए । मैं विधेयक का विरोध करता हूं क्योंकि यह संविधान के अनुकूल नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री शिवमूर्त्ति स्वामी (कोप्पल) : उपाध्यक्ष महोदय, दुनिया में जो भी राष्ट्र हैं, उनके लिए एक जमीन होती है, इन्सान होते हैं और उन की भाषायें होती हैं, लेकिन हमें यह देख कर शर्म आती है कि भारत इतना बड़ा देश है और हम उसको दुनिया में प्रजा प्रभुत्व का एक मन्दिर मानते हैं और इस प्रकार भारतवर्ष की लोकसभा उस प्रजा-प्रभुत्व के मन्दिर का एक शिखर और कलश बन जाती है, उसमें अगर हम अंग्रेजी जैसी फ़ारेन लैंग्वेज को बहुत दिनों तक चलायें, तो प्रजा-प्रभुत्व पर लानत है। हिन्दुस्तान की जो चौदह भाषायें हैं, उनमें कोई भी भाषा हम अपना सकते हैं। इस सम्बन्ध में मैं महात्मा गांधी के एक सन्देश को पढ़ने की इजाजत चाहता हूं, जो कि शायद इस मौके के लिए बहुत मौजूं है। "हिन्दी स्वराज और इण्डियन होम रूल" में **यंग इण्डिया** में प्रकाशित एक रीडर का प्रश्न और उसका उत्तर इस प्रकार दिया गया है :

"**रीडर** : क्या आप स्वराज्य की प्राप्ति के लिए अंग्रेजी को आवश्यक नहीं समझते ?

गांधीजी : मेरा उत्तर हां और न दोनों ही हैं। जनसाधारण को अंग्रेजी का ज्ञान देना उन्हें गुलाम बनाना है। मैं काले ने जिस शिक्षा की बुनियाद रखी उसने हमें गुलाम बना दिया है। कांग्रेस पार्टी का काम अंग्रेजी में होता है। अच्छे विचार अंग्रेजी में प्रकट किये जाते हैं। आने वाली पीढ़ियां हमें इसके लिए अभिशाप देंगी।"

अंग्रेजी से धोका, निर्दयता आदि बुरी बातें हमने सीख ली हैं।

श्री बागड़ी (हिसार) : गांधीजी ने यह कहा है।

श्री शिवमूर्त्ति स्वामी : उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर जो एम० पीज बैठे हुए हैं और जो इंग्लिश में बात करते हैं, उनमें शायद बीस पच्चीस या ज्यादा से ज्यादा पचास ही ऐसे होंगे जो कि अपने तमाम विचार जो भी उनके दिल के अन्दर हैं, अच्छी तरह से इस विदेशी भाषा में रख सकते हों।

आगे चल कर गांधीजी कहते हैं :

"हम अंग्रेजी जानने वालों ने भारत को गुलाम बनाया है। हम दोषी हैं न कि अंग्रेज।"

इसके द्वारा धन कमाने का लक्ष्य खत्म कर देना चाहिये।

जो बात मैं कहने जा रहा हूं, इसको कहते हुए मुझे बड़ी शर्म आती है। दक्षिण भारत वालों की तरफ से कहा जाता है कि उनको सर्विसिस में उनका उचित हिस्सा नहीं मिलता है या बाद में नहीं मिलेगा। लेकिन इसका इलाज अगर करना हो तो हिन्दी वालों के लिए और नान-हिन्दी वालों के लिए कोटा मुकर्रर करके किया जा सकता है। सर्विस में आने के लिए या पैसे के लिए भारतवर्ष की जो भाषा है या हमारी प्रान्त की जो भाषा है, उसका हम गला नहीं घोंट सकते हैं, अपनी अपनी भाषाओं के लिए लड़ नहीं सकते हैं। प्रान्तों में हम अपनी प्रान्तीय भाषायें चला सकते हैं और यहां केन्द्र से पत्र व्यवहार कर सकते हैं और यहां केन्द्र की भाषा अलग हो सकती है। तमिल वाले या कन्नड़ वाले अपनी अपनी भाषाओं में अपना कामकाज चला सकते हैं। हमें चाहिये कि हम अपने देश में टू लैंगुएज फार्मूला रखें। जो हिन्दी वाले हैं, उनके लिए हिन्दी और एक दूसरी कोई भारतीय भाषा पढ़ना अनिवार्य होना चाहिये और नान हिन्दी वाले जो हैं, उनके लिए अपनी मातृभाषा और हिन्दी पढ़ना लाजिमी होना चाहिये। कोई थ्री लैंगुएज फार्मूले की जरूरत नहीं है। अगर यह रहता है तो हम हमेशा अंग्रेजी के नीचे दबे रहेंगे।

हमें दो भाषायें पढ़नी चाहिएं—एक हिन्दी और एक मातृभाषा यह जो हिन्दी के विरोध में प्रचार होता है दक्षिण भारत में इसको मैं समझ नहीं पाया हूं। आप से भी मैं पूछता हूं कि क्या यह एक लानत नहीं है कि पन्द्रह साल आजाद हुए हमें हो गए हैं और आज भी हमारे जो डिप्लोमेट्स होते हैं,

वे जो क्रेडेशंल्ज़ पेश करते हैं, अंग्रेज़ी में ही करते हैं, हिन्दी में नहीं करते हैं ? माननीय पुरुषोत्तम दास ज़ी टण्डन ने जो मिनट आफ डाइसेंट दिया था, उससे पता चलता है कि क्रेडेंशल्ज़ इंग्लिश में ही पेश किये जाते हैं। यह जो तमिल्यिन्ज़ की तरफ से एरियंज़ और द्रविड़यंज़ में फूट डालने की कोशिश की जा रही है, हिन्दी और नान-हिन्दी वालों को विभक्त करने की कोशिश की जा रही है, इसको मैं भारत-वर्ष के लिए एक लानत समझता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि जब क्लाजिज़ पर बहस हो तो मुझे समय दिया जाए ताकि मैं अपने विचार रख सकूं।

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: सदस्यों के अधिकांश भाषण विधेयक के खण्ड ३ और ४ के बारे में थे मैंने खण्ड ४ के तीन संशोधन भेजे हैं ताकि कुछ माननीय सदस्यों ने जो सन्देह प्रकट किए वे दूर हो जाएं।

पहला संशोधन राष्ट्रपति द्वारा समिति नियुक्त करने के बारे में स्थिति स्पष्ट करने से सम्बन्ध रखता है। दूसरा संशोधन यह व्यवस्था करता है कि राष्ट्रपति की अनुमति से संसदीय समिति का प्रतिवेदन संसद् के दोनों सदनों के सामने रखा जाएगा। तीसरा संशोधन यह व्यवस्था करता है। कि प्रतिवेदन राज्य सरकारों को भेजा जाएगा और उनके विचारों का पता किया जाएगा। हमारी इच्छा है कि इस मामले में संसद् और राज्य सरकारों को पूरा अधिकार होगा।

खण्ड ३ के बारे में माननीय सदस्यों ने तर्क दिया है कि बिना कोई समय निर्धारित किए केन्द्रीय सरकार की सरकारी कार्यवाही के लिये अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखना राजभाषा के सम्बन्ध में संविधान के उपबन्धों के विरुद्ध है। इस खण्ड में "हो सकता है" ("मे") शब्द के प्रयोग पर भी काफी सन्देह प्रकट किया गया है। संविधान के खण्ड (२) में व्यवस्था की गई है कि संविधान के प्रारम्भ से पन्द्रह वर्ष की कालावधि के लिये संघ के उन सब राजकीय प्रयोजनों के लिये अंग्रेजी भाषा प्रयोग की जाती रहेगी जिनके लिये अंग्रेजी भाषा प्रयोग की जाती रहेगी जिन के लिये ऐसे प्रारम्भ के ठीक पहिले वह प्रयोग की जाती थी। उसी प्रकार अनुच्छेद १२० में संविधान के लागू होने से १५ वर्ष के लिये संसद् के कार्य के लिये अंग्रेजी के प्रयोग की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद ३४३ का खण्ड ३ में यह व्यवस्था की गई है कि संसद् विधि द्वारा २५ जनवरी, १९६५ के बाद अंग्रेजी का प्रयोग ऐसे प्रयोजनों के लिये उपबन्धित कर सकेगी जैसे कि ऐसी विधि में उल्लिखित हों।

विधेयक के खण्ड ३ में यह व्यवस्था करने का लक्ष्य है कि २५ जनवरी, १९६५ के उपरान्त संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिये और संसदीय कार्यवाही के लिये हिन्दी के साथ साथ अंग्रेजी का भी प्रयोग किया जाएगा यह सरकार की उस नीति के अनुसार दिया गया है जिसकी घोषणा प्रधान मन्त्री ने ४ सितम्बर, १९५९ को थी। खण्ड ३ की भाषा संवैधानिक और वैधिक है अब अंग्रेजी एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में तथा किसी राज्य और संघ के बीच में संचार के लिए भी प्रयोग की जाया करेगी। निष्कर्ष यह कि अखिल भारतीय स्तर पर राजकीय काम के लिये अंग्रेजी अतिरिक्त साधन होगी। ठीक यही प्रधान मन्त्री का विचार था जब उन्होंने ७ अगस्त, १९५९ और ४ सितम्बर, १९५९ के अपने भाषणों में कहा था कि अंग्रेजी 'सहभाषा' अतिरिक्त या वैकल्पिक भाषा होगी। यदि संसद् जैसा कि खण्ड ६ में व्यवस्था की गई है इसे कानून का रूप दे दे तो अहिन्दी भाषी लोगों या हिन्दी कम जानने वाले लोगों को कोई कठिनाई या असुविधा नहीं होगी।

खण्ड ३ में "May" ("हो सकता है") शब्द 'shall' ("हो सकेगा") से अधिकतर उपयुक्त है। इस प्रश्न पर ध्यानपूर्वक विचार किया गया है। सरकार को यह राय दी गई है कि "shall' ("हो सकेगा") के प्रयोग में गलत मतलब समझा जाएगा कि संघ के सभी राजकीय

†मूल अंग्रेजी में

[श्री लाल बहादुर शास्त्री]

कामों के लिए अंग्रेजी और हिन्दी का साथ साथ ही प्रयोग करना पड़ेगा। मतलब यह कि यद्यपि संघ के विभिन्न राजकीय प्रयोगों के लिये हिन्दी का अधिक से अधिक प्रयोग किया जा सकता है. अंग्रेजी का भी किसी भी राजकीय काम के लिये प्रयोग किया जा सकता है।

"May" ("हो सकता है") के स्थान पर "हो सकेगा" ("शैल बी") शब्द रखने का सुझाव मुझे स्वीकार नहीं है ऐसा करने में वैधिक और अन्य कठिनाइयां हैं। बड़े योग्य विधिज्ञ श्री सचिव चौधरी की राय में यदि "May" (किया जा सकेगा) के स्थान पर " shall be" ("की जायगी") रखा जाए तो अंग्रेजी को रखने का समय निर्धारित करना पड़ेगा। मेरे ख्याल में जो अंग्रेजी को रखने के पक्ष में हैं वे इस बात को नहीं मानेंगे।

केन्द्र और राज्यों में पत्र व्यवहार में दोनों भाषाओं का साथ साथ प्रयोग ठीक नहीं होगा। यदि "शैल" शब्द रखा गया तो ऐसा भी बताना पड़ेगा। सरकार अहिन्दी भाषी लोगों की भावनाओं को भली भांति समझती है। हम उनकी कठिनाइयों को समझते हैं। हिन्दी के सामान्य प्रयोग में समय लगेगा। "में" शब्द के प्रयोग को इन बातों का ध्यान रखते हुए समझना चाहिए।

यह विधेयक प्रधान मन्त्री के आश्वासनों को पूरा करता है।

†**श्री मनोहरन** : नहीं।

†**श्री कन्डप्पन** : यह विधेयक में नहीं शामिल किया गया है।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : प्रधान मन्त्री तीन बातें कहा करते थे। एक तो यह थी कि अंग्रेजी का प्रयोग जनवरी, १९६५ के बाद जारी रहे। दूसरे इसके लिए कोई समय निर्धारित नहीं करना चाहिये। तीसरे कोई अन्तिम निर्णय करने से पूर्व अहिन्दी भाषी लोगों के विचारों को ध्यान में रखा जाए।

जैसे मैंने अभी कहा खण्ड (३) अंग्रेजी जारी रखने की स्पष्ट व्यवस्था करता है। दूसरे, विधेयक में अंग्रेजी के प्रयोग के बारे में कोई समय सीमा नहीं निर्धारित की गई है। तीसरे जहां तक परामर्श का सम्बन्ध है संसदीय समिति जिसमें विभिन्न राज्यों के सदस्य होंगे से अच्छी और कोई संस्था क्या होगी। समिति के प्रतिवेदन को राज्य सरकारों को भेजने और दोनों सदनों के पटल पर रखने के लिए मैंने दो संशोधनों का सुझाव दिया है। प्रधान मन्त्री की इच्छानुसार पूरा परामर्श होगा और फिर राष्ट्रपति जी संसदीय समिति की सिफारिशों पर अध्यादेश जारी करेंगे।

मैं सभा को आश्वासन दिलाता हूं कि प्रधान मंत्री की इच्छा का सदैव ध्यान रखा जायेगा। भाषा के मामले में कोई सरकार जनता की इच्छाओं के विरुद्ध नहीं जा सकती। भाषा का मामला ऐसा है जो कि लोगों में काफी जोश पैदा कर देता है। अतः जो सरकार भी सत्तारूढ़ हो वह अहिन्दी भाषी लोगों की इच्छाओं की अवहेलना नहीं कर सकती। हमारे अहिन्दी भाषी मित्रों को हमारे अन्तिम उद्देश्य को समझना पड़ेगा। जो अंग्रेजी का समर्थन करते हैं उन्हें इस बात को समझना है कि अंग्रेजी स्कूलों और कालिजों में सदा के लिए शिक्षा माध्यम नहीं हो सकती। विश्वविद्यालयों में भी प्रादेशिक भाषाएं शिक्षा माध्यम बनाई जाने की कोशिश हो रही है। अतः अंग्रेजी का धीरे-धीरे महत्व कम हो जायेगा। प्रशासन के काम के लिये भी प्रादेशिक भाषाओं को अपनाया जा रहा है। ११ राज्य सरकारों ने जिन में जम्मू और काश्मीर राज्य सरकार भी शामिल

---

†मूल अंग्रेजी में

हैं प्रादेशिक भाषा को सरकारी भाषा अपना लिया है और शेष दो तीन राज्य भी इस मामले पर सक्रिय रूप से विचार कर रहे हैं। स्पष्ट है कि सभी प्रादेशिक भाषाओं का प्रशासनिक और शिक्षा सम्बन्धी क्षेत्रों में अधिक से अधिक प्रयोग होगा। अन्य संयोजक भाषाओं के बिना अंग्रेजी का हटाना हमारे लिये अच्छा नहीं होगा क्योंकि इस से देश की एकता को सहायता नहीं मिलेगी। अतः हिन्दी का प्रयोग वाले कितना भी आहिस्ता आहिस्ता हो, इस का प्रयोग होना महत्वपूर्ण है। यदि शिक्षा और प्रशासन सम्बन्धी क्षेत्रों में अंग्रेजी का स्थान लेने में प्रादेशिक भाषाओं को १५–२० वर्ष लगें, हिन्दी को उसी समय से संयोजक भाषा बनने योग्य होना चाहिए। अतः हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग के लिये कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

कानून और नियम आदि एक बात हैं और जो काम हो सके वह दूसरी बात है। एक राज्य में भी सामान्य भाषा की समस्या है। अंग्रेजी ने ही हमारी सहायता की है, क्योंकि हिन्दी ने अभी प्रगति करनी है। प्रचार में कैसी कठिनाइयां हुई थीं। मैं आसाम सरकार का आभारी हूं कि उन्होंने जिला स्तर पर बंगाली को राजभाषा बनाने के सुझाव को मान लिया है।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

जब मैंने यह प्रश्न उठाया था कि जिला और राज्य मुख्यालय के बीच और राज्य सचिवालय में कौन सी भाषा या भाषायें प्रयोग की जायें, तो उन्होंने मान लिया था कि यह अंग्रेजी होनी चाहिये। यह भी मान लिया गया था कि सचिवालय में कुछ समय तक के लिए अंग्रेजी का प्रयोग किया जाये। जब राज्य में यह स्थिति है, तो माननीय सदस्य यह समझ सकते हैं, कि केन्द्र में इतनी शीघ्र कैसे परिवर्तन किया जा सकता है। इसलिए व्यावहारिक रूप से यह आवश्यक है कि इस मामले में जल्दी न की जाये।

मुझे शंका है कि यदि हम तत्काल या बहुत जल्दी परिवर्तन करना चाहें, तो आपस में संचार या पत्र-व्यवहार और एक स्थान से दूसरे पर जाना बहुत कठिन हो जायेगा। पदाधिकारी या न्यायाधीश एक राज्य से दूसरे में नहीं जा सकेंगे—उन सरकारी कर्मचारियों के बच्चे जो स्थानांतरित किये जाते हैं, अन्य राज्यों में स्कूलों और कालेजों में प्रवेश नहीं कर सकेंगे क्योंकि वहां या तो प्रादेशिक भाषा होगी या हिन्दी होगी। यदि भाषा सांझी हो, तो संचार आसानी से हो सकेगा।

कारबार और व्यापार के मामलों में, लोगों के लिए किसी दूसरे राज्य में उद्योग स्थापित करना कठिन होगा। इसलिए हमें ऐसी कोई रोक नहीं लगानी चाहिए। क्या यह आवश्यक नहीं है कि हमारे लोगों को एक स्थान से दूसरे पर आने जाने, काम करने या व्यापार आदि स्थापित करने की पूरी आजादी होनी चाहिये? यदि हम इस में बाधा डालें, तो एकीकरण में सहायता नहीं मिलेगी, बल्कि एकीकरण भंग होगा। इसलिए मैं हिन्दी भाषी क्षेत्रों से आने वाले लोगों से कहूंगा कि वे कोई ऐसी बात न कहें, जिस से हिन्दी के पक्ष को हानि पहुंचे।

इस समस्या के हल के लिए धैर्य और सहमति की आवश्यकता है। सरकारी और गैर-सरकारी रचनात्मक प्रयत्नों से, जो कि हिन्दी सीखने और सिखाने के लिए की जाये, हमारे देश को और उसके निवासियों को लाभ पहुंचेगा।

श्री एंथनी ने कहा है कि मेरे लिए कोई निष्पक्ष दृष्टिकोण अपनाना सम्भव नहीं है क्योंकि हिन्दी मेरी मातृभाषा है। इस में कुछ सचाई हो सकती है। किन्तु यदि विश्व में ऐसे लोग न हों, जो महत्वपूर्ण मामलों पर बिना उत्तेजित हुए विचार कर सकें, तो वह शान्ति से नहीं चल सकेगी। गांधी जी १९२० में अपने विचार हिन्दी में स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं कर सकते थे किन्तु फिर भी

[श्री लाल बहादुर शास्त्री]

उन्होंने हिन्दी का समर्थन किया इसलिए नहीं कि वे इस के पक्ष में थे, बल्कि इसलिए कि देश में कम से कम एक ऐसी सांझी भाषा होनी चाहिये, जो सब भागों के लोग समझ सकें। एक शक्तिशाली राष्ट्र के लिए उन्होंने एक साझी भाषा को आवश्यक समझा था।

मैं श्री एंथनी को यह भी बताना चाहता हूं कि विधेयक पांच छः मास पहले बनाया गया था और जो भी छोटे छोटे परिवर्तन किये गये हैं, वे अहिन्दी-भाषा क्षेत्रों की शकाओं को दूर करने के लिए किये गये हैं। इसे बनाते समय हिन्दी तथा अहिन्दी दोनों क्षेत्रों की भावनाओं का खयाल रखा गया है। श्री एंथनी को कम से कम यह श्रेय हमें देना चाहिये कि हम ने स्थिति को ठीक समझा है और उसी आधार पर कार्यवाही की है।

लोकतंत्रात्मक सरकारों को कई बार दबाव के नीचे आ कर काम करना पड़ता है।

श्री बागड़ी (हिसार) : उन का क्या वह तो नौमिनेटेड हैं (अन्तर्बाधा)

†**श्री नाथ पाई** : मेरे विचार में संविधान का अपमान करने की प्रवृत्ति है। श्री एन्थनी संविधान के अन्तर्गत नामनिर्देशित हैं और इस के लिए उन का अपमान करना फैशन सा हो गया है (अन्तर्बाधा)

श्री रामसेवक यादव (बाराबंकी) : माननीय सदस्य नामज़द हैं और उन के लिए यदि कोई कह दे कि वह नामज़द सदस्य हैं तो क्या यह असत्य भाषण है ? क्या यह बात सत्य नहीं है कि वह नौमिनेटेड हैं ? **(अन्तर्बाधा)**

अध्यक्ष महोदय : इतना गुस्से में आने का क्या कारण है मेरी समझ में नहीं आया ?

श्री बागड़ी : श्री नाथ पाई को ज़रूर गुस्सा आया है।

श्री रामसेवक यादव : अगर गुस्सा आया है तो कहा जायेगा कि सत्य बात के ऊपर आख़िर इतना गुस्सा क्यों ?

अध्यक्ष महोदय : सत्य बात भी कही जाय तो यह देखना होगा कि वह किस गरज़ से कही जा रही है ? किसी की नुक्ताचीनी करने के लिए कही जा रही है या किस लिए कही जा रही है ? जो भी संविधान के नीचे आ गया वह मैम्बर है, चाहे वह चुन कर आया हो या नामज़द हो कर आया है। सब मैम्बर्स बराबर हैं। इस सदन में किसी तरीक़े से भी आये, सदन के अन्दर मैम्बर मैम्बर में कोई फर्क नहीं है चाहे वह जिस तरीक़े से भी आये। वह सारे कांस्टीट्यूशन के नीचे आये हैं और इसलिए उन में कोई फर्क नहीं है और किसी को इस ख़याल से कि वह नौमिनेटेड है, घटिया या बढ़िया कहना, यह निहायत अनुचित है और और ऐसा नहीं कहना चाहिए।

श्री रामसेवक यादव : जब सदन की कार्यवाही में बाक़ायदा उनके लिए नामज़द लिखा जाता है तो

अध्यक्ष महोदय : ठीक है लिखा जाता है और क्यों न लिखा जाय ?

श्री रामसेवक यादव : अब इस में कौन सी बुरी बात कह दी कि वे नामज़द मैम्बर हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

अध्यक्ष महोदय : इस को कहने की क्या ज़रूरत है सब जानते हैं कि कहां उनका नाम लिखा जाता है ।

†**श्री हेम बरुआ** : इस में सदा एक कटाक्ष होता है। (अन्तर्बाधा)

†**श्री कपूर सिंह** : इस में एक आक्षेप होता है।

अध्यक्ष महोदय : मेरा मतलब भी यही था कि उसको कहने की गरज़ क्या है ? चूंकि "इंसिनुएशन" (आक्षेप) का तर्जुमा नहीं आता था इसलिए मैंने उस तौर पर कहा था।

***श्री लाल बहादुर शास्त्री** : किन्तु सब से महत्वपूर्ण दबाव जनमत का होता है, जो कि आम तौर पर गलत नहीं होता। किन्तु कई बार कुछ ऐसे महत्वपूर्ण मामले होते हैं जिन में सरकार को और नेताओं को जनमत का नेतृत्व करना पड़ता है। मैं श्री एन्थनी को बताना चाहूंगा कि मैं ने दक्षिण भारत के सभी मुख्य मंत्रियों से कई बार खंड ६ और ७ के बारे में सलाह की है और वे इस को मानते थे। इन में दो उपबन्ध हैं ? पहला यह है कि किसी राज्य में जहां राजभाषा प्रादेशिक भाषा है, कानून का अनुवाद हिन्दी में किया जायेगा। दूसरा यह है कि हिन्दी को उच्चन्यायालय में फैसले की घोषणा के लिए प्रयोग किया जा सकता है। मैं मानता हूं ये महत्वपूर्ण मामले हैं। दिन नियत करना हम ने राज्य सरकार या राज्यपाल पर छोड़ दिया है। इसमें कोई अनिवार्यता नहीं है। उच्च न्यायालयों के बारे में हम ने कहा है कि या प्रादेशिक भाषा जो कि राजभाषा है या हिन्दी प्रयोग की जा सकती है। अतः हम ने प्रादेशिक भाषा या अंग्रेजी को अपवर्जित नहीं किया। इसी तरह प्रादेशिक भाषा की विधेयकों और विधियों का अनुवाद हिन्दी में किया जा सकता है।

मेरे विचार में, जो कुछ श्री एन्थनी ने कहा है, मैं उस से आगे नहीं गया हूं। वास्तव में वे इस से भी अधिक चाहते थे। जो कुछ विधेयक में दिया गया है, वे उस से भी आगे गये हैं। यह बड़े संतोष की बात है कि आंग्ल-भारतीय या उन में से अधिकांश हिन्दी या हिन्दुस्तानी में बहुत अच्छी तरह बोल सकते हैं। मैं जब भी श्री एन्थनी से अंग्रेजी में बोलता हूं, तो वे हमेशा हिन्दी में उत्तर देते हैं। मैं इस का स्वागत करता हूं।

इसी तरह श्री मनोहरन को मेरी इस बात पर क्रोध था कि डी० एम० के० हिन्दी का विरोध करता है। उन के साथ मुख्य मतभेद यह है कि हिन्दी को एक सांझी भाषा मानने के लिए तैयार नहीं हैं और मैं उन से केवल यह कह सकता हूं कि वे इस मामले पर खुले दिल से विचार करें। वास्तव में, मैं ने डी० एम० के० की सराहना की है और मद्रास के एक सदस्य ने बताया था कि डी० एम० के० के लड़के हिन्दी सीखने का प्रयत्न कर रहे हैं। यह उन के लिए बहुत सराहनीय है।

श्री मनोहरन ने आगे कहा था कि हिन्दी की प्रगति का पुनर्विलोकन करने के लिए समिति की नियुक्ति एक ढोंग है और इसके फलस्वरूप अंग्रेजी पर प्रतिबन्ध लगेगा। मुझे आश्चर्य है कि संसद् का एक सदस्य एक संसदीय समिति के महत्व को कम कर के बताता है। प्रत्येक सदस्य को राष्ट्र की नीति के निर्माण के काम पर गर्व है। तथापि यदि संसदीय समिति अंग्रेजी पर कोई प्रतिबन्ध लगाती है, तो उसे कोई रोक नहीं सकता। कुछ भी हो, समिति अपनी सिफारिशें करने से पहले सब बातों पर विचार करेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री लाल बहादुर शास्त्री]

श्री मनोहरन का सुझाव कि सभी १४ भाषाओं को संघ की राजभाषाएं घोषित कर दिया जाये, व्यावहारिक नहीं है। हम हर मामले में अन्य देशों का, जहां एक से अधिक राजभाषाएं हैं अनुसरण नहीं कर सकते। मेरे विचार से भारत जैसे बड़े देश में एक सांझी भाषा होनी अधिक वांछनीय है। छोटे देशों में दो या तीन या चार राजभाषायें हो सकती हैं। किन्तु भारत जैसे बड़े देश में ऐसा करने से विघटन होगा। प्रादेशिक भाषायें महत्वपूर्ण हैं और इनका विकास किया जाना है और जैसा कि प्रधान मंत्री ने कहा है, जब तक कोई सांझी भाषा न हो, देश कई हिस्सों में बंट जायेगा। मुझे शक नहीं कि यदि संघ सरकार १४ राजभाषायें मान ले, तो ऐसा करने से अत्यधिक कठिनाई, व्यय खर्च और विलम्ब होगा। मैं माननीय सदस्यों से फिर अपील करूंगा कि वे इस मामले पर पुनर्विचार करें। यदि हम ने एक मज़बूत भारत बनाना है, तो उन्हें यह निर्णय करने से पहले कि १४ राजभाषायें रखी जायें, वे १०० बार पहले सोचेंगे। केवल एक संतुलित दृष्टिकोण से ही हम देश को अपने साथ ले जा सकते हैं। मद्रास के गृह मंत्री श्री भक्तवत्सलम् का वक्तव्य पढ़ कर मुझे बहुत खुशी हुई और मैं मद्रास राज्य की कठिनाइयों को अच्छी तरह समझ सकता हूं। एक धमकी दे दी गई है कि उन मकानों में जहां केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को हिन्दी पढ़ाई जाती है, पिकेटिंग की जायेगी, और प्रकार के आन्दोलन भी शुरू किये जा सकते हैं। श्री भक्तवत्सलम ने अपने वक्तव्य में कहा है कि विधेयक में अधिक से अधिक सहमति है और यदि इसे पारित कर दिया जाये, तो उन्हें खेद नहीं होगा। उन्होंने यह भी कहा कि वे जो कुछ अंग्रेजी के लिए चाहते थे, वह उस विधेयक में दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा था कि मद्रास सरकार ने अंग्रेजी को सखी भाषा के रूप में अनिश्चित समय तक रखने का प्रस्ताव दिया था, परन्तु अनिश्चित का अर्थ सदा के लिए नहीं है।

विधेयक बनाते समय हम ने मद्रास राज्य की इस सिफारिश को, जो कि उस ने संसदीय समिति के सामने दी थी, कि मद्रास सरकार यह समझती है कि बहुत लम्बे समय तक अंग्रेजी और हिन्दी को भारत संघ की दो राजभाषाएं रखनी पड़ेंगी। उन्होंने अपने ज्ञापन में कहा था कि मध्यवर्ती काल में विभिन्न सरकारी कार्यों के लिये हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग करना पड़ेगा और उसके बाद अंग्रेजी को धीरे-धीरे हटाना पड़ेगा किन्तु इस सारे काल में दोनों भाषायें रखनी पड़ेंगी। इसलिए मुझे कुछ आश्चर्य हुआ जब मैंने सुना कि भारत सरकार ने मद्रास सरकार के ज्ञापन में दिये हुए विचार स्वीकार नहीं किये। राज्य सरकार ने स्वयं कहा है कि ज्ञापन में की गई सिफारिशें या सुझाव संसदीय समिति ने लगभग पूर्ण रूप से स्वीकार कर ली और इसलिये यह समझना गलत होगा कि हम ने कुछ एसा काम किया है जो दक्षिण भारत के राज्यों की इच्छाओं के विरुद्ध है। वास्तव में मद्रास सरकार ने इस मामले में पहल की थी और संसदीय समिति ने उसके विचारों पर गम्भीरता से विचार किया था। राष्ट्रपति ने समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और उनकी एक सिफारिशों के अनुसरण में हमने यह विधेयक प्रस्तुत किया है।

लोगों के मन में यह भी आशंका है कि उन्हें रोजगार आदि का यथेष्ठ अवसर नहीं मिल पायेगा अथवा पदोन्नति ; वेतन वृद्धि आदि के मामलों में उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। उस विषय में सरकार बहुत सावधान है। जैसा कि मैं ने अभी कहा है सेवा के प्रयोजनों के लिये विभिन्न प्रदेशों के लोगों को समानता उपलब्ध कराने का प्रश्न निसंदेह महत्वपूर्ण है। संविधान के अनुच्छेद ३४४ के उपखंड (३) में स्पष्ट रूप से यह उल्लिखित है कि हिंदी के उत्तरोत्तर प्रयोग के संबंध में सिफारिशें देते समय राजभाषा आयोग, अन्य बातों के साथ-साथ, लोक सेवाओं के बारे में अहिन्दी -भाषी क्षेत्रों के लोगों के हितों और न्यायोचित दावों का सम्यक् ध्यान रखगी। अतः राज भाषा आयोग और संसद समिति द्वारा इस विषय की विस्तृत रूप से जांच की गई थी। समिति ने यह सिफारिश की थी कि हिन्दी को लागू करने की पद्धति इतनी विकसित और

संयमित हो कि इससे लोक सेवा की नियुक्तियों के विषय में किसी भी भाषाभाषी वर्ग को असुविधाओं का सामना न करना पड़े। जैसाकि श्री ही० ना० मुकर्जी ने इंगित किया था समिति ने अखिल भारतीय और केन्द्रीय सेवाओं में नियुक्ति के मामलों के संबंध में भी विभिन्न सुझाव दिये थे। समिति द्वारा की गई सिफारिशों में से अधिकांश राष्ट्रपति द्वारा स्वीकार कर ली गई हैं। संसदीय समिति भी राजभाषा आयोग की इन सिफारिशों से सहमत हो गई है कि केन्द्रीय सरकार के लिये यह उचित होगा कि सेवा में प्रवेश के लिये अर्हता के रूप में एक उचित परीक्षा का विधान करे; किन्तु यह ध्यान रखना होगा कि इसके लिये पर्याप्त समय पूर्व सूचना दी जाये और यह परीक्षा सामान्य कोटि की हो। किन्तु इसके उपरान्त सरकार ने यह सिद्धान्त अपनाया है कि भाषा को नियुक्ति के संबंध में कोई प्रतिबन्ध न समझा जाये। हिन्दी का ज्ञान न रखने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को हिन्दी की निःशुल्क शिक्षा देने के विषय में सुविधायें दी गई हैं। और राष्ट्रपति के आदेश में स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख किया गया है कि यद्यपि तृतीय श्रेणी और इसके ऊपर के कर्मचारियों आदि के लिये, एक निश्चित आयु-सीमा तक, हिंदी की शिक्षा प्राप्त करना अनिवार्य होगा, तथापि निश्चित तिथि तक विहित स्तर प्राप्त न करने की अवस्था में कोई दंड नहीं दिया जा सकेगा।

हिन्दी अथवा हिन्दुस्तानी में विभागीय परीक्षायें पहले भी होती थीं। माननीय सदस्यों को यह सुनकर आश्चर्य होगा कि ब्रिटिश शासन काल में भी यह प्रतिरक्षा सेवाओं में अनिवार्य कर दी गई थी। १९५१ में गृह मंत्रालय से एक आदेश जारी किया गया था जब कि श्री राजगोपालाचार्य गृह मंत्री थे। उस आदेश में यह उपबंध था कि लगभग सभी केन्द्रीय सेवाओं में हिन्दी की विभागीय परीक्षायें आरम्भ की जायें।

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : उस समय वह स्वतंत्र दल के अध्यक्ष नहीं थे।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : बाद में हम ने १९५८ में ऐसे अनुदेश जारी किये कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी, जिस पर यह आदेश लागू होते हैं, हिन्दी की परीक्षा उत्तीर्ण न कर सके तो इस से उसके स्थायीकल्प होने, वार्षिक वेतनवृद्धि, पदोन्नति, स्थायी होने आदि के सम्बन्ध में कोई रुकावट नहीं होगी।

इससे यह सिद्ध होता है कि सरकार का यह बिल्कुल भी इरादा नहीं है कि जो पहले से ही सेवा में नियुक्त हैं अथवा जिनकी नियुक्ति बाद को की जाये उनकी पदोन्नति आदि के संबंध में कोई बन्धन रखा जाये।

मैं विशेषतया हिन्दीभाषी क्षेत्रों के सदस्यों से अपील करता हूं कि यदि हमें किसी भाषा को संयोजन भाषा बनाना है तो हमें सारे देश की इच्छा से ही ऐसा करना होगा। सेठ गोविन्द दास ने गांधी जी, श्री सुभाष चन्द्र बोस और श्री जवाहरलाल नेहरू के उद्धरण पढ़ कर सुनाये। अच्छा होता यदि वह राजाजी का भी उदाहरण प्रस्तुत करते। उन्होंने, जब वह मद्रास के मुख्य मंत्री थे उस समय, हिंदी के प्रचार के विरुद्ध बोलने वाले कई व्यक्तियों को गिरफ्तार करवा दिया था। किन्तु ऐसे मामलों ये परिस्थितियों में परिवर्तन होता रहता है, और साथ ही लोगों की राय भी बदल जाती है। इस विषय में हमारा भी विशेष उत्तरदायित्व है। इसलिये मेरा निवेदन है कि सेठ जी फिर इस विषय पर विचार करें। क्या वह हिंदी के उत्तरोत्तर प्रयोग के विचार से सहमत नहीं हैं? अथवा वह यह चाहते हैं कि हिन्दी को तुरन्त सब राज्यों में लागू कर दिया जाये। क्या यह व्यवहार्य होगा? उन्हें यह समझने का प्रयास करना चाहिये कि इस प्रकार का कदम उठाने के क्या परिणाम होंगे। इस मामले में केवल

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री लाल बहादर शास्त्री]

हम अधिकारों की शक्ति से ही सफलीभूत नहीं हो सकते। सब से विज्ञ और सर्वोत्तम हल यही है कि हिन्दी के उत्तरोत्तर विकास और प्रयोग का प्रयास किया जाये और यह ध्येय सामने रखा जाये कि देश की जनता प्रसन्नता के साथ इसे सीखेगी और हमारे देशवासी इसे संघ की राजभाषा स्वीकार कर सकेंगे। परिस्थितियां बदलती ही हैं और इसक साथ ही हमें भी अपने विचारों में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। मुझे आशा है कि सभा के विभिन्न सदस्यों द्वारा इस पर सावधानीपूर्वक विचार किया जायेगा और वह इस विधेयक का समर्थन करने की उदारता दिखलायेंगे।

†**श्री रंगा** (चित्तूर) : क्या माननीय गृह-कार्य मंत्री को इस बात की जानकारी है कि सरकार के व्यय से और स्वयं सरकार द्वारा हिंदू तथा अन्य समाचार पत्रों में गत नवम्बर मास में यह विज्ञापन प्रकाशित करवाया था। यह प्रधान मंत्री के अहिंदी भाषी क्षेत्रों के लोगों को दिये गये इस आश्वासन के बारे में था कि अंग्रेजी उस समय तक राज-भाषा बनी रहेगी जब तक अहिंदीभाषी लोग इसके परिवर्तन के लिये सहमत न हो जायें। माननीय मंत्री ने प्रधान मंत्री के आश्वासन की ३ बातों का उल्लेख किया था।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रधान मंत्री ने स्वयं इस विषय नें स्पष्टीकरण कर दिया था।

†**श्री रंगा** : उन्होंने इस विशेष बात का उल्लेख नहीं किया।

श्री बागड़ी : संविधान ने भी यह विश्वास दिलाया था कि सन् १९६५ के बाद हिन्दी आ जायेगी।

†**अध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति। माननीय सदस्य क्या कहना चाहते है ?

†**श्री रंगा** : माननीय गृह-कार्य मंत्री ने तीन बातों का उल्लेख किया जो उनके कहे अनुसार प्रधान मंत्री के दिये हुए आश्वासन में सम्मिलित हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रधान मंत्री ने इस आवश्वासन का उल्लेख किया था।

†**श्री रंगा** : गृह-कार्य मंत्री ने प्रधान मंत्री के भाषण का सारांश प्रस्तुत करते समय कवल तीन बातें ही बताई थीं, किन्तु इस बात का उल्लेख नहीं किया। गृह-कार्य मंत्री को इस बात का ज्ञान है या नहीं ? क्या वह उन तीन बातों में एक नई बात और नहीं जोड़ती ?

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या गृह-कार्य मंत्री श्री रंगा की बात का उत्तर देंगे ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : यदि मैं श्री रंगा को ठीक ही समझा हूं तो उनका सुझाव यह है कि अहिंदीभाषी लोगों से परामर्श लिया जाये अथवा उनके विचार जाने जाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : उनका कहना यह है कि जब तक अहिन्दीभाषी क्षेत्रों के लोग अन्यथा न चाहे अंग्रेजी जारी रहे।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मैं ने प्रधान मंत्री का भाषण कई बार पढ़ा है। इस विधेयक के द्वारा हम एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण कर रहे है जिस के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों से आये हुए लोगों के विभिन्न दृष्टिकोण जाने जा सकेंगे। हम इसे एक विशिष्ट रूप रेखा दे रहे हैं। पहली बात यह है कि एक संसदीय समिति बनाई जायेगी जिसके दो तिहाई सदस्य जैसा कि पहले हुआ था अहिंदीभाषी क्षेत्रों के होंगे। संसद् सदस्य लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अतः इस समस्या पर पक्षपातरहित विचार करने

†मूल अंग्रेजी में

के लिये इस से अच्छी समिति नहीं हो सकती । संसद् ही केवल इस विषय पर विस्तृत दृष्टिकोण से राष्ट्रीय स्तर पर विचार कर सकती है ।

†**श्री रंगा** : राज्य विधान सभायें भी हैं ।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : उत्तर प्रदेश यह कह सकता है कि हिंदी को राज-भाषा बनाया जाना चाहिये और सारे देश में इसका प्रचार किया जाना चाहिये । अथवा आंध्र यह कह सकता है कि तेलगू को राज भाषा बनाया जाये । इसलिये संसद् ही इस पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण से विचार कर सकता है ।

†**श्री कंडप्पन** (तिरुचेगोड) : यहां हिन्दी भाषियों का प्रभुत्व है ।

†**श्री सेझियान** (पेरम्बलुर) : प्रधान मंत्री के आश्वासन में स्पष्ट रूप से यह कहा गया था कि :

"अंग्रेजी सह भाषा के रूप में जारी रहेगी । और जब तक अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के लोग नहीं चाहेंगे मैं इसे नहीं हटाऊंगा ।"

†**अध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति । यह सारे तर्क पहले ही प्रस्तुत किये जा चुके हैं । चाहे प्रतिपक्षी इन से सन्तुष्ट नहीं हुए हों । अब केवल उन क पास इसी बात का अवसर है कि अपने मताधिकार का प्रयोग करें । इस पर काफी चर्चा हो चुकी है । प्रत्येक को किसी एक की बात से सहमत कराना असंभव है ।

†**श्री रंगा** : बात कवल इतनी ही है कि संसद् ही केवल इस बात का निर्णय करेगा कि लोक मत तैयार हुआ अथवा नहीं किन्तु हमारा कथन है कि संबंधित राज्य विधान सभायें भी इसका निर्णय करें ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस बात पर खंडवार चर्चा के दौरान विचार किया जायेगा । संसद् हो अथवा राज्य विधान सभाययें इस के बारे में माननीय सदस्य संशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं । अब में प्रस्ताव को सभा के सम्मुख रखूंगा ।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मुझे खेद है , किन्तु में एक और बात कहना चाहता हूं । प्रधान मंत्री ने स्वयं श्री फ्रेन्क एन्थनी के उत्तर में कहा था कि संसदीय समिति की राय जानने के बाद कोई भी राज्य यदि चाहे तो अपनी विधन सभाओं में इस पर विचार कर सकता है । उन्होंने यह भी कहा था कि जन-निर्देश करना संवैधानिक नहीं होगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब में डा० गोबिन्द दास का स्थानापन्न प्रस्ताव लेता हूं । क्या वह उस पर जोर देना चाहते हैं ।

डा० गोविन्द दास (जबलपुर) : मैं इस को वापिस लेना चाहता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या सभा माननीय सदस्य को अपना प्रस्ताव वापस लेने की अनुमति देती है ?

†**कुछ माननीय सदस्य** : हां !

संशोधन, सभा की अनुमति से, वापिस ले लिया गया ।

---

†मूल अंग्रेजी में .

†**अध्यक्ष महोदय** : में संशोधन संख्या २ सभा के सम्मुख मतदान के लिये प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री बड़े** (खारगोन) : श्रीमान्, मेरा सुझाव यह है कि विधेयक को परिचालित करने से संबंधित सारे संशोधन एक साथ प्रस्तुत किये जायें ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे कोई आपत्ति नहीं । क्या सदस्य ऐसा चाहते हैं ?

†**कुछ माननीय सदस्य** : हां ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं संशोधन संख्या २ से ४, ६, ३१, ४९ और ५० सभा के सम्मुख मतदान के लिये रखता हूं । जो पक्ष में हों, वह 'हां' कहें ।

†**कुछ माननीय सदस्य** : हां ।

†**कुछ माननीय सदस्य** : नहीं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : विपक्ष में अधिक मत हैं ।

†**कुछ माननीय सदस्य** : पक्ष में अधिक हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : फिर मुझे इन्हे पथक-पथक ही रखना होगा । क्योंकि जिन संशोधनों पर मत विभाजन करना होता है उन्हें एक साथ नहीं रखा जा सकता । या तो माननीय सदस्य स्वयं आपस में ही निर्णय कर लें और यदि मुझे चुनना हुआ तो मैं वही संशोधन चुनूंगा जिसमें सबसे अधिक समय की माँग की गई है ।

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)**: वह होनी चाहिये जिसमें सबसे कम समय मांगा गया हो ।

†**एक माननीय सदस्य**: संशोधन संख्या ५ को प्रस्तुत किया जाये ।

†**श्री त्यागी** : एक औचित्य का प्रश्न है । प्रक्रिया के अनुसार संशोधनों का सामान्य भाग रखा जा सकता है । इन संशोधनों का सामान्य भाग यह है कि विधेयक को परिचालित किया जाये या नहीं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : किसी भी प्रस्ताव का रूप ऐसा नहीं । यदि माननीय सदस्य संशोधन संख्या ५ के लिये सहमत हो जायें तो ठीक है, नहीं तो मुझे ही चुनना होगा ।

श्री राम सेवक यादव : (बाराबंकी): आप ही तय कर दें, अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्ष महोदय: मैंने तो नम्बर ६ चुन लिया है, उसी को रखूंगा । राम से यादव जी मुझ पर छोड़ रहे हैं क्योंकि मैं उन्हीं का अमेंडमेंट चुन रहा हूं इस वक्त ।

†**श्री फ्रैंक एन्थनी** : संशोधन संख्या ३ प्रस्तुत किया जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय**: सामान्य प्रक्रिया तो यही है कि जब अध्यक्ष को चुनना होता है तब वही संशोधन चुनता है जिसका समय सबसे अधिक होता है । मैं संशोधन संख्या ६ मतदान के लिये रखूंगा ।

†**श्री राजाराम**: संशोधन संख्या ५ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : इससे क्या अन्तर पड़ता है, सिवाय इसके कि यह किस सदस्य के नाम से रखा जायेगा ।

†**एक माननीय सदस्य** : दिनाँक तो भिन्न-भिन्न हैं।

†**श्री त्यागी** : केवल यही प्रस्तुत किया जाये कि विधेयक को परिचालित किया जाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : नहीं। हमारे नियमों के अंदर दिये गये प्रस्ताव की रूप रेखा के अनुसार दिनाँक दिया जाना आवश्यक है। यदि वह इस बात पर जोर दें कि संशोधन संख्या ५ को भी अलग स प्रस्तुत किया जाये तो मैं वैसा ही करूंगा।

†**श्री त्यागी** : हाँ, श्रीमान्।

†**श्री फ्रैंक एन्थनी** : संशोधन संख्या ३ रखा जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : फिर मैं सारे संशोधनों को पृथक् पृथक रखूंगा।

†**श्री मनोहरन** : श्रीमान्, मैं एक वक्तव्य देना चाहता हूं।

†**एक माननीय सदस्य** : नहीं, नहीं। (अन्तर्बाधायें)

†**अध्यक्ष महोदय** : शाँति, शाँति। इस समय किसी भी प्रकार का वक्तव्य नहीं दिया जा सकता ।

†**श्री मनोहरन** : हमें ऐसा प्रतीत होता है कि गृह-मंत्री केवल 'संख्या' की ही बात मानने पर तुले हुये हैं और अहिंदी भाषी लोगों की भावनाओं का अमादर करना नहीं चाहते। हम इस विधेयक द्वारा किये जाने वाले भाषायी साम्राज्यवाद '(Linguistic Imperialism) रूपी अन्याय में सहभागी बनना नहीं चाहते। (अन्तर्बाधायें)।

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति शान्ति।

†**श्री मनोहरन** : हम बहुसंख्यकों द्वारा किये जाने वाले अत्याचार के विरोध स्वरूप सभा का त्याग करते हैं।

(श्री मनोहरन तथा कुछ अन्य सदस्य सभा से उठकर चले गये)

†**श्री श० ना० चतुर्वेदी** : श्री मनोहरन द्वारा कही हुई बात कार्यवाही के वृत्तान्त से निकाल डी जाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : निकालने लायक कोई बात नहीं है।

अब मैं संशोधनों को एक-एक करके सभा के सम्मुख मतदान के लिये रखूंगा। सबसे पहले मैं वह रखूंगा जिसका समय सबसे अधिक होगा। इसी क्रम से शेष संशोधनों को भी प्रस्तुत करूंगा ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा वंशोधन संख्या ६ मतदान के लिये रखा गया ।

लोक सभा में मत विभाजन हुआ :

पक्ष में ११; विपक्ष में २०६

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ५०, ४, ३ तथा ४९ मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या २ मतदान के लिये रखा गया ।

लोक-सभा में मत विभाजन हुआ ।

पक्ष में १९; विपक्ष में २०४ ।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ३१, ३३ और ५१ मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब मैं विचार करने के प्रस्ताव को मतदान के लिये रखूंगा ।

प्रश्न यह है :

"कि संसद् में कार्य-सम्पादन, केन्द्रीय और राज्य अधिनियमों और उच्च न्यायालयों में कुछ प्रयोजनों के लिये संघ के राज-काज में प्रयोग की जाने वाली भाषाओं का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब हम खंडों को लेंगे ।

खंड २ (परिभाषायें)

†**श्री हरि विष्णु कामत** : ५ बजे से अनिवार्यतः जमा योजना विधेयक पर चर्चा आरम्भ होनी है । अब ५ बजने में केवल ५ मिनट हैं । मेरा सुझाव है कि इस विधेयक पर खण्डवार चर्चा कल से आरम्भ की जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : आज से ही क्यों नहीं ? इस पर कई संशोधन हैं ।

†**श्री फ्रैंक एन्थनी** : मैं अपना संशोधन संख्या ३४ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री बड़े** : मैं अपना संशोधन संख्या ८१ प्रस्तुत करता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह संशोधन सभा के सम्मुख प्रस्तुत हैं ।

†**श्री हजरतवीस** : एक औचित्य का प्रश्न है । संविधान के अनुच्छेद ३४३ (१) में कहा गया है कि :

"संघ की राजभाषा देवनागिरी लिपि में हिंदी होगी ।"

इसलिये जब तक संविधान का संशोधन नहीं हो जाता तब तक इस लिपि में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता । श्री फ्रैंक एन्थनी के संशोधन में देवनागरी के अतिरिक्त रोमन लिपि का भी उल्लेख है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री फ्रैंक एन्थनी** : यह संविधान के विरुद्ध नहीं। मैं तो केवल एक और बात जोड़ना चाहता हूं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने देवनागिरी लिपि अथवा रोमने लिपि की सिफारिश की है।

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : उस आयोग ने ऐसी कोई सिफारिश नहीं की।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य उठाई गई आपत्ति का उत्तर दें।

†**श्री फ्रैंक एन्थनी** : इसमें किसी चीज का अतिलंघन नहीं किया जा रहा। हम केवल एक और लिपि के प्रयोग की आज्ञा चाह रहेहैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : इसमें रोमन लिपि और जोड़ देने से सारी बात बदल जाती है। यदि किसी चीज में कुछ जोड़ें उसमें से निकालें तो वह बिल्कुल भिन्न चीज बन जाती है। यह संशोधन अवरुद्ध है।

†**श्री बड़े** : मेरे संशोधन का अर्थ यह है कि 'प्राधिकृत मूल पाठ' का अर्थ हिंदी में मूल पाठ समझा जाये।

प्राधिकृत मूल पाठ को स्पष्ट करने के लिये ही मैंने संशोधन रखा है। विधेयक के अनुसार यह प्रतीत होता है कि अंग्रेजी संस्करण ही प्राधिकृत मूल पाठ है।

†**अध्यक्ष महोदय** अब हम दूसरा कार्य आरम्भ करेंगे।

अनिवार्य जमा योजना विधेयक

†**अध्यक्ष महोदय** : अब हम अनिवार्य जमा योजना विधेयक को लेंगे। ५ बज चुके हैं। क्या कोई सरकारी संशोधन प्रस्तुत किये जाने हैं ?

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** मैं ने खंड ३ पर सभी संशोधन प्रस्तुत कर दिये हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या आप कुछ कहना चाहती हैं ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : वित्त मंत्री द्वारा पहले ही विस्तार पूर्वक सब कुछ कह दिया गया है, इसलिये मैं कुछ नहीं कहना चाहती।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या मैं किसी संशोधत को अलग से सभा के मतदान के लिये रखूं।

†**श्री प्रभात कार** (हुगली) : हमने जो संशोधन प्रस्तुत किये उनका उत्तर हमें दिया जाना चाहिए था।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : जो बातें वित्त मंत्री द्वारा पहले ही कह दी गई हैं उन्हें दोहरा कर मैं सभा का समय नहीं लेना चाहती थी। यदि माननीय सदस्य चाहते हैं कि मैं अवश्य उत्तर दूं तो आप मुझे क्षमा करेंगे यदि मैं बहुत सी वित्त मंत्री द्वारा कही गई बातों को ही दोहराऊं।

सभा को ज्ञात है कि भू-राजस्व देने वालों पर अनिवार्य जमा योजना लागू करने से उन पर प्रभाव पड़ेगा। यह मांग की गई है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका परिणाम यह होगा कि

---

†मल अंग्रेजी में

[श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा]

उस योजना से २·५० करोड़ रुपये की आय कम हो जायेगी । इसके फलस्वरूप देश की बहुत बड़ी जनसंख्या इस विधेयक के क्षेत्र से बाहर रह जायेगी । इस विधेयक के मूल अभिप्राय को समझना आवश्यक है । क्योंकि यह विधेयक वित्त विधेयक के साथ आया है इसलिये माननीय सदस्य कुछ भावुक हो गये हैं । यदि ऐसा न होता तो ग्रामीण क्षेत्रों में बचत की वांछनीयता और औचित्य को माननीय सदस्य समझ सकते थे । ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण आदि में यह कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों की क्षमता का अभी पूरा उपयोग नहीं किया गया है । जब तक इसका उपयोग नहीं किया जायेगा देश में बचत की मात्रा में वृद्धि नहीं हो सकती । यह मूल सिद्धांत है जिसकी बिना पर हमने इस विधेयक को प्रस्तुत किया है ।

†**श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी** (सागर) : क्या प्रतिवेदनों के अनुसार ५ रुपया वार्षिक कर देने वाले लोग इसके लिये सक्षम हैं ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : व्यक्तियों की क्षमता का विस्तृत रूप से निर्धारण नहीं किया गया है . . .

†**श्री पें० वैंकटासुब्बया** (अडोनी) : ग्रामीणों की ऋण-ग्रस्तता के बारे में आप क्या कहते हैं ?

†**श्री बागड़ी** (हिसार) : अध्यक्ष महोदय, सुनता नहीं है, उधर को मुंह करके वह बोल रही हैं । आपकी तरफ मुंह कर के उनको बोलना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : अगर मेरी तरफ मुंह करके अंग्रेजी वह बोलें तब तो आप समझ लेंगे ? अगर वह दूसरी तरफ मुंह करके अंग्रेजी बोलें तब अंग्रेजी नहीं समझ सकेंगे ?

†**श्री बागड़ी** : मैं तब भी नहीं समझूंगा ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : मैं अधिक विस्तार में नहीं जा सकती । परन्तु मैं माननीय सदस्यों को बता सकती हूं कि ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति ने ऋण ग्रस्तता का सर्वेक्षण कर के भी यह सिफारिश की है कि यदि हम देश की बचत की मात्रा में वृद्धि करना चाहते हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों की बचत क्षमता का पूरी तरह उपयोग नहीं किया गया है । इसलिये बचत के किसी कार्यक्रम से यदि हम ग्रामीण क्षेत्रों को निकाल देते हैं तो वह कार्यक्रम उस प्रकार सफल नहीं होगे जैसा कि हम चाहते हैं कि यह सफल हो । उस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों से धन इकट्ठा करना नहीं है वरन् यह है कि उन विकास कार्यों के लिये धन लिया जाय जिससे उन्हें लाभ पहुंचे । जो ५ रुपये सरकार ले कर विकास काय में लगायेगी वह रुपये उन के उन्हीं पर अच्छी प्रकार व्यय होंगे ।

न ही माननीय सदस्य और न मैं जान सकती हूं कि एक व्यक्ति अपने धन का उपयोग किस प्रकार करता है, परन्तु उपलब्ध आंकड़ों से विदित है कि एक व्यक्ति जो धन औजारों पर और कृषि विकास कार्यक्रम आदि पर विनियोग करता है उसके अनुसार उसकी विकास कार्यक्रम पर धन व्यय करने की क्षमता में भी वृद्धि हो गई है ।

†**श्री पें० वैंकटासुब्बया** : सहकारी संस्थाओं की क्षमता के बारे में क्या स्थिति है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** सहकारी संस्थाओं से ऋण लेने और उसे अदा करने की क्षमता से मालूम होता है कि उन की धन व्यय करने की क्षमता बढ़ गई है क्योंकि वह ऋण अदा कर सकें हैं।

†**श्री शिवाजीराव शं० देशमुख:** ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण से पता चलता है कि अलाभप्रद जोतें २५ प्रतिशत कम हैं।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा:** वित्त मंत्री ने बताया है कि अलाभप्रद जोतों का प्रश्न इस समय हमारे समक्ष है, परन्तु इस आधार पर गणना कर के हम अलाभद्रप्रद जोतों को इस विधेयक की सीमा से निकाल नहीं सकते, क्योंकि भू-राजस्व के लिये भी लाभप्रद और अलाभप्रद जोतों को आधार नहीं माना जाता। **(अन्तर्बाधायें)**

†**श्री प्रभात कार :** इस विधेयक द्वारा जो कदम उठाये जा रहे हैं वह ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण के विरुद्ध हैं। यह सर्वेक्षण में बताया गया है कि ऋण बहुत अधिक हैं इसलिये बचत का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री अ० प्र० जैन :** यह सब बातें सदस्यों के लिये अपमानजनक हैं क्योंकि यह प्रतिवेदन की सिफारिशों के बिल्कुल विपरीत हैं।

†**श्री कपूर सिंह** (लुधियाना): क्या माननीय मंत्री यह कहते हैं कि भू-राजस्व के निर्धारण का जो सिद्धांत है वही सिद्धान्त इस विधेयक का आधार है? **(अन्तर्बाधा)**।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं माननीय मंत्री को सलाह दूंगा कि अन्तर्बाधाओं के कारण आसानी से बैठ न जायें। **(अन्तर्बाधा)**

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** मैं ने कोई गलत बात नहीं कही । ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बचत की मात्रा में वृद्धि हुई है।

†**श्री अ० प्र० जैन** (तुमकुर) : ५ अथवा १० रुपये देने वाले किसान की बचत क्षमता नहीं बढ़ी है।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** मैं वर्गीकरण नहीं कर रही हूं **(अन्तर्बाधायें)**। मुझे मालम है कि माननीय सदस्य मुझे बोलने देंगे ।

†**श्री रंगा :** (चित्तूर) : बोलने की आवश्यकता नहीं है। बहुमत तो आप का है।

†**अध्यक्ष महोदय :** जब वह नहीं बोलीं थीं तो मांग की गई थी कि वह बोलें। यदि वह बोलना चाहती हैं तो आप कह रहे हैं कि ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा:** : मैं तो उन प्रतिवेदनों के आधार पर कह रही थी कि ग्रामीण क्षेत्रों में बचत की क्षमता बढ़ गई है। उन में ऐसा कहा गया है यह बिलकुल सच है। जब देश भर में बचत हो रही है तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी बचत होनी चाहिये ।

जहां तक उस के एकत्रित किये जाने का प्रश्न है यह मालूम करना व्यवहार्य नहीं है कि कौनसी बातें लाभप्रद हैं और कौनसी अलाभप्रद, क्योंकि राज्य भू-राजस्व अधिकरण प्रत्येक व्यक्ति की जोत की स्थिति का निर्धारण नहीं करते। इसलिये जो भी योजना

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा]

उनकी सहायता से कार्यान्वित की जानी हो उस में लाभ प्रद और अलाभप्रद जोतों का ध्यान रखना कठिन है ।

श्री बनर्जी और श्री प्रभातकार ने कहा कि दुकानदारों के लिये इस मामले में उदारता दिखानी चाहिए । उन्हें ४ रुपये से कुछ अधिक मासिक रकम देनी पड़ेगी । मैं समझती हूं कि राष्ट्रीय विकास के कार्य के लिये यह कम से कम रकम होगी । प्रत्येक संस्था, स्वेच्छा से, राष्ट्रीय कल्याण कार्यक्रम और राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम में योगदान देने के लिये आगे आई है । इसलिये उन्हें इस कार्यक्रम से बाहर नहीं रखा जा सकता ।

यह भी कहा गया है कि १५,००० रुपये के कारोबार वाले दुकानदारों को इस विधेयक द्वारा प्रभावित नहीं होने दिया जाना चाहिए, क्योंकि इसके परिणामस्वरूप उस दुकानदार को ५० रुपये प्रतिवर्ष देना पड़ेगा और यह धन देने में उसे कठिनाई होगी। यह भी स्वीकार्य नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या मैं किन्हीं संशोधनों को अलग से रखूं ?

†**श्री प्रभातकार** : संशोधन संख्या ४९ और ५९ ।

†**अध्यक्ष महोदयः** मैं संशोधन संख्या ४९ और ५९ अलग से रखूंगा ।

†**श्री पु० र० पटेल** (पाटन) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपना संशोधन संख्या ३५ वापिस लेता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदयः** : क्या उन्हें अपना संशोधन संख्या ३५ वापिस लेने की अनुमति है ?

संशोधन संख्या ३५, सभा की अनुमति से, वापिस लिया गया ।

†**अध्यक्ष महोदयः** क्या मैं संशोधन संख्या ४९ और ५६ को इकट्ठे रखूं, अथवा क्या आप उनमें से प्रत्येक पर मत-विभाजन के लिये आग्रह करते हैं ?

†**श्री प्रभातकार** : उन्हें अलग अलग रखा जाये क्योंकि हम प्रत्येक पर मत–विभाजन का आग्रह करते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : तब मैं उन्हें अन्त में रखूंगा ।

†**श्री बड़े** (खारगोन) : मेरे संशोधन संख्या १०० और १०१ को मतदान के लिये रखा जाय ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या आप चाहते हैं कि उन्हें अलग अलग रखा जाय ?

†**श्री बड़े:** जी नहीं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं उन सबको एक साथ रखूंगा ।

†**श्री रंगा:** संशोधन संख्या ४९ भू-राजस्व में छूट की सीमा को बढ़ाने संबंधी है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : संशोधन संख्या ५० और ५७ को अलग अलग रखा जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं इन दोनों को एक साथ रखूं अथवा अलग अलग ?

†**श्री स० मो० बनर्जी** : इनको एक साथ रख दिया जाये।

†**अध्यक्ष महोदय**: मैं पहले सरकारी संशोधन संख्या ७२, ७३, ७४, ७५, ७६, ७७, ७८ और ७९ को सभा के मतदान के लिये रखूंगा।

प्रश्न यह है कि —

(१) पृष्ठ १, पंक्ति १०,—

"land revenue" (भूमि राजस्व) के बाद निम्नलिखित रख दिया जाये :

"(whether known as land revenue, rent, tax or by any other name)"

["(चाहे उसे भूमि-राजस्व के, किराये के या कर के नाम से अथवा अन्य किसी नाम से जाना जाये)"] (७२)

(२) पृष्ठ १, पंक्ति १७,—

अंत में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये, —

"who are not liable to payment of tax under the Income-tax Act"

["जिन्हें आय-कर अधिनियम के अधीन कर का भुगतान नहीं करना पड़ता।"] (७३)

(३) पृष्ठ १, पंक्ति २१ से २३ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाये :—

"(iii) Companies as defined in section 3 of the Companies Act, 1956, including foreign companies within the meaning of section 591 and Government companies as defined in section 617 of that Act."

["(३) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ३ में परिभाषित समवाय, जिनमें उस अधिनियम की धारा ५९१ के अर्थों के अन्तर्गत आने वाले विदेशी समवाय तथा धारा ६१७ में परिभाषित सरकारी समवाय भी सम्मिलित हैं।" (७४)

(४) पृष्ठ १, पंक्ति २६ के बाद निम्नलिखित रख दिया जाये :—

"(v) individuals or associations of persons or bodies of individuals liable to payment of tax under the Income-tax Act, and entitled to deduct the salary paid to their employees for the purpose of computing their income under that Act,".

["(५) आयकर अधिनियम के अधीन कर का भुगतान करने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का संघ अथवा व्यक्तियों का निकाय, जिनकी आय की गणना करते समय, उस अधिनियम के अधीन, उनके कर्मचारियों को दिया गया वेतन घटा दिया जाता है।"] (७५)

(५) पृष्ठ २, पंक्ति १, "shopkeepers" ["दुकानदार"] के स्थान पर "dealers" ["विक्रेता"] रख दिया जाये। (७६)

---

†मूल अंग्रेजी में

(६) पृष्ठ १, पंक्ति २, "any law" ["किसी विधि"] के स्थान पर "any State Act" ["किसी राज्य अधिनियम"] रख दिया जाये। (७७)।

(७) पृष्ठ २, पंक्ति ४ के बाद निम्नलिखित रख दिया जाये :—

"Provided that where by or under any such State Act any amount higher than fifteen thousand rupees has been fixed as the minimum annual turn-over for the purpose of registration under that Act the reference to fifteen thousand rupees in this clause shall be construed as a reference to that amount.

Explanation.—In this clause,—

(a) "dealer" has the same meaning as in the respective State Acts with respect to tax on the sale of goods;

(b) "State Act" includes a Provincial Act;"

["परन्तु जहां ऐसे किसी राज्य अधिनियम के द्वारा अथवा उसके अधीन, उस अधिनियम के अधीन पंजीकरण करने के प्रयोजन के लिये, वार्षिक कारबार की न्यूनतम राशि पन्द्रह हजार रुपये निश्चित कर दी गई है, वहां, इस खंड में उल्लिखित पन्द्रह हजार रुपये का अर्थ उसी राशि से लगाया जायेगा।

व्याख्या—इस खंड में—

(क) "विक्रेता" का वही अर्थ है जो वस्तुओं के विक्रय-कर से संबंधित तत्संबंधी राज्य अधिनियमों में है;

(ख) "राज्य अधिनियम" में प्रान्तीय अधिनियम भी सम्मिलित है;"] (७८)

(८) पृष्ठ २, पंक्ति ५ से ८ निकाल दी जाये। (७९)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ५० तथा ५७ सभा के मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं अब संशोधन संख्या ४९ सभा के मतदान के लिये रखूंगा।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ४९ सभा के मतदान के लिये रखा गया।

लोक-सभा में मत-विभाजन हुआ; पक्ष में २३; विपक्ष में ९७।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

†**अध्यक्ष महोदय :** अब में संशोधन संख्या ५६ को लूंगा। क्या इस पर भी आग्रह किया जायेगा।

†**श्री प्रभात कार :** जी हां।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ५६ सभा के मतदान के लिये रखा गया।

लोक-सभा में मत-विभाजन हुआ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मत-विभाजन का परिणाम इस प्रकार है; पक्ष में २२, विपक्ष में १०२।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब में सरकारी संशोधन जो स्वीकार हो चुके हैं, उनके अलावा संशोधनों को सभा के मतदान के लिये रखूंगा ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ५३, ५९, ६३, ५४, ६०, ६४, ३३, १००, १०१, १०४, १०५, ५१, ५२, ५५, ५८, ६२, ९९, १०३, १०६, ४, ७, १०, ३६, ३७, ३८ सभा के मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

†**अध्यक्ष महोदय:** प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड २, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड ३—(परिभाषायें)

संशोधन किये गये—

(१) पृष्ठ २, पंक्ति १९ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय,—

'(d) "person" shall have the same meaning as in clause (31) of section 2 of the Income-tax Act ;"

['(घ) "व्यक्ति" के वही अर्थ होंगे जो आय-कर अधिनियम की धारा २ के खण्ड (३१) में इस शब्द के है; '] (८०)

(२) पृष्ठ २, पंक्ति २२, अन्त में यह जोड़ दिया जाये,—

"or annuity or pension".

["अथवा वार्षिको अथवा निवृत्ति-वेतन"] (८१)

(३) पृष्ठ २, पंक्ति २३ और २४ को निकाल दिया जाय (८२)।

(४) पृष्ठ २, पंक्ति २८, "or a Panchayat" ["अथवा एक पंचायत"] के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय,—

"Or a Panchayat constituted by reorganisation of any of the aforesaid local authorities".

[अथवा एक पंचायत जो उपर्युक्त किन्हीं स्थानीय अधिकरणों के पुनर्गठन के परिणाम स्वरूप गठित हो।"] (८३)

(५) पृष्ठ २, पंक्ति २९ के पश्चात निम्नलिखित रख दिया जाय,—

'(h) "Year means the financial year."

['(ज) "वर्ष" का अर्थ वित्तीय वर्ष है।'] (८४)

[श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा]

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ३, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ३, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड ४—(अनिवार्य जमा की अपेक्षा)

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : बहुत से संशोधन हैं। जो माननीय सदस्य अपने संशोधन प्रस्तुत करना चाहें वह ऐसा कर सकते हैं।

†**श्री त्यागी**: मेरे मुख्य मंत्री सहमत हो गये हैं इसलिये मैं अपना संशोधन संख्या १७ प्रस्तुत नहीं करता।

†**अध्यक्ष महोदय**: संशोधन संख्या २६ भी प्रस्तुत नहीं किया गया क्योंकि श्री त्यागी मुख्य मंत्री के आश्वासन से सन्तुष्ट हो गये हैं।

†**श्री दे० शि० पाटिल** : में अपने संशोधन संख्या १०९ और ११० प्रस्तुत करता हूं।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : में प्रस्ताव करती हूं :–

पृष्ठ ३, पंक्ति २ से ५ के लिये निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(a) in the case of a person falling under clause (a) of section 2, fifty per cent of the land-revenue (including surcharge thereon, if any,) payable in respect of the land or lands held by him in the year for which the deposit is required to be made.

Explanation :—In this clause 'year' means the year with reference to which land-revenue is payable under any law with respect to land-revenue;".

["(क) धारा २ के खण्ड (क) के अन्तर्गत आने वाले किसी व्यक्ति के मामले में उसके द्वारा उस वर्ष में, जिसके संबंध में जमा की जानी है, धृत भूमि और भूमियों के संबंध में देय भू-राजस्व का ५० प्रतिशत (उस पर अधिभार सहित, यदि कोई हो तो)।

व्याख्या—इस खण्ड में 'वर्ष' का अर्थ उस वर्ष से है जिसके संबंध में, भू-राजस्व से संबंधित किसी विधि के अधीन, भू-राजस्व देय है ; "।] (८५)

†**श्री राम सेवक यादव** : मैं अपना संशोधन संख्या २० प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री काशी राम गुप्त** : मैं अपना संशोधन संख्या ६७ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : मैं अपना संशोधन संख्या ११२ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : मैं प्रस्ताव करती हूं कि :

पृष्ठ ३, पंक्ति ११ से १५ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"Provided that where the property is assessed to such tax not with reference to its annual rental value, the maximum rate of deposit under this clause shall be twelve and a half per cent of such tax;".

["किन्तु जहां सम्पत्ति पर ऐसे कर का निर्धारण इसके वार्षिक किराया अनुसार मूल्य के आधार पर न किया गया हो, इस खण्ड के अन्तर्गत अधिकतम जमा की दर ऐसे कर की १२ $^{१}/_{२}$ प्रतिशत होगी ; "।] (८६)

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री राम सेवक यादव :** मैं अपना संशोधन संख्या २३ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** मैं प्रस्ताव करती हूं कि :

पृष्ठ ३, पंक्ति २२ से २५ को निकाल दिया जाय। (८७)

†**श्री काशी राम गुप्त :** मैं अपना संशोधन संख्या ६९ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** मैं प्रस्ताव करती हूं कि :

पृष्ठ ४, पंक्ति २९ के पश्चात् निम्नलिखित रख दिया जाय —

"(5A) Where a person falling under clause [d] of section 2 pays in any year any sum,

19 of 1925. (i) to effect or to keep in force any insurance on the life of such person or on the life of the wife or husband of such person; or

(ii) as a contribution to any provident fund to which the Provident Funds Act, 1925, applies to any "recognised provident fund" as defined in clause (38) of section 2 of the Income tax Act; or

(iii) in a ten-year account or a fifteen-year account under the Post Office Savings Bank (Cumulative Time Deposit) Rules, 1959, as amended form time to time,

he shall not be liable to make any compulsory deposits under this section for that year if such sum is not less than eleven per cent of his annual income from salary.";

["(५क) जहां धारा २ के खण्ड (घ) के अन्तर्गत आने वाला कोई व्यक्ति किसी वर्ष में,

१९२५ का १९। (१) किसी ऐसे व्यक्ति के स्वयं के जीवन का अथवा ऐसे व्यक्ति की पत्नी अथवा पति के जीवन का बीमा कराने के अलावा उस को चालू रखने के लिये अथवा

(२) आय-कर अधिनियम की धारा २ के खण्ड (३८) में परिभाषित "मान्यता प्राप्त भविष्य निधि" के सम्बन्ध में लागू होने वाले भविष्य निधि अधिनियम, १९२५, के अन्तर्गत आने वाली किसी भविष्य निधि में अंशदान के रूप में, अथवा

(३) डाक-घर बचत बैंक (संचयी सावधी जमा) नियम, १९५९, समय समय पर रूपभेदित रूप में, के अधीन किसी १० वर्षीय लेखे अथवा १५ वर्षीय लेखे में, कोई राशि देता है यदि ऐसी राशि उस की वेतन से प्राप्त वार्षिक आय के ११ प्रतिशत से कम नहीं है तो वह इस धारा के अधीन कोई भी अनिवार्य जमा नहीं करेगा।";] (८८)

†**श्री काशी राम गुप्त :** मैं अपना संशोधन संख्या ७० प्रस्तुत करता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : मैं प्रस्ताव करती हूं कि :

पृष्ठ ४, पंक्ति ३५, "four per cent per annum" ["४ प्रतिशत प्रति वर्ष"] के पश्चात् निम्नलिखित यह रख दिया जाय—

"to be calculated from the first day of the month immediately following the month in which the deposit is made to the last day of the month immediately preceding the month in which it is repaid (both days inclusive)".

["इस की गणना जमा किये जाने वाले मास के तुरन्त बाद वाले मास के प्रथम दिन से रुपया वापिस दिये जाने वाले महीने के तुरन्त पहले वाले मास के अन्तिम दिन तक की जायगी (दोनों दिन सम्मिलित होंगे) "।] (८९)

पृष्ठ ५, पंक्ति २ और ३ में, "in the event of the death of the depositor if the authority" ["जमा कराने वाले की मृत्य हो जाने पर यदि अधिकारपत्र"] के स्थान पर "in any case in which the authority" ["किसी भी अवस्था में जिस में अधिकारपत्र"] रख दिया जाय। (९०)।

†**श्री योगेन्द्र झा** : मैं अपना संशोधन संख्या ३९ प्रस्तुत करता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : उक्त संशोधन सभा के समक्ष हैं।

†**श्री अ० प्र० जैन** (तुमकुर) : खण्ड ४, जिस के अनुसार अनिवार्य जमा योजना को लागू किया जाना है, संविधान की शक्ति से बाहर है इस लिये इसे अधिनियमित न किया जाय।

अध्यक्ष महोदय जब भी सभा के समक्ष कोई वैधता का अत्यावश्यक प्रश्न आता है तो आप को पथप्रदर्शन करना होता है। मुझे स्मरण है कि आज से २५ वर्ष पूर्व उत्तर प्रदेश विधान सभा में एक ऐसे ही मामले में, जिसे शक्ति से बाहर समझा गया था, अध्यक्ष महोदय ने स्वयं विनिर्णय दिया था। मेरा अनुरोध है कि आज भी उसी प्रकार का मामला हमारे समक्ष है जिसको शक्ति से बाहर समझा जा रहा है अतः इस के बारे में आप को ही विनिर्णय देना चाहिए।"

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य की धारणा है कि केवल अध्यक्ष ही सभा की अन्तरात्मा का प्रहरी है और सभी माननीय सदस्यों की अन्तरात्मा नहीं है। प्रत्येक सदस्य अध्यक्ष के समान उत्तराधिकारी है और वह सोच सकता है कि इस नियम बाहय करार देना चाहिये अथवा नहीं।

†**श्री अ० प्र० जैन** : कुछ ऐसे गम्भीर मामले होते हैं जिन के बारे में मैं चाहता हूं कि अध्यक्ष विनिर्णय दें। यह भी एक ऐसा मामला है।

मैंने सुना है कि सरकारी बेंचों की ओर से कहा गया है कि यह करारोपण सम्बन्धी प्रस्ताव नहीं है।

अब अनुच्छेद ३१ की शरण ली जा रही है जिसका सम्बन्ध किसी व्यक्ति की सम्पत्ति उस की इच्छा के विरुद्ध ले लेने के राज्य के विशेष अधिकार से है। इस बारे में उच्चतम न्यायालय ने १९५२ में एक निर्णय दिया था।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री योगेन्द्र झा (मधुबनी) : अध्यक्ष महोदय, ऑन ए प्वाएंट ऑफ़ आर्डर। अब जब कि बिल के क्लाजेज़ पर विचार चल रहा है तो क्या सम्पूर्ण बिल के ऊपर आपत्ति की जा सकती है ?

एक माननीय सदस्य : क्लाज़ ४ की वैधानिकता पर बहस हो रही है।

श्री योगेन्द्र झा : में पूछना चाहता हूं कि क्या उन का ऐसा कहना है कि क्लाज़ ४ अनकांस्टीट्यूशनल है ?

श्री अ० प्र० जैन : सारा बिल अनकांस्टीट्यूशनल है और क्लाज़ ४ भी अनकांस्टीट्यूशनल है।

अध्यक्ष महोदय : इस वक्त तो क्लाज़ ४ चल रहा है और उस के लिए वे कह रहे हैं।

†**श्री अ० प्र० जैन** : उस निर्णय में न्यायाधिपति महाजन ने कहा था कि विधि का यह मान्य सिद्धान्त है कि राज्य व्यक्तियों की सम्पत्ति को अनिवार्य अर्जन के अधिकार के अधीन अपने हाथ में नही ले सकता।

कूले की "कांस्टीट्यूश्नल लिमिटेशन" (सांविधानिक सीमा) नामक पुस्तक में भी यह कहा गया है कि अनिवार्य अर्जन का सिद्धान्त केवल तब लागू हो सकता है जब सम्पत्ति सार्वजनिक कल्याण के लिये की जा रही हो। किन्तु यदि धन लिया जाये और उसकी क्षतिपूर्ति धन के रूप में दी जानी हो तो वह बाधित कर के लिया जाने वाला ऋण ही है। अनिवार्य अर्जन के अधिकार के अधीन धन नहीं लिया जा सकता। अनुच्छेद ४ का सम्बन्ध अचल सम्पत्ति से।

इंगलैंड में कराधान का लम्बा इतिहास है और उस से हमने परम्पराएं प्राप्त की हैं। उन परम्पराओं में ये मुख्य हैं कि प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं लगाया जा सकता और विधि के बिना भी कर नहीं लगाया जा सकता। अध्याय १२ में सरकार को ऋण लेने का अधिकार दिया गया है। किन्तु अनिवार्य ऋण का अधिकार कहीं नहीं दिया गया। वित्त मंत्री ने अनिवार्य भविष्य निधि और अनिवार्य बीमे के जो उदाहरण दिये हैं उनमें और इस अनिवार्य ऋण में कोई समानता नहीं है। विधि मंत्री ने इस सम्बन्ध में खण्ड १९(५) का उल्लेख किया था जिसके अन्तर्गत सरकार को अधिकार है सरकार उचित प्रतिबन्ध लगा सकती है। किसी व्यक्ति के बैंक में १०० रुपये जमा हो, तो उस पर यह प्रतिबन्ध लगाया जा सकता है कि वह बैंक से पैसे न निकलवाये किन्तु इस खण्ड के अन्तर्गत वे पैसे सरकार स्वयं नहीं ले सकती। प्रतिबन्ध का यह अभिप्राय नहीं कि वह स्वयं प्रयोग के लिए पैसे ले ले।

इस लिए यह भली प्रकार विचार करने की आवश्यकता है कि यह विधेयक संवैधानिक है या नहीं। अतः मैंने सुझाव दिया है कि महान्यायाधिवक्ता का परामर्श लिया जाये। सभा को उसका परामर्श लेने का अधिकार है। न जाने सरकार महान्यायाधिवक्ता को बुलाने से क्यों हिचकचा रही है। बहुत संभव है कि वह मेरे विचार का खण्डन करें किन्तु उसका विचार जान लेने के उपरान्त हम विधेयक पर अच्छी प्रकार विचार कर सकते हैं। आप सभा के स्वयं प्रतिष्ठित अधिकारी हैं अतः आप महान्यायाधिवक्ता को निदेश भी दे सकते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : सरकार को चाहिये कि वह सभा को विश्वस्त करे और उन्हें महान्यायाधिवक्ता का परामर्श उपलब्ध कराये। सभा ऐसा चाहती है तो वह सरकार से ऐसी मांग कर सकती है। मैं इस सम्बन्ध में निदेश जारी नहीं कर सकता।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अ० प्र० जैन** : माननीय वित्त मंत्री और उसके साथियों से मेरा निवेदन है कि महान्यायाधिवक्ता को बुलाया जाये और वह इस सम्बन्ध में हमें परामर्श दे ।

†**श्री बड़े** : मैं भी निवेदन करता हूं, कि महान्यायाधिवक्ता को बुलाना चाहिये । मैंने एक संशोधन प्रस्तुत किया जिसका प्रयोजन है कि जो कृषक ऋण-ग्रस्त है उन्हें इस विधेयक के उपबन्धों से मुक्त रखा जाये । सरकार ने एक संशोधन रखा है, जिसका प्रयोजन है कि जहां सरकार आवश्यक या उपयुक्त समझेगी किसी व्यक्ति या वर्ग को इस विधेयक के लागू होने से मुक्त रखेगी ।

इसका अभिप्राय है कि सरकार अनुभव करती है कि वह लोगों को कठिनाई में डाल रही है । मेरा निवेदन है कि देश में ऋणता बहुत अधिक है और कृषकों को ४ प्रतिशत से कहीं अधिक ब्याज देना पड़ता है अतः उनसे अनिवार्य धन लेकर उन्हें ४ प्रतिशत ब्याज देने में सरकार उन्हें कोई लाभ नहीं पहुंचा रही ।

†**श्री त्यागी** : संवैधानिकता के प्रश्न को तो श्री जैन ने भली प्रकार स्पष्ट कर दिया है । मेरा निवेदन यह है कि यदि यह विधेयक कानून बन ही जाये तो सरकार इस प्रकार एकत्र किये गये धन को उन्हीं लोगों के खंड में उपयोग में लाये ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : संविधान के अनुच्छेद ७६ और ८८ में महान्यायाधिवक्ता का उल्लेख है और बताया गया है कि उसके दो काम हैं । एक तो सरकार को परामर्श देना और दूसरे संसद् को परामर्श देना । उसे एक मंत्री की तरह संसद् में बोलने का अधिकार है । श्री अ० प्र० जैन द्वारा यह प्रश्न उठाया जाने पर आपने कहा कि आपको महान्यायाधिवक्ता को निदेश देने का अधिकार नहीं । किन्तु क्योंकि संविधान में इस बात का उपबन्ध नहीं कि महान्यायाधिवक्ता को बुलाने का किसे अधिकार है अतः यह अभिप्राय निकाला जा सकता है कि आप सभा के सर्व प्रमुख अधिकारी होने के नाते उन्हें आमंत्रित कर सकते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या अध्यक्ष कभी किसी को आमंत्रण देता है ? वह सभा की ओर से भी कभी आमंत्रण नहीं देता ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मैं श्री जैन का समर्थन करते हुए आप से निवेदन करता हूं आप महान्यायाधिवक्ता को आमंत्रित करें ।

†**श्री शिवाजीराव शं० देशमुख** : मैं भी श्री जैन के मत का समर्थन करता हूं कि यह उपबंध संवैधानिक नहीं है । सरकार ने स्वयं स्वीकार किया है कि यह विधेयक कराधान सम्बन्धी नहीं है । किन्तु जब वे कहते हैं कि इस से एकत्र किये गये धन को भविष्य के कर में उपभोग में लाया जायेगा तो इसका यह अभिप्राय है कि इस विधेयक द्वारा भविष्य के कर के लिए उपबन्ध किया जा रहा है ।

संसद् राज्यों के लिए कर का उपबन्ध नहीं कर सकती जब कि इस विधेयक के अन्तर्गत राज्य सरकारें इस विधेयक के अन्तर्गत एकत्र की गई विधि का समायोजन भविष्य के भूराजस्व में करेगी । स्थानीय अधिकारियों को अधिकार दिया गया है कि वे इस राशि का समायोजन स्थानीय करों में कर सकेंगे । इस प्रकार यह विधेयक भविष्य के कर के सम्बन्ध में है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मैं श्री जैन के मत का समर्थन करता हूं कि आप महान्यायाधिवक्ता को निमंत्रित करें। सभा की प्रार्थना पर आप किसी भी व्यक्ति को निमंत्रित कर सकते हैं।

†**श्री अ० प्र० जैन** : श्रीमान, एक औचित्य प्रश्न है।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं इस समय तो सभा को स्थगित कर रहा हूं।

इसके पश्चात लोक सभा शुक्रवार, २६ अप्रैल, १९६३/६ वैशाख, १८८५ के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

[शुक्रवार, २५ अप्रैल, १९६३ / ५ बैशाख, १८८५ (शक)]

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		५१४१—६७
तारांकित प्रश्न संख्या		
१०२७	स्थायी सरकारी पदों की घोषणा	५१४१—४३
१०२८	दण्डकारण्य में विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास	५१४४—४६
१०२९	संसदीय कार्य के लिए छापाखाना	५१४६—४८
१०३०	गैर-सरकारी क्षेत्र के कोयला उद्योग को ऋण	५१४८—५०
१०३१	लेडी हार्डिंग मेडिकल कालिज, नई दिल्ली	५१५०—५३
१०३२	पाकिस्तान की ओर बह गये लकड़ी के स्लीपर	५१५३—५६
१०३३	नगर निगमों के लिए एकरूप विधान	५१५६–५७
१०३६	भारत से सोने का चोरी छिपे बाहर ले जाया जाना	५१५७—५९
१०३७	इमारती इस्पात	५१६०—६२
१०३८	बागान श्रमिक आवास योजना	५१६३
१०३९	लघु-जलविद्युत् योजनायें	५१६३–६४
१०४०	पश्चिम बंगाल में अनधिकारवासियों की बस्तियां	५१६४–६५
१०४१	जनपथ होटल, नई दिल्ली	५१६६–६७
प्रश्नों के लिखित उत्तर		५१६७—९५
तारांकित प्रश्न संख्या		
१०३४	पश्चिमी बंगाल को विद्युत् सम्भरण	५१६७–६८
१०३५	तुंगभद्रा उच्चस्तरीय नहर	५१६८
१०४२	दामोदर घाटी निगम की विद्युत् परियोजनाओं का विस्तार	५१६८
१०४३	उत्तर प्रदेश में कुष्ठरोग अस्पताल	५१६८–६९
१०४४	डाक्टरों का अनिवार्य पंजीयन	५१६९
१०४५	राज्य स्वास्थ्य मंत्री सम्मेलन	५१६९
१०४६	दामोदर घाटी निगम	५१७०

विषय **पृष्ठ**

प्रश्नों के लिखित उत्तर--जारी

अतारांकित
प्रश्न संख्या

२३११	पेंशन के मामले	५१७०
२३१२	भुवनेश्वर में राजधानी का निर्माण	५१७०–७१
२३१३	उड़ीसा में कुष्ठ रोग उपचार केन्द्र	५१७१—७२
२३१४	उड़ीसा में चेचक	५१७२–७३
२३१५	उड़ीसा में बाढ़ नियंत्रण	५१७३
२३१६	हीराकुद बांध परियोजना (प्रक्रम २)	५१७३–७४
२३१७	प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र	५१७४
२३१८	केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री	५१७५
२३१९	संयुक्त राज्य अमरीका से स्टीम टर्बाइनों का आयात	५१७५
२३२०	चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर	५१७५–७६
२३२१	तापीय बिजली घर	५१७६
२३२२	अमरीका से खाद्य सामग्री का उपहार	५१७६
२३२३	पेंशनें	५१७६–७७
२३२४	गोरखपुर में मेडिकल कालेज	५१७७
२३२५	विस्थापित व्यक्तियों को भरण-पोषण सहायता	५१७७–७८
२३२६	दण्डकारण्य परियोजना	५१७८
२३२७	पंजाब में पुनर्वास कार्य	५१७८
२३२८	चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को पंखों के लिये ऋण	५१७९
२३२९	औद्योगिक वित्त निगम	५१७९–८०
२३३०.	पजाब में रक्त दान	५१८०
२३३१	चन्द्रपुरा में तापीय बिजली घर	५१८०
२३३२	कुर्नुल जिला में पीने के पानी का संभरण	५१८१
२३३३	खाद्य अपमिश्रण अधिनियम, १९५४	५१८१–८२
२३३४	हापुड़ में अवैध टक्साल	५१८२
२३३५	पंजाब में बाढ़ नियंत्रण योजनायें	५१८२–८३
२३३६	पंजाब में विद्युत् योजनायें	५१८३
२३३७	सोने का तस्कर व्यापार	५१८३–८४
२३३८	देहली के गांवों में खेती के लिये गन्दे नालों का पानी	५१८४
२३३९	संचित निधियों का स्वदेश-प्रत्यावर्तन	५१८४–८५

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
२३४०	सरोजिनी नगर तथा रामकृष्णपुरम् के बीच लिंक रोड	५१८५
२३४१	रूसी सहायता से सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	५१८५
२३४२	प्रविधिक सहायकों तथा अनुवादकों का वेतन क्रम	५१८५–८६
२३४३	सिंचाई और विद्युत् परियोजनाओं में विनियोजन	५१८६
२३४४	बैंक आफ चाइना	५१८६
२३४५	शराब पीने वाले	५१८७
२३४६	यमुना जल विद्युत् योजना	५१८७—८८
२३४७	परिवार नियोजन	५१८८
२३४८	कीर्तिनगर बस्ती	५१८८–८९
२३४९	थानागढ़ हवाई अड्डे में धावन-मार्ग	५१८९
२३५०	फेफड़ों पर धूम्रपान के प्रभाव	५१८९—९०
२३५१	दिल्ली में बिजली की कमी	५१९०
२३५२	जड़ी बूटियां	५१९१
२३५३	आगरा में जल प्रदाय	५१९१
२३५४	पोंग बांध तथा सतलज–ब्यास को मिलाने की परियोजनायें	५१९१–९२
२३५५	ब्यास नियंत्रण बोर्ड	५१९२
२३५६	नागार्जुनसागर परियोजना	५१९२
२३५७	पुनर्वास विभाग में कर्मचारी	५१९२—९३
२३५८	पुनर्वास विभाग में कर्मचारियों का स्थायीकरण	५१९३
२३५९	पुनर्वास विभाग के छंटनी किये गये कर्मचारी	५१९३
२३६०	पश्चिम बंगाल में विद्युत् की कमी	५१९३–९४
२३६१	पंजाब में क्षयरोग निरोधक उपाय	५१९४
२३६२	चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को क्वार्टरों का आवंटन	५१९४
२३६३	दण्डकारण्य परियोजना के लिये केन्द्रीय आवंटन	५१९५
अविलम्बनीय लोक महत्व के विशय की ओर ध्यान दिलाना		५१९५–९६

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती ने पश्चिम बंगाल में चावल की सप्लाई कम होने के कारण गसके मूल्यों में असाधारण वृद्धि की ओर खाद्य तथा कृषि मंत्री का ध्यान दिलाया।

खाद्य तथा कृषि मंत्री ने इस बारे में एक वक्तव्य दिया।

विषय पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र ५१९७

(१) स्वास्थ्य सर्वेक्षण तथा आयोजना समिति के प्रतिवेदन (खण्ड २) की एक प्रति ।

(२) सम्पदा शुल्क अधिनियम, १९५३ की धारा ३२ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत, दिनांक ६ अप्रैल, १९६३ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ९६२ में प्रकाशित सम्पदा शुल्क (संशोधन) नियम, १९६३ की एक प्रति ।

(३) दिल्ली संघ राज्य-क्षेत्र में लागू बंगाल वित्त (बिक्री-कर) अधिनियम, १९४१ की धारा २६ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत दिल्ली बिक्री-कर नियम, १९५१ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक ११ अप्रैल, १९६३ के दिल्ली गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एफ० ४ (३३)/६२–फिन (ई) की एक प्रति ।

(४) सीमाशुल्क अधिनियम, १९६२ की धारा १५९ के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक १३ अप्रैल, १९६३ की जी० एस० आर० संख्या ६१३ ।

(ख) दिनांक १३ अप्रैल, १९६३ की जी०एस०आर० संख्या ६१४ ।

(ग) दिनांक ११ अप्रैल, १९६३ की जी० एस० आर० संख्या ६३९ ।

(५) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क नियम, १९४४ में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक १३ अप्रैल, १९६३ की जी०एस०आर० संख्या ६१५ ।

(ख) दिनांक १३ अप्रैल, १९६३ की जी० एस० आर० संख्या ६१६ ।

राज्य-सभा से सन्देश ५१९७

सचिव ने राज्य सभा से प्राप्त एक सन्देश की सूचना दी कि राज्य सभा ने लौह अयस्क खान श्रमिक कल्याण उप-कर (संशोधन) विधेयक, १९६३ पास कर दिया है ।

राज्य-सभा द्वारा पारित विधेयक—सभा पटल पर रखा गया ५१९८

लौह अयस्क खान श्रमिक कल्याण उप-कर (संशोधन) बिधेयक, १९६३ ।

विषय	पृष्ठ
विधेयक विचाराधीन	५१६८—५२४५

(१) राज-भाषायें विधेयक, १९६३ पर विचार करने के प्रस्ताव तथा विधेयक के सम्बन्ध में प्रस्तुत संशोधनों पर अग्रेतर चर्चा जारी रही। सभी संशोधन अस्वीकृत हुए और विचार करने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक कर पर खण्डवार चर्चा आरम्भ हुई। चर्चा समाप्त नहीं हुई।

(२) अनिवार्य जमा योजना विधेयक, १९६३ पर खंडवार चर्चा जारी रही। चर्चा समाप्त नहीं हुई।

शुक्रवार, २६ अप्रैल, १९६३/६ वैशाख, १८८५ (शक) के लिये कार्यावलि

राज-भाषायें विधेयक, १९६३ और अनिवार्य जमा योजना विधेयक, १९६३ पर अग्रेतर चर्चा और उनका पारित किया जाना।

GIPND—LS III—569(Ai) LS—12-6-63 —160.

PLS. 41. XVIII 51. 63.
160

© १९६३ प्रतिलिप्यधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त।

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियम (पांचवां संस्करण) के नियम ३७९ और ३८२ के अन्तर्गत प्रकाशित और भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली की संसदीय शाखा में मुद्रित।